रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 134] नई दिल्ली, शनिवार, जून 1, 1974/ज्येष्ठ 11, 1896

No. 134] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 1, 1974/JYAISTHA 11, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 1st June 1974

No. DRAWBACK/FN-20/74.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F, No. 02/2/7c-DF, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the table published in Public Notice No. Drawback/FN-1, dated the 15th October, 1971 as amended from time to time.

For all the Serial Numbers, Sub-Serial Numbers and the entries relating there to, the following shall be substituted namely:—

TABLE

Serial No. in Sch. II appended to the Rules.	Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback
1	2		4
1		*Fruit preserved and Fruit preparations, provisions, canned, bottled or otherwise, and all sorts of foods not elsewhere specified*	
	101	Fruit preserved and fruit preparations, provisions, canned, bottled or otherwise, and all sorts of foods not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on application from individual manufacturer/exporter.
	102	Fruit chutney containing not less than 50% of sugar by weight.	Rs. 15·84 (Rupees fifteen and paise eighty four only) per quintal of such goods.
	103	Jams and Jellies containing not less than 60% of sugar by weight.	Rs. 19·00 (Rupees nineteen only) per quintal of such goods.
	104	Canned Fruit in syrup containing—	
		(a) not less than 16% of sugar by weight.	Rs. 5·07 (Rupees five and paise seven only) per quintal of such goods.
		(b) less than 16% but not less than 13·5% of sugar by welght.	Rs. 4·28 (Rupees four and paise twenty eight only) per quintal of such goods.
	105	Squashes containing not less than 40 % of sugar by weight.	Rs. 12·67 (Rupees twelve and paise sixty seven only) per quintal of such goods.
	106	Fruit syrups, synthetic syrups and sharbats containing not less than 65% of sugar by weight.	Rs. 20·59 (Rupees twenty and paise fifty nine only) per quintal of such goods.
	107	Fruit Cardials containing not less than 30% of sugar by weight.	Rs. 9·50 (Rupees nine and paise fifty only) per quintal of such goods.
	108	Barely water including lemon barley water containing not less than 40% of sugar by weight.	Rs. 12·67 (Rupees twelve and paise sixty seven only) per quintal of such goods.
	109	Fruit crushes containing not less than 55% of sugar by weight.	Rs. 17·42 (Rupees seventeen and paise forty two only) per quintal of such goods.
	110	Marmalades containing not less than 60% of sugar by weight.	Rs. 19·00 (Rupees nineteen only) per quintal of such goods.
	111	Candied and Crystalised or Glaced Fruit and Peel containing not less than 60% of sugar by weight.	Rs. 19·00 (Rupees nineteen only) per quintal of such goods.
	112	Mango Pulp containing—	
		(a) not less than 5% of sugar by weight.	Rs. 1·58 (Rupees one and paise fifty eighty only) per quintal of such goods.
		(b) less than 5% but not less than 3% of sugar by weight.	Rs. 0·95 (Paise ninety five only) per quintal of such goods.

1	2	3	4
	113	Fruit preserves containing not less than 60% of sugar by weight.	Rs. 19·00 (Rupees nineteen only) per quintal of such goods.
	114	Sweetened Fruit Juices (canned or Bottled) containing not less than 10% of sugar by weight.	Rs. 3·17 (Rupees three and paise seventeen only) per quintal of such goods.
	115	Mango Nectar (Ready to serve beverages) containing not less than 15% of sugar by weight.	Rs. 4·75 (Rupees four and paise seventy five only) per quintal of such goods.
	116	Papaya Nectar (Ready to serve beverages) containing not less than 15% of sugar by weight.	Rs. 4·75 (Rupees four and paise seventy five only) per quintal of such goods.
	117	Guava Nectar (Ready to serve beverages) containing not less than 15% of sugar by weight.	Rs. 4.75 (Rupees four and paise seventy five only) per quintal of such goods.
	118	Grape Nectar (Ready to serve beverages) containing not less than 15% of sugar by weight.	Rs. 4.75 (Rupees four and paise seventy five only) per quintal of such goods.
		(Provided the above Fruit Products have been manufactured in accordance with the provisions of the Fruit Products Order, 1955).	
2	*Instant Coffee*		
	201	Instant Coffee not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
3	*Cocoa Paste Butter powder chocolates and other Food Preparation containing coca*		
	301	Cocoa paste, butter, powder, chocolate and other food preparation containing cocoa, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
4	*Sugar confectionery and other gas preparation*		
	401	Sugar confectionery and other sugar preparation, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
5	*Biscuits:*		
	501	Biscuits, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	502	Biscuits, all sorts.	Rs. 0·317 (Paise thirty one point seven only) per kg. of sucrose content and Rs. 0·245 (twenty four point five paise only) per kg. of vegetable product content of the biscuits.
6	*Copra Cake*		
	601	Copra Cake, not elsewhere specified.	Brand rates to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
7	*Concentrate and Base for non Alcohlic Beverage*		
	701	Concentrate and base for non-alcohlic beverage not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
8	*Alcohlic Beverage*		
	801	Alcohlic beverage, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.

1	2	3	4
9	*Tobacco Manufactures:*		
	901	Tobacco manufactures, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/ exporter.
	902	Pipe or Cigarette tobacco in the manufacture of which tobacco of foreign origin (other than tobacco of Pakistan, Burma, Nepal, Bhutan or Sikkim origin) has been used.	Rs. 32·40 (Rupees thirty two and paise forty only) per kg. of foreign tobacco content, other than of Pakistan, Burma, Nepal, Bhutan or Sikkim origin contained in the pipe or cigarette tobacco.

Provided that—

(a) Drawback at this rate shall be paid in respect of only such pipe or cigarette tobacco as has been manufactured by a person who has been registered for this purpose by the Collector of Customs in whose jurisdiction such pipe or cigarette tobacco is manufactured;

(b) the pipe or cigarette tobacco is manufactured under the supervision of Customs or Central Excise Officers;

(c) the pipe or cigarette tobacco is packed in tamper proof sealed containers bearing on their outside detailed description of the goods; and

(d) the quantity of foreign tobacco other than tobacco of Burma, Pakistan, Nepal, Bhutan or Sikkim origin, contained in the pipe or cigarette tobacco being exported is established to the satisfaction of the Customs Collector.

		Cigarettes in the manufacture of which tobacco of foreign origin (other than tobacco of Pakistan, Burma, Nepal, Bhutan or Sikkim origin) has been used.	Rs. 32·40 (Rupees thirty two and paise forty only) per kg. of foreign tobacco content other than of Pakistan, Burma, Nepal, Bhutan or Sikkim origin contained in the Cigarettes.

Provided that—

(a) Drawback at this rate shall be paid in respect of only such cigarettes as have been manufactured by a person who has been registered for this purpose by the Collector of Customs in whose jurisdiction such cigarettes are manufactured ; and

(b) the quantity of foreign tobacco other than tobacco of Pakistan, Burma, Nepal, Bhutan or Sikkim origin contained in the Cigarettes being exported is established to the satisfaction of the Collector of Customs.

		Cigars in the manufacture of which cigar wrapper tobacco of foreign other than cigar wrapper tobacco of Pakistan, Burma, Nepal, Bhutan or Sikkim origin) has been used.	Rs. 3240 (Rupees thirty two and paise forty only) per kg. of foreign cigar wrapper tobacco content other than of Pakistan, Nepal, Burma, Bhutan or Sikkim origin used in the manufacture of cigar.

provided that—

(a) the packages of the imported materials have been verified by the Customs Collector and sealed with the Customs seal before delivery at the port of import.

(b) the sealed packages have been opened and the imported materials used for the manufacture with the permission of Central Excise Officer-in-Charge of the factory in which the Cigars are manufactured.

(c) the manufacturer has maintained such accounts of the use of the imported Cigar wrapper tobacco as may be prescribed by the Assistant Collector of Central Excise in whose jurisdiction the factory in which the cigars are manufactured is situated; and

(d) the export is made under Form AR-4 (Central Excise Series No. 60/ prescribed under Central Excise Rules, 1944.

1	2	3	4
	905	Hookah Tabacco paste containing not less than 20% of tobacco by weight.	Rs. 0·15 (Paise fifteen only) per kg.
10	*Petroleum Products*:		
	1001	Petroleum products not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/ exporter.
	1002	Vacant.	
	1003	Refined diesel oil or jute batching oil content in jute product.	
		(i) Hessians D.W. Tarpaulins D.W. Jute canvas and jute yarn/ jute twist/ Jute twine of the types used in Hessian, D.W. Tarpaulin and D.W. Canvas.	Rs. 0·65 (Paise sixty five only) per tonne of the product.
		(ii) Jute yarn, jute twist and jute twine of the types other than those specified in (i) above.	Rs. 0·15 (Paise fifteen only) per tonne of the product.
		(iii) Jute sackings and jute webbing.	Rs. 0·87 (Eighty seven paise only) per tonne of the product.
		(iv) Carpet backing cloth having width of 2·64 meters and more.	Rs. 0.15 (Fifteen paise only) per tonne of the product.
		(v) Narrow carpet backing cloth having width less than 2.64 metres.	Rs. 0·48 (Forty eight paise only) per tonne of the product.
11	*Organic Chemicals, Inorganic Chemicals, Chemical, Products*:		
	1101	Organic chemicals, inorganic Chemicals, chemical products not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individaal manufacturer/ exporter.
	1102	Dichromate—	
		(i) Sodium Dichromate Dihydrate.	Rs. 96·00 (Rupees ninety six only) per tonne.
		(ii) Potassium Dichromate.	Rs. 314·00 (Rupees three hundred fourteen only) per tonne.
	1103	Alumina Feraic	Rs. 14·00 (Rupees fourteen only) per tonne.
	1104	Vacant.	
	1105	Vacant.	
	1106	Lead Nitrate.	Rs. 1170·00 (Rupees one thousand one hundred seventy only) per tonne
	1107	Potash Alum.	Rs. 3·90 (Rupees three and paise ninety only) per tonne.
	1108	Vacant.	
	1109	Chromic Acid.	Rs. 177·50 (Rupees one hundred seventy seven and paise fifty only) per tonne.
	1110	Alum and Aluminium Sulphate iron free—	
		(i) Ammonia Alum.	Rs. 11·70 (Rupees eleven and paise seventy only) per tonne.
		(ii) Aluminium Sulphate.	Rs. 13·78 (Rupees thirteen and paise seventy eight only) per tonne.

Provided that no rabate of duty of excise leviable on the sulphuric acid used in the manufacture of ammonia alum or aluminium sulphate under serial No. 14G of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) has been granted.

1	2	3	4
	1111	Copper sulphate.	Rs. 190·65 (Rupees one hundred ninety and paise sixty five only) per tonne.
	1112	Caustic Potash.	Rs. 417·50 (Rupees four hundred seventeen and paise fifty only) per tonne.
	1113	Sodium Sulphate.	Rs. 100·00 (Rupees one hundred only) per tonne.
	1114	Sodium Thiosulphate.	Rs. 35·00 (Rupees thirty five only) per tonne.
	1115	Sodium Bisulphite.	Rs. 65·00 (Rupees sixty five only) per tonne.
	1116	Synthetic detergents with active detergent of 18% or more.	Rs. 280·00 (Rupees two hundred eighty only) per tonne.
	1117	Ferriet Ammonium Citrate B.P.	Rs. 1·07 (Rupees one and paise seven only) per kg.
	1118	Potassium permangnate (97-100%)	Rs. 547·00 (Rupees five hundred forty seven only) per tonne.
	1119	Copper Oxychloride conforming to I-S 1486 1959.	Rs. 405·00 (Rupees four hundred five only) per tonne.
	1120	Potassium Citrate Mon-Hydrate.	Rs. 155·25 (Rupees one hundred fifty five and paise twenty five only) per quintal.
12	*Drugs and Pharmaceutical Products*		
	1201	Drugs and Pharmaceutical products, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/ exporter.
	1202	Trichloroethylene.	Rs. 131.50 (Rupees one hundred thirty one and paise fifty only) per tonne.
	1203	Zinc-oxide Adhesive Plaster B.P.C.	Rs. 24.40 (Rupees twenty four and paise forty only) per one hundred square meretes.
13	*Synthetic organic dyestuffs, dyes, Intermediates and colours lakes*		
	1301	Synthetic organic dye stuffs, dyes intermediates and colours lakes, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/ exporter.
14	*Pigments, colours, paints, enamels, varnishes, lacquers, synthetic polyesters, (epoxy) resins printing inks and writing inks.*		
	1401	Pigments, colours, paints, enamels, varnishes, lacquers, synthetic polyesters apoxy resins, printing inks and writing inks, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/ exporter.
	1402	Synthetic Enamel White.	Rs. 1·66 (Rupee one and paise sixty six only) per litre.
	1403	Synthetic Enamel coloured.	Rs. 0.57 (Paise fiftyseven only) per litre.
	1404	Plastic emulsion paints.	Rs. 2.44 (Rupees two and paise forty four only) per litre.
	1405	Paste paints, viz genuine zinc white paint only.	Rs. 1954.50 (Rupees one thousand nine hundred fifty four and paise fifty only) per tonne.
	1406	Bituminous Paint.	Rs. 0.28 (Paise twenty eight only) per litre.

1	2	3	4
	1407	Vacant.	
	1408	Vacant.	
	1409	Vacant.	
	1410	Vacant.	
	1411	Vacant.	
	1412	Vacant.	
	1413	Oil Bound Distemper	Rs. 0·43 (Paise forty three only) per kg.
	1414	Vacant.	
	1415	Printing Inks.	Rs. 6.60 (Rupess six and paise sixty only per quintal.
	1416	Red Lead	Rs. 1860.00 (Rupes one thousand and eight hundred and sixty only) per tonne.
	1418	White Lead	Rs. 1579.50 (Rupess one thousand five hundred seventy nine and paise fiftyy only) per tonne.
	1418	Litharge.	Rs. 1809.50 (Rupees one thousand and eight hundred nine and paise fifty only) per tonne.
	1419	Zinc Oxide.	Rs. 2247·00 (Rupees two thousand two hundred and forty seven only) per tonne.
[15]	*Essential oils, hydrogenated castar oil, perfume materials, aggarbathies toilets, Polishing and cleaning preparations.*		
	1501	Essential oils, Hydrogenated Caster Oil, perfume materials, aggarbathies, toilet, polishing and cleaning preparation not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.
	1502	Aggarbathies excluding raw aggarbathies.	8% (Eight per cent only) of f.o.b. value.
16	*Explosives Pyrotechnic Products (Fire Works) Safety Matches and Safety Fuses*:		
	1601	Explosives, pyrotechnic products (fire works) safety matches and safety fuse not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.
	1602	Matches all sorts.	1·44% (One point forty four per cent only) of the f.o.b. value.
17	*Photographic and Cinematographic Goods*:		
	1701	Photographic and Cinematographic goods, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.
	1702	(i) Cinema films exposed coloured.	Rs. 56.80 (Rupees fifty six and paise eighty only) per hundred linear metres.
		(ii) Cinema films exposed black and white.	Rs. 15·90 (Rupees fifteen and paise ninety only) per one hundred linear metres.
18	*Insecticides, Pesticides, Bungicides, Weedicydes and Formulations There of*:		
	1801	Insecticides, pesticides, fungicides, weedicides and formulations thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.

1	2	3	4
19	*Synthetic Resins (Including Adhesives) Plastic Raw Materials and Articles Made Thereof*		
	1901	Synthetic resins (including adhesives), plastic raw materials and articles made thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer exporter.
	1902	Vacant.	
	1903	Vacant.	
	1904	Vacant.	
	1905	Vacant.	
	1906	Articles or component parts of any articles made from acrylic moulding powder (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and films, whether laminated or not and the articles made therefrom).	Rs. 535·00 (Rupees five hundred thirty five only) per quintal.
		Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.	
	1907	Articles or component parts of any article made from cellulose acetate moulding powder or unlaminated cellalose acetate sheets or rods or tubes etc. (excluding rigid plastic boards, sheetings, sheets and films, whether lamintated or not).	Rs. 825·00 (Rupees eight hundred twenty five only) per quintal.
		Provided that the procedures prescribed under rule 56A or 191A or 191B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.	
	1908	Articles of components parts of any article made from cellulose acetate butyrate moulding powder or unlaminated cellulose acetate butyrate sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and films, whether laminated or not).	Rs. 1205·00 (Rupees one thousand two hundred five only) per quintal.
		Provided that the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 105 kgs. of cellulose acetate butyrate moulding powder has been released by the STC to the exporter or the manufacturer and used within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacture of every quintal of product exported and that the quantity of cellulose acetate butyrate moulding powder has not been—	
		(a) Similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of articles of cellulose acetate butyrate moulding powder or	
		(b) previously re-exported as such or in any other form with or without claimfor drawback.	
		Explanation:—In order to determine whether the importation or release of material is within the period of 12 months immediately preceding the date of exportation, the date of importation of the material in the case of materials imported directly and the date of release order in the case of materials released by the STC, shall be taken into account.	
		Provided further that the procedures prescribed under rule 56A or 191A or 191Bof the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.	

1	2	3	4
1909	Articles or component parts of any article made from cellulose nitrate sheets, rods or tubes.	Rs. 3470·00 (Rupees three thousand four hundred seventy only) per quintal.	

Provided that the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 105 kgs. of cellulose nitrate sheets, rods or tubes has been released by the STC to the exporter or the manufacturer and used within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacture of every quintal of product exported and that the quantity of celluolose nitrate sheets, rods or tubes has not been :

(a) similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of articles of cellulose nitrate sheets, rods or tubes; or

(b) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback;

Explanation.—In order to determine whether the importation or release of material is within the period of 12 months immediately preceding the date of exportation the date of importation of the material in the case of materials imported directly and the date of release order in the case of materials released by the STC, shall be taken into account.

Provided further that the procedures prescribed under rule 56A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.

1910	Articles or component parts of any article made from phenol formaldehyde moulding powder or unlaminated phenol formaldehyde sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and films, whether laminated or not).	Rs. 258·00 (Rupees two hundred fifty eight only) per quintal.	

Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.

1911	Articles or component parts of any article made from polyamide moulding powder or unlaminated polyamide sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and film, whether laminated or not).	Rs. 18397.00 (Rupees one thousand eight hundred and thirty nine only) per quintal.	

Provided that the procedures prescribed under rule 56A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in respect of the said articles.

1912	Articles or component parts of any article made from unlaminated acrylic sheets.	The amount of import duty per quintal of acrylic sheet paid in the relevant bill of entry or Rs. 1104·00 (Rupees one thousand one hundred and four only) per quintal whichever is less.	

Provided that —

(i) Where the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 105 kgs. of acrylic sheets has been imported by the exporter or manufacturer and used, within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacture of every quintal of product exported and that the quantity of acrylicsheet has not been:—

(a) similarly correlated to, and accounted for against any other previous exportation of articles of acrylic sheets or

1	2	3	4

(b) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback:

the rate shall apply in toto:

(ii) where the evidence specified above is not produced the rate shall be Rs. 535·00 (Rupees five hundred and thirty five only) per quintal.

Explanation:—In order to determine whether the importation or release of material is within the period of 12 months immediately preceding the date of exporation, the date of importation of the material in the case of materials imported directly and the date of release order in the case of materials released by the STC shall be taken into account.

Provided further that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.

1913	Articles or components parts of any article made from polystyrene moulding powder or unlaminated polystyrene sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic beard, sheeting, sheets and films, whether laminated or not).	Rs. 226·00 (Rupees two hundred and twenty six only) per quintal.

Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of said articles.

1914	Articles or component parts of any article made from polyethylene moulding powder or unlaminated polyethylene sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic beard, sheeting, sheets and films, whether laminated or not).	Rs. 281·00 (Rupees two hundred and eighty one only) per quintal.

Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in respect of the said articles.

1915	Articles or component parts of any article made from urea formaldeyhde moulding powder or unlaminated urea formaldehyde-sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic board, sheeting, sheets and films, whether laminated or not).	Rs. 304.00 (Rupees three hundred and four only) per quintal.

Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rulls, 1944 are not followed by the n manufacturer/exporter in respect of said articles.

1916	Articles or components parts of any articles made from polypropylene moulding powder or unlaminated polyprepylene sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and films, whether laminated or not).	Rs. 854·00 (Rupees eight hundred and fifty four only) per quintal.

Provided that ——

(i) Where the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs and also produces the certificate from the manufacturer that a quantity of 105 kgs. of polypropylene moulding powder has been released by the STC to the exporter or the manufacturer and used within a period of 12 months immediately preceding the date

1	2	3	4

of such exportation, for the manufacture of every quintal of product exported and that the quantity of polypropylene moulding powder has not been—

(a) similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of articles of polypropylene moulding powder or

(b) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback.

the rate shall apply in to.

(ii) where the evidence specified above is not produced the rate shall be- Rs. 281.00 (Rupees two hundred and eighty one only) per quintal.

Explanation .—In order to determine whether the importation or release of material is within the period of 12 months immediately preceding the date of exportation, the date of importation of the material in the case of materials imported directly and date of release order in the case of materials released by the STC shall be taken into account.

Provided further that the procedure prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in respect of the said articles.

1917	Articles or component parts of any article made from melamine formaldehyde moulding powder or unlaminated melamine formaldehyde sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets or films, whether laminated or not).	Rs. 731.00	(Rupees seven hundred and thirty one only) per quintal.

Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in respect of the said articles.

1918	Articles or component parts of any article made from polyvinyl chloride composition including articles made from unlaminated rigid and flexible polyvinyl chloride boards/sheeting/ sheets/films/lay flat tubing etc. (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and films, whether laminated or not and flexible polyvinyl chloride sheetings, sheets, films and lay flat tubing, whether containing any textile material or not.		
	(a) Flexible.	Rs. 124.00	(Rupees one hundred and twenty four only) per quintal.
	(b) Rigid.	Rs. 164.00	(Rupees one hundred and sixty four only) per quintal.

Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in respect of the said articles.

1919	Unlaminated rigid plastic boards, sheeting, sheets or films made from acrylic plastics.	Rs. 535.00	(Rupees five hundred and thirty five only) per quintal.
1920	Unlaminated rigid plastic boards, sheeting, sheets or films, made from cellulose acetate moulding powder.	Rs. 210.00	(Rupees two hundred and ten only) per quintal.

1	2	3	4
1922	Flexible polyvinyl chloride sheeting, sheets, films and lay flat tubings not containing any textile materials.	Rs. 23.00 (Rupees twenty three only per quintal.	
1922	Articles or component parts of any article made from styrene acrylonitrile copolymer (excluding rigid plastic board sheeting sheets and films, whether laminated or not).	The amount of import duty per quintal of styrene acrylonitrile copolymer paid in the relevant bill of entry or rupees nine hundred and eighty three only (Rs. 983) per quintal whichever is less.	

Provided that the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Cstoms that a quantity of 105 kgs. of styrene acrylonitrile copolymer has been imported by the exporter or the manufacturer and used within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacture of every quintal of product exported and that the quantity of styrene acrylonitrile copolymer has not been

(a) similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of articles of styrene acrylonitrile copolymer , or

(b) previouly re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback.

Explanation .—In order to determine whether the importation or release of material is within the period of 12 months immediately preceding the date of exportation, the date of importation of the materials in the case of materials imported directly and the date of release order in the case of materials released by the STC shall be taken into account.

Provided further that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer exporter in the manufacture of the said article.

1923	Vacant.		
1924	Plastic bangles, all sorts, made only from one or more of the following plastic materials, namely, cellulose acetate moulding powder, cellulose nitrate sheets, cellulose adetate butyrate moulding powder, polystyrene moulding powder and acrylic moulding powder or sheets with or without decoration with metal foils or wires, lacquers etc.		
	(i) Where plastic materials used include polystyrene moulding powder.	Rs. 226·00 (Rupees two hundred twenty six only) per quintal of bangles.	
	(ii) Where plastic materials used do not include polystyrene moulding powder but include acrylic moulding powder, sheets etc.	Rs. 535·00 (Rupees five hundred thirty five only) per quintal of bangles.	
	(iii) Where plastic materials used do not include polystyrene moulding powder and/or acrylic moulding powder, sheets etc. but include cellulose acetate moulding powder.	Rs. 825·00 (Rupees eight hundred twenty five only) per quintal of bangles.	
	(iv) Where plastic materials used do not include polystyrene moulding powder, acrylic moulding powder or sheets etc. and cellulose acetate moulding powder but include cellulose acetate butyrate moulding powder.	Rs. 1205·00 (Rupees one thousand two hundred five only) per quintal of bangles.	

1	2	3	4
	(v) Where the plastic materials used is only cellulose nitrate sheets.	Rs. 3470·00 (Rupees three thousand four hundred seventy only) per quintal of bangles.	

Provided that the drawback at the rates indicated against item (iv) and (v) above shall apply if the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 105 Kg. of cellulose acetate butyrate moulding powder or cellulose nitrate sheets, as the case may be, has been released by the S.T.C. to the exporter or the manufacturer and used within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacture of every quintal of product exported and that the quantity of cellulose acetate butyrate moulding powder or cellulose nitrate sheets, as the case may be, has not been

(a) similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of article of cellulose acetate butyrate moulding powder or cellulose nitrate sheets, or the case may be, or

(b) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback.

Explanation.—In order to determine whether the importation or release of material is within the period of 12 months immediately preceding the date of exportation, the date of importation of the material in the case of materials imported directly and the date of release order in the case of materials released by the S.T.C. shall be taken into account.

Provided further that the procedures prescribed under rules 56-A or 191A or 191B of the Central Excise rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of plastic bangles.

1925	Spectacle frames/spectacles and sun goggles with cellulose nitrate sheet front and cellulose nitrate sheet sides, with or without lenses/glare glasses and whether or not fitted with any of the following materials, namely hinges, rivets, shields Joints, wire in sides, nose pads, tips.	44% (Forty four per cent only) of the F.O.B. value or Rs. 36·00 (Rupees thirty six only) per dozen whichever is less.
1926	Vacant.	
1927	Spectacle frames/spectacles and sun-goggles made from cellulose acetate plastic in any form with or without lenses/glare glasses whether or not fitted with any of the following materials, namely hinges, rivets, shields Joints, wires in sides rolled gold/gold filled/gold plated wire and/or components, alunium anodised sides, noise pads tips etc.	Rs. 4·10 (Rupees four and paise ten only) per dozen.

Provided that it is proved to the satisfaction of Collector of Customs that the spectacla-frames exported are genuine spectacles frames, spectacles or goggles of gents and ladies sizes.

1928	Sides of spectacles frames, spectacle and sun goggles made from cellulose nitrate sheets with or without joints.	45 per cent (Forty five percent only) of the FOB value or Rs. 12·84 (Rupees twelve and paise eighty four only) per dozen pairs whichever is less.
1929	All other plastic spectacles frames/spectacles/goggles not elsewhere specified.	Rs. 1·64 (Rupees one and paise sixty four only) per kg.
20	*Synthetic Rubber Reclaimed Rubber and articles of rubber*	
2001	Synthetic rubber, reclaimed rubber and articles of rubber not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer exporter.

1	2	3	4
	2002	Tyres and tubes all sorts excepting bicycle tyres and tubes but including tread rubber and flapes.	
		(1) Tyres from sizes with Sectional width of 2·50 upto and including 6·70	
		(*a*) Rayon	Rs. 0·75 (Seventy five paise only) per kg.
		(*b*) Cotton	Rs. 0·28 (Twenty eight paise only) per kg.
		(*c*) Nylon	Rs. 0·94 (Ninety four paise only) per kg.
		(2) Tyres from sizes with sectional width of 7·00 upto and including 14·00	
		(*a*) Rayon	Rs. 0·76 (Seventy six paise only) per kg.
		(*b*) Cotton	Rs. 0·28 (Twenty eight paise only) per kg.
		(*c*) Nylon	Rs. 1·08 (Rupees one and paise eight only) per kg.
		(3) Tyres from sizes with sectional width of 15·00 and above—Nylon	Rs. 1·06 (Rupee one and paise six only) per kg.
		(4) Tubes (all sizes except cycle tubes)	Rs. 0·41 (Forty one paise only per kg.
		(5) Flaps (all sizes)	Rs. 0·32 (Thirty two paise only per kg.
		(6) Tread rubber (all sizes)	Rs. 0·34 (Thirty four paise only) per kg.
		NOTE:—the rates of drawback under Sub-Serial No. 2002 shall remain in force till 31-8-1974	
21		*Hides, Skin, Leather, Articles of Leather or Artificial leather other leather goods and travel goods* :	
	2101	Hides, skins, leather articles of leather or artificial leather, other leather goods and travel goods not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	2102	(*a*) E. I. tanned hides and calf skins, namely cow hides, buffalo hides, kips, cow calf and buffalo calf.	Rs. 0·66 (Sixty six paise only) per kg.
		(*b*) E. I. tanned skins, namely goat skins and sheep skins.	Rs. 0·68 (Sixty eight paise only) per kg.
		(*c*) E. I. tanned snake and reptile skins.	Rs. 0·63 (sixty three paise only) per kg.
	2103	Tanned hides and skins chrome tanned (chrorome tanned blue hides and skins) other than chrome crust leather and reptile skins.	0·7 per cent (Point seven percent only) of the F.O.B. value.
	2104	Tanned hides and skins, chrome tanned chrome crust leather other than reptile skin.	2 per cent (Two per cent only) of the F.O.B. value.
	2105	All types of finished leather, leather belting, picking bands, buffers, sheep/calf roller skins and leather approvs other than reptile skins and reptile leather.	3·6 per cent (Three point six percent only of the F.O.B. value.

1	2	3	4
2106	Light categories of travel and other leather goods like attache cases, brief cases, ladies hand bags, walets leather apparel, purses, etc.		
	(*a*) Bridles with brass fittings like rings, buckles etc.		7·8 per cent (Seven point eight per cent only) of the F. O. B. value.
	(*b*) All others		5·3 per cent (Five point three per cent only) of the F. O. B. value.
2107	Heavy leather goods, like saddlery items, leather trunks, leather suit cases.		5·3 per cent (Five point three percent only) of the F. O. B. value.
2108	Industrial leather Gloves		4·8 per cent (Four point eight percent only) of the F. O. B. value.
2109	Chrome leather washers, all sorts		Rs. 1010·00 (Rupees one thousand ten only) per tonne.
2110	Leather pickers		Rs. 12·85 (Rupees twelve and paise eighty five only) per gross.
22	*Veneers, Plywood, improved or Reconstituted wood products made thereof*:		
2201	Veneers, plywood, imroved or reconstituted wood, product made threof, not elsewhere specified.		Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
2202	Tea Chest made of plywood panels with aluminium foll lining on all the sides and with tin pla'e metal fittings on edges used as packing material for export of tea.		Rs. 150·50 (Rupees one hundred fifty and paise fifty only) per 100 sq. metres of surface area of tea chests.
2203	Tea chest made of plywood panels used as packing materials for export of Tea (other than those falling under Sub-Serial No. 2202) and plywood panels for tea chests and fittings thereof.		
	(*i*) plywood panels for Tea chest.		
	(*a*) when used in a tea chest for export of tea.		Rs. 77·80 (Rupees seventy seven and paise eighty only) per 100 square metres of the surface area of such tea chests.
	(*b*) When cut to size in panels or shooks and exported as such		Rs. 34·90 (Rupees thirty four and paise ninety only) per 100 square metres.
	(*ii*) Metal fittings of tea chests made of tine plate.		Rs. 0·84 (Eight four paise only) per kg.
	(*iii*) Wirenails, tenter hooks and rivets		Rs. 0·30 (Thirty paise only) per kg.
	(*iv*) Tissue paper for Wrapping battens or for lining aluminium foils		Rs. 1·20 (Rupees one and paise twenty only) per kg.
	(*v*) Aluminium foil.		Rs. 4·37 (Rupees four and paise thirty seven only) per kg.
2204	Plywood, all sorts not elsewhere specified.		Rs. 16·10 (Rupees sixteen and paise ten only) per glue line per 100 square metres.
2205	Plywood cases, other than tea chests—		
	(*i*) Panels of surface area of 5625 square cm. or less each.		Rs. 57·75 (Rupees fifty seven and paise seventy five only) per 100 square metres of such panels.

1	2	3	4
		(*ii*) Panels of surface area exceeding 5625 square cms each.	Rs. 117·70 (Rupees one hundred seventeen and paise seventy only) per 100 square metres of such panels.
		Explanation.—(1) The rate under Sub-Serial No. 2205 is for 4 mm thickness of plywood panels, The rate shall be proportionately enhanced or reduced for other thickness.	
		(2) The drawback per 100 square metres of glue line prescribed in Sub-Serial No. 2204 shall be allowed in additional to the rates prescribed under Sub-Serial No. 2205.	
23	*Cork manufactures including Crown corks*:		
	2301	Cork manufactures including crown corks not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	2302	Cork stoppers .	Rs. 110·70 (Rupees one hundred ten and paise seventy only) per quintal.
	2303	Cork Discs . . .	Rs. 107·00 (Rupees one hundred seven only) per quintal.
24	*Paper pulp, paper, paper boards, fibre board, other boards of wood pulp or vegetable fibre articles made thereof printed matter, books, magazines*:		
	2401	Paper pulp, paper, paper board, fibre board other board of wood pulp or vegetable fibre, articles made thereof printed matter, books, magazines not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	2402	Playing cards—	
		(*i*) made out of art board . .	Rs. 1·12 (Rupees one and paise twelve only) per kg.
		(*ii*) made out of pulp board	Rs. 0·60 (Sixty paise only) per kg.
	2403	Vacant.	
	2404	Vacant.	
	2405	Vacant.	
	2406	Vacant.	
	2407	Articles not elsewhere specified made of blotting toilet, tissue (other than cigarette tissue), teleprinter, typewriting, manifold bank, bond, art paper, chrome paper tub sized paper, cheque paper, stamp paper, cartidge paper and parchment where such paper, is—.	
		(*i*) of 40 to 45 grammes per square metre.	Rs. 0·62 (Sixty two paise only) per kg.
		(*ii*) other than of 40 to 45 grammes per square metre.	Rs. 1·08 (Rupees one and paise eight only) per kg.
	2408	News papers.	Nil
	2409	Articles not elsewhere specified made of printing and writing paper—	
		(i) of a substance exceeding 65 grammes per sq. metre.	Rs. 0·60 (Sixty paise only) per kg.

1	2	3	4
		(ii) of substance not exceeding 65 grammes per square metre excluding coloured varieties.	Rs. 0·14 (Fourteen paise only) per kg.
		(iii) of a substance not exceeding 65 grammes per sq. metre coloured varieties.	Rs. 0·60 (Sixty paise only) per kg.
2410		Articles not elsewhere specified made of packing and wrapping paper.	Rs. 0·57 (Fifty seven paise only) per kg.
2411		Articles not elsewhere specified made of pulp board, grey board, duplex board and triplex board.	Rs. 0·60 (Sixty paise only) per kg.
2412		Articles not elsewhere specified made of coated board including art board, chrome board and board for playing cards.	Rs. 1·12 (Rupee one and paise twelve only) per kg.
2413		Articles not elsewhere specified made of straw board and mill board.	Rs. 0·24 (Twenty four paise only) per kg.
2414		Articles not elsewhere specified made of corrugated board.	Rs. 0·78 (Seventy eight paise only) per kg.
2415		Articles not elsewhere specified made of paper and paper board (other than cigarette tissue paper and paper/paper board specified in Sub-serial Nos. 2407 to 2414 etc.).	
		(i) if the article is made of paper	Rs. 0·87 (Eighty seven paise only) per kg.
		(ii) if the article is made of board	Rs. 1·20 (Rupee one and paise twenty only) per kg.
2416		Flat files fitted with clips	As per rate specified against Sub-serial Nos. 2411 on pulp board and 3618 on tin plate content.
2417		Paper cones made of packing and wrapping paper, pulp board, grey board, duplex and triplex boards.	Rs. 73·28 (Rupees seventy three and paise twenty eight only) per quintal.
2418		Paper cones made of straw board and/or mill board.	Rs. 30·65 (Rupees thirty and paise sixty five only) per quintal.
2419		Books—	
		(a) where the printing paper (excluding covers) used is of a substance exceeding 65 gms.	Rs. 0·78 (Seventy eight paise only) per kg.
		(b) where printing paper (excluding covers) used is of a substance of 65 gms or less.	Rs. 0·67 (Sixty seven paise only) per kg.
2420		Periodicals in bound or flat folded sheets other than newspapers.	Rs. 0·67 (Sixty seven paise only) per kg.
2421		Articles not elsewhere specified, made of polythene coated paper.	Appropriate rate specified against Sub-serial No. 2407 to 2415 above on paper content plus appropriate rate specified against Sub-serial No. 1914 on polythene content.
2422		Articles not elsewhere specified made of cigarette tissue paper.	Rs. 3·15 (Rupees three and paise fifteen only) per kg. of cigarette tissue content in product.
2423		Articles not elsewhere specified made of combination of the articles specified at Sub-serial No. 2403 to 2418 and 2421 to 2422 or of paper/paper board mentioned in these Sub-serial Nos.	Appropriate rates specified against the relevant Sub-serial Nos. in respect of each type of paper/paper board content.

1	2	3	4
	2424	Paper or paper board used as packing materials.	At the appropriate rate specified against Sub-serial Nos. 2407 to 2415.
	2425	Paper tubes, all sorts including resin impregnated paper tubes, with or without in shields :—	
		(i) made from packing and wrapping paper.	At the appropriate rate specified against Sub-serial No. 2410.
		(ii) made from mill board and straw board.	At the appropriate rate specified against Sub-serial No. 2413.
		(iii) made from grey board, duplex board triplex board and pulp board.	At the appropriate rate specified against Sub-Serial No. 2411.
25	*Synthetic and Regenerated fibre and textile yarn thread, twines, cords and ropes:*		
	2501	Synthetic and regenerated fibre and textile yarn, thread, twines, cord and ropes not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	2502	(A) Yarn of above 21 BWS counts or above 14 n.f. counts, spun wholly out of either viscose rayon fibre or acetate fibre or polyester fibre or polyamide fibre or acrylic-fibre or wool or from a combination of two and not more than two of the above mentioned fibres, or a combination of any one of the above mentioned fibres with either cotton or silk (but excluding yarn spun out of fibres obtained from fibre wastes, yarn wastes, or fabric wastes, by garnetting or by any other process):—	
		(a) Cellulosic fibre content	Rs. 1·20 (Rupee one and paise twenty only) per kg.
		(b) Content of polyester fibre of 2 deniers or less.	Rs. 43·70 (Rupees forty three and paise seventy only) per kg.
		(c) Content of polyester fibre of more than 2 deniers.	Rs. 43·70 (Rupees forty three and paise seventy only) per kg.
		(d) Acrylic fibre content . .	Rs. 15·10 (Rupees fifteen and paise ten only) per kg.
		(e) Polyamide fibre content . .	Rs. 36·15 (Rupees thirty six and paise fifteen only) per kg.
		(f) Wool contents :—	
		(i) in the worsted yarn of weaving quality.	Rs. 28·60 (Rupees twenty eight and paise sixty only) per kg.
		(ii) in the worsted hosiery yarn and worsted handknitting yarn.	Rs. 23·50 (Rupees twenty three and paise fifty only) per kg.
		(g) Dye content if the yarn is dyed.	Rs. 0·85 (Paise eighty five only) per kg.

Provided that :—

(i) the drawback at the above rates on account of fibre content and wool content may be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares, and if necessary produce proof to the satisfaction of the Collector that the synthetic fibres mentioned at (a) to (e) above contained in the export goods are duty paid virgin fibres (and not the fibres obtained from fibre wastes, yarn waste or fabric waste by garnetting or by any other process) ; and the wool mentioned at (f) above is only imported duty paid wool

(ii) no rebate of the duty paid on fibres has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.

1	2	3	4
		(iii) the drawback at the above rates on fibre content may not be allowed in respect of those fibres for which the declaration as aforesaid has not been made and proof as aforesaid has not been produced ;	
		(B) All Wool worsted handknitting yarn of 21 BWS or less counts.	
		(i) Wool content.	Rs. 21·58 (Rupees twenty one and paise fifty eight only) per kg.
		(ii) Dye content if the yarn is dyed.	Rs. 0·85 (Paise eighty five only) per kg. of yarn.
		Provided that the drawback at the above rate in respect of wool content may be admissible only if the manufacturer/ exporter at the time of shipment declares and if necessary produces proof to the satisfaction of the Collector that the wool content in the export goods is imported duty paid Wool and that the yarn is worsted.	
		(C) All Wool Worsted yarn (excluding all Wool Worsted handknitting yarn) of 21 BWS or less counts—	
		(i) Wool content.	Rs. 5·40 (Rupees five and paise forty only) per kg.
		(ii) Dye content if the yarn is dyed.	Rs. 0·85 (Paise eighty five only) per kg. of the yarn.
		Provided that the drawback at the above rate in respect of Wool content may be admissible only if the manufacturer/ exporter at the time of shipment declares, and if necessary produces proof to the satisfaction of the Collector that the yarn is Worsted yarn.	
		(D) Dyed yarn spun out of fibres containing synthetic fibres and/or Wool and obtained from fibre wastes, yarn wastes, or fabric wastes by granetting or by any other process.	Rs. 0·85 (Paise eighty five only) per kg. of the yarn.
2503		Thread, Twine, Cord and rope made out of spun yarn containing cotton, silk, Wool and man made fibres but not containing jute —	
		(A) Yarn content :—	
		(I) Content of yarn spun wholly out of synthetic staple fibte of cellulosic origin or out of synthetic staple fibre of cellulosic origin and cotton provided that the cotton content of yarn doos not exceed 10% of its weight —	
		Of or more n.f. count / But less than n.f. count.	
		(a) 84 n.f. ..	Rs. 2·60 (Rupees two and paise sixty only) per kg.
		(b) 69 n.f. 84 n.f.	Rs. 2·10 (Rupees two and paise ten only) per kg.
		(c) 51 n.f. 69 n.f.	Rs. 1.83 (Rupee one and paise eighty three only) per kg.
		(d) 40 n.f. 51 n.f.	Rs. 1·57 (Rupees one and paise fifty seven only) per kg.
		(e) 34 n.f. 40 n.f.	Rs. 1·04 (Rupees one and paise four only) per kg.
		(f) 29 n.f. 34 n.f.	Rs. 0·94 (Paise ninety four only) per kg.
		(g) 22 n.f. 29 n.f.	Rs. 0·42 (Paise forty two only) per kg.

1	2	3	4
	(h) 14 n.f.	22 n.f.	Rs. 0·21 (Paise twenty one only) per kg.
	(i) ...	14 n.f.	Rs. 0·10 (Paise ten only) per kg.
	(II) Content of yarn spun out of synthetic staple fibre of cellulosic origin and wool and or silk provided the wool and/or silk content of the yarn does not exceed 10% of its weight.		Rs. 7·85 (Rupees seven and paise eighty five only) per kg.
	(III) Content of yarn spun wholly out of synthetic polyester or polyamide staple fibres or partly out of staple fibres aforesaid and partly out of acrylic fibre/cellulosic staple fibre/ wool/cotton/silk provided the wool and/or cotton and/or silk content, if any does not exceed 10% of its weight and if the non-cellulosic (polyester/polyamide) fibre content of it is—		
	(a) 50% or more		Rs. 15·69 (Rupees fifteen and paise sixty nine only) per kg.
	(b) less than 50% but not less than 25%		Rs. 12·55 (Rupees twelve and paise fifty five only) per kg.
	(c) less than 25% but more than 10%		Rs. 10·46 (Rupees then and paise forty six only) per kg.
	(d) 10% or less.		Rs. 7·84 (Rupees seven and paise eighty four only) per kg.
	(IV) Content of yarn spun either wholly out of acrylic fibre or partly of such acrylic fibre and partly of cotton and/or silk and/or wool provided the cotton/silk/wool content is not more than 10% of its weight—		
	(a) worsted handknitting yarn.		Rs. 7·32 (Rupees seven and paise thirty two only) per kg.
	(b) worsted, other than handknitting yarn—		
	(1) of 40 n.f. counts and above.		Rs. 14·64 (Rupees fourteen and paise sixty four only) per kg.
	(2) of above 20 n.f. counts but below 40 n.f. counts.		Rs. 8·37 (Rupees eight and paise thirty seven only) per kg.
	(3) of 20 n.f. counts and below.		Rs. 4·18 (Rupees four and paise eighteen only) per kg.
	(c) other than worsted—		
	(i) of 40 n.f. counts and above.		Rs. 8·37 (Rupees eight and paise thirty seven only) per kg.
	(ii) of above 20 n.f. counts but below 40 n.f. counts.		Rs. 5·23 (Rupees five and paise twenty three only) per kg.
	(iii) of 20 n.f. counts and below.		Rs. 3·14 (Rupees three and paise fourteen only) per kg.

1	2	3	4
		(V) Content of yarns containing not less than 90% by weight of wool calculated on the total fibre content of yarn—	
		(a) content of worsted hand knitting grey yarn.	Rs. 2·04 (Rupees two and paise four only) per kg.
		(b) content of worsted handknitting yarn processed and/or dyed or spun from dyed wool.	Rs. 10·20 (Rupees ten and paise twenty only) per kg.
		(c) content of worsted yarn other than hand knitting—	
		(i) of 48 BWS counts and above.	Rs. 14·05 (Rupees fourteen and paise five only) per kg.
		(ii) of above 24 BWS counts but below 24 BWS counts.	Rs. 4·89 (Rupees four and paise eighty nine only per kg,
		(iii) of 24 BWS Counts and below	Rs. 2.04 (Rupees two and paise four only) per kg.
		(d) Content of woollen yarn (containing not more than 5 % virgin wool), commonly known as shoddy or woollen yarns, made from tannery or stripped wool.	Rs. 0·78 (Paise seventy eight only per kg.
		(e) Content of woollen yarn other than that falling under (a), (b), (c) and (d) above.	Rs. 1·67 (Rupee one and paise sixty seven only) per kg.
		(VI) Content of yarn spun from two or more of the following fibres viz. cotton, silk, wool and synthetic man made fibres (but excluding jute) provided the weight of each of the fibres specified above is less than 90%—	
		(a) vacant.	
		(b) (1) Content of yarn containing partly synthetic staple fibre of non-cellulosic origin and partly wool, the content of such synthetic staple fibre being more than 50 percent by weight of such yarn if non-cellulosic fibre content of it is—	
		(i) 60% or more.	Rs. 15·69 (Rupees fifteen and paise sixty nine only) per kg.
		(ii) More than 56% but less than 60%	Rs. 12·55 (Rupees twelve and paise fifty five only) per kg.
		(iii) More than 50% but not more than 56%—	
		(a) if the count of yarn is 34 n.f. or less.	Rs. 8·37 (Rupees eight and paise thirty seven only) per kg.
		(b) if the count of yarn is above 34 n.f.	Rs. 10·46 (Rupees ten and paise forty six only) per kg.
		(2) Content of yarn partly of synthetic* staple of non-cellulosic origin and partly of any other fibre or fibres (excluding wool), if non-cellulosic fibre content by weight of such yarn is—	
		(i) 50% or more	Rs. 15·69 (Rupees fifteen and paise sixty nine only) per kg.

1	2	3	4
		(ii) Less than 50% but not less than 25%.	Rs. 12.55 (Rupees twelve and paise fifty five only) per kg.
		(iii) Less than 25% but more than 10%	Rs. 10·46 (Rupees ten and paise forty six only) per kg.
		(iv) 10% or less.	Rs. 7·84 (Rupees seven and paise eighty four only) per kg.
		(c) Content of yarn containing partly synthetic fibre of cellulosic origin and/or cotton and partly wool, provided that the content of synthetic staple fibre of cellulosic origin and/or cotton is more than 50% by weight of such yarn if the wool fibre content of it is—	
		(i) 40%or more but less than 50%and the count of yarn is 34 n.f. or less	Rs. 6.27 (Rupees six and paise twenty seven only) per kg.
		(ii) 40% or more but less than 50% and the count of yarn is above 34 n.f.	Rs. 8·37 (Rupees eight and paise thirty seven only) per kg.
		(iii) 20% or more but less than 40% and the count of yarn is 34 n.f. or less	Rs. 4·18 (Rupee four and paise eighteen only) per kg.
		(iv) 20% or more but less than 40% and the count of yarn is above 34 n.f.	Rs. 6·27 (Rupees six and paise twenty seven only) per kg.
		(v) less than 20% and the count of yarn is 34. n.f. or less.	Rs. 2·09 (Rupees two and paise nine only) per kg.
		(vi) less than 20% and the count of yarn is above 34 n.f.	Rs. 4·18 (Rupees four and paise eighteen only) per kg.
		(d) Content of yarn containing partly wool and/or acrylic fibre and partly any other fibre or fibres provided that the wool and/or acrylic fibre content is more than 50% by weight of such yarn—	
		(i) worsted handknitting grey yarn.	Rs. 2.09 (Rupees two and paise nine only) per kg.
		(ii) worsted handknitting processed and/or dyed yarn.	Rs. 10.46 (Rupees ten and paise forty six only) per kg.
		(iii) Worsted yarn other than handknitting yarn—	
		(1) of 40 n.f. counts and above.	Rs. 14·12 (Rupees fourteen and paise twelve only) per kg.
		(2) of above 20 n.f. counts but below 40 n.f. counts.	Rs. 4.70 (Rupees four and paise seventy only) per kg.
		(3) of 20 n.f. counts and below.	Rs. 2.09 (Rupees two and paise nine only) per kg.
		(iv) Yarn (containing not less than 60% of wool and not more than 5% of virgin wool) commonly known as shoddy.	Rs. 0.78 (Paise seventy eight only) per kg.
		(v) Yarn other than worsted yarn or shoddy yarn.	Rs. 1.67 (Rupees one and paise sixty seven only) per kg.
		(e) Content of yarn made out of synthetic stable fibre of cellulosic origin and cotton provided content of each of the above fibres is less than 90%—	
		Of or more count but less then count	
		(i) 84 n.f.	Rs. 2.60 (Rupees two and paise sixty only) per kg.

1	2	3	4
	(ii) 69 n.f.	34 n.f.	Rs. 2.10 (Rupees two and paise ten only per kg.
	(iii) 51 n.f.	69 n.f.	Rs. 1.83 (Rupees one and paise eighty three only) per kg.
	(iv) 40 n.f.	51 n.f.	Rs. 1.57 (Rupee one and paise fifty seven only) per kg.
	(v) 34 n.f.	40 n.f.	Rs. 1.04 (Repee one paise four only) per kg.
	(vi) 29 n.f.	34 n.f.	Rs. 0.94 (Paise ninety four only) per kg.
	(vii) 22 n.f.	29 n.f.	Rs. 0.42 (paise forty two only) per kg.
	(viii) 14 n.f.	22 n.f.	Rs. 0.21 (paise twenty one only) per kg.
	(ix) ..	14 n.f.	Rs. 0.10 (paise ten only) per kg.
	(f) Content of yarn containing partly silk fibre and partly any other fibre or fibres provided that the silk fibre content is more than 50% by weight of such yarn.		
	(i) of 34 n.f. counts or less.		Rs. 13.60 (Rupees thirteen and paise sixty only) per kg.
	(ii) of more than 34 n.f. counts.		Rs. 15.69 (Rupees fifteen and paise sixty nine only) per kg.

Provided that the drawback on account of yarn content specified at (A) above may be admissible if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares that yarn used is duty paid and specifies the Sub-Serial No., item and sub-items under which the draw back is claimed, giving the fibre compositions in the yarn, and if the Collector is satisfied that the yarn falls under that Sub-Serial No., item an sub-item. Otherwise, the rewbeck at other appropriate rate, decided on the basis of evidence available may be granted.

	(B) Dyes content of goods made out of yarns specified at sub-item A) above if they contain an aggregate of 50% or more of wool and/or synthetic man made fibre and where the goods are yarn dyed or piece dyed.	Rs. 0.90 (Ninety paise only) per kg. of the spun yarn content of the goods.
	(C) (i) Fibre content in goods mede out of yarns of above 21 BWS counts/above 14 n.f. counts,	
	(a) polyester fibre of not more than 2 denries.	Rs. 45.56 (Rupees forty five and paise fifty six only) per kg.
	(b) Polyester fibre of more than 2 deniers.	Rs. 45·56 (Rupees forty five and paise fifty six only) per kg.
	(c) Polyamide fibre	Rs. 37.68 (Rupees thirty seven and paise sixty eight only) per kg.
	(d) Cellulosic fibre.	Rs. 1.26 (Rupee one and paise twenty six only) per kg.
	(e) Acrylic fibre.	Rs. 15.75 (Rupees fifteen and paise seventy five only) per kg.
	(f) Wool content in worsted yarn of weaving quality.	Rs. 39.80 (Rupees twenty nine and paise eighty only) per kg.
	(g) Wool content in worsted yarn of hosiery quality and worsted hand knitting woollen yarn (knitting wool)—	Rs. 24.50 (Rupees twenty four and paise fifty only) per kg.
	(h) Cotton content in yarn	

1	2	3	4
		(i) of above 34 n.f. or more but less than 51 n.f. count.	Rs. 0.82 (Eighty two paise only) per kg.
		(ii) of and above 51 n.f. but less than 69 n.f. counts.	Rs. 1.87 (Rupees one and paise eighty seven only) per kg.
		(iii) of and above 60 n.f. counts.	Rs. 3.18 (Rupees three and paise eighteen only) per kg.

Provided that (1) the drawback at the above rates on account of fibre content and wool content may be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares and, if necessary produces proof to the satisfaction of the Collector that

(a) the synthetic fibres mentioned at items (a) to (e) above contained in export goods are duty paid virgin fibres (and not the fibres obtained from fibre wastes, yarn wastes, or fabric wastes by garretting or by any other process); and

(b) the wool mentioned at items (f) and (g) above is only imported duty paid wool and that the yarn is worsted.

(1) No rebate of the duty paid on fibres has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.

(2) the drawback at the above rates on fibre content may not be allowed in respect of those fibres for which the declaration as aforesaid has not been made and proof as aforesaid has not been produced.

		(ii) Wool content in goods made out of all wool worsted hand knitting yarn of 21 BWS or less counts.	Rs. 22·50 (Ruppes twenty two and paise fifty only) per kg.

Provided that the drawback at the above rate in respect of wool content may be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares and if necessary, produces poof to the satisfaction of the Collector that the wool content in the export goods is imported duty paid wool and that the yarn is worsted.

		(iii) Wool content in goods made out of all wool worsted yarn (excluding hand knitting yarn) of 21 BWS or less counts.	Rs. 5.60 (Rupees five and paise sixty only) per kg.

Provided that the drawback at the above rate in respect of wool content may be admissible of the manufacturer/exporter at the time of Shipment declares and if necessary, produces proof to the satisfaction of the Collector that the yarn is worsted yarn.

2504	(A) Cotton yarn—		
	(a) Processed		
		(i) if the yarn is of and above 34 n.f. but less than 51 n.f. counts.	Rs. 0.82 (Eighty two paise only) per kg.
		(ii) if the yarn is of and above 51 n.f. but less than 69 n.f. counts.	Rs. 1.87 (Rupees one and paise eighty seven only) per kg.
		(iii) if the yarn is of and above 69 n.f. counts.	Rs. 3.18 (Rupees three and paise eighteen only) per kg.
	(b) Grey (unprocessed)		
		(i) if the yarn is of and above 34 n.f. but less than 51 n.f. counts.	Rs. 0.79 (Seventy nine paise only) per kg.
		(ii) if the yarn is of and above 51 n.f. but less than 69 n.f. counts.	Rs. 1.80 (Rupee one and paise eighty only) per kg.
		(ii) if the yarn is of and above 69 n.f. counts.	Rs. 3.06 (Rupees three and paise six only) per kg.

1	2	3	4
		(B) Cotton Thread	
		(*a*) Processed	
		(*i*) where all strands of yarns used in the threads are of and above 34 n. f. but less than 51 n. f. counts.	Rs. 0·82 (Eighty two paise only) per kg.
		(*ii*) where all strands of yarn used in the thread are of and above 51 n.f. but less than 69 n. f. counts.	Rs. 1·87 (Rupees one and paise eighty seven only) per kg.
		(*iii*) where all strands of yarns used in the thread are of and above 69 n.f. counts.	Rs. 3·18 (Rupees three and paise eighteen only) per kg.
		(*b*) Grey (unprocessed)	
		(*i*) where all strands of yarn used in the thread are of and above 34 n.f. but less than 51 n. f. counts.	Rs. 0·79 (Seventy nine paise only) per kg.
		(*ii*) where all strands of yarn used in the thread are of and above 51 n.f. but less than 69 n. f. counts.	Rs. 1·80 (Rupees one and paise eighty only) per kg.
		(*iii*) where all strands of yarn used in the thread are of and above 69 n.f. counts.	Rs. 3·06 (Rupees three and paise six only) per kg.
2505	Vacant		
2506	Jute yarn twist twine thread and rope containing not less than 90 per cent by weight of jute (including Bimlipatam jute or mesta fibre) when exported as such or when used for packing other export goods.		Rs. 600/- (Rupees six hundred only) per tonne plus appropriate rate fixed under Sub-Serial No. 1003 on Refined Diesel Oil or jute batching oil content.

Provided that the when goods are exported as such the drawback at the above rate shall apply, if the exporter declares on the shipping bill and also produces proof to the satisfaction of the Collector that the goods are duty paid and that no rebate under rule 12 of the Central Excise Rules, 1944 has been claimed in respect of such consignment. Provided also that when the jute goods are used for packing of other export goods, the procedure prescribed under rule 191-A and rule 191-B of the Central Excise Rules has not been followed in respect of such jute goods.

2507	Oiled coir ropes of all sizes	Rs. 110 (Rupees one hundred and ten only) per tonne.
2508	(*a*) Sisal Ropes manufactured in accordance with BSS 2052/1953	Rs. 1481·30 (Rupees one thousand four hundred eighty one and paise thirty only) per tonne.

Provided that the above rate shall apply only if the manufacturer certifies on the shipping bill at the time of export and also produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs that such sisal ropes have been wholly manufactured from grades, 1, 3-L, 2,3 and UG of sisal fibre.

	(*b*) Manila Ropes manufactured in accordance with BSS 2052/1953.	Rs. 2792·70 (Rupees two thousand seven hundred ninety two and paise seventy only). per tonne.

Provided that the above rate shall apply only if the manufacturer certifies on the shipping bill at the time of export and also produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs that such manila ropes have been wholly manufactured from grades SI, S-2, S-3, GI, and J.K. varieties of manila hemp fibres.

	(*c*) All other ropes, lines cordages, twines and slings made wholly or partly from sisal fibre and/or manila hemp fibre.	

1	2	3	4
		(*i*) Sisal fibre content	Rs. 1192·35 (Rupees one thousand one hundred ninety two and paise thirty five only) per tonne.
		(*ii*) Manila hemp fibre content	Rs. 1939·52 (Rupees one thousand nine hundred thirty nine and paise fifty two only) per tonne.
	2509	Viscose filament yarn	Rs. 0·62 (Paise sixty two only) per kg.
	2510	Vacant.	
	2511	Polyamide Filament Yarn	Rs. 3·50 (Rupees three and paise fifty only) per kg.
	2512	Polyester Filament Yarn	Rs. 0·50 (Paise fifty only) per kg.

Provided that the rates of drawback prescribed under sub-serial No. 2509, 2511 and 2512 may also apply to exports of fabric made out of above filament yarns and exported under bond under rule 13 or rule 14 of the Central Excise Rules, 1944 without payment of excise duty on such filament yarn.

	2513	Thread, twines, cords (excluding parachute cords and opes made wholly out of synthetic man made filament, yarn.	
		(A) Polyester filament yarn content—	
		(*i*) below 30 deniers	Rs. 66·50 (Rupees sixty six and paise fifty only) per kg.
		(*ii*) 30 deniers and above but below 75 deniers.	Rs. 60·80 (Rupees sixty and paise eighty only) per kg.
		(*iii*) 75 deniers and above but below 100 deniers.	Rs. 50·70 (Rupees fifty and paise seventy only) per kg.
		(*iv*) 100 deniers and above but not above 750 deniers	Rs. 47·90 (Rupees forty seven and paise ninety only) per kg.
		(*v*) above 750 deniers	Rs. 15·50 (Rupees fifteen and paise fifty only) per kg.
		(B) Polyamide filament yarn content—	
		(*i*) Below 35 deniers	Rs. 42·45 (Rupees forty two and paise forty fiive only) per kg.
		(*ii*) 35 deniers and above but less than 80 deniers.	Rs. 39·40 (Rupees thirty nine and paise forty only) per kg.
		(*iii*) 80 deniers and above but less than 110 deniers	Rs. 32·00 (Rupees thirty two only) per kg.
		(*iv*) 110 deniers and above but less than 150 deniers.	Rs. 27·00 (Rupees twenty seven only) per kg.
		(*v*) 150 deniers and above but not above 750 deniers.	Rs. 16·15 (Dupees sixteen and paise fifteen only) per kg.
		(*v*) above 750 deniers	Rs. 9·35 (Rupees nine and paise thirty five only) per kg.
		(C) Viscose filament yarn content—	
		(*i*) below 75 deniers	Rs. 12·02 (Rupees twelve and paise two only) per kg.
		(*ii*) 75 deniers and above but below 100 deniers	Rs. 8·02 (Rupees eight and paise two only) per kg.
		(*iii*) 100 deniers and above but below 120 deniers	Rs. 5·87 (Rupees five and paise eighty seven only) per kg.
		(*iv*) 120 deniers and above but below 150 deniers.	Rs. 4·97 (Rupees four and paise ninety seven only) per kg.
		(*v*) 150 deniers and above but below 350 deniers	Rs. 4·37 (Rupees four and paise thirty seven only) per kg.

1	2	3	4
		(*vi*) 350 deniers and above but not above 1100 deniers.	Rs. 3·12 (Rupees three and paise twelve only) per kg.
		(*vii*) Above 1100 deniers	Rs. 2·62 (Rupees two and paise sixty two only) per kg.
		(D) Acetate filament yarn content—	
		(*i*) below 75 deniers	Rs. 10·35 (Rupees ten and paise thirty five only) per kg.
		(*ii*) 75 deniers and above but below 100 deniers.	Rs. 7·80 (Rupees seven and paise eighty only) per kg.
		(*iii*) 100 deniers and above but below 120 deniers	Rs. 5·80 (Rupees five and paise eighty only) per kg.
		(*iv*) 120 deniers and above but below 150 deniers.	Rs. 4·00 (Rupees four only) per kg.
		(*v*) 150 deniers and above but below 350 deniers	Rs. 3·70 (Rupees three and paise seventy only) per kg.
		(*vi*) 350 deniers and above but not above 1100 deniers.	Rs. 3·05 (Rupees three and paise five only) per kg.
		(*vii*) Above 1100 deniers	Rs. 2·55 (Rupees two and paise fifty five only) per kg.

Provided that the rates specified above in relation to the yarn content may apply only if the Central Excise duty on the yarn has been paid at the appropriate rates and no rebate of the said duty has been oqtained under the Central Excise Rules, 1944.

26		*Textiles Fabrics and Hosiery* :	
	2601	Textile fabrics and hosiery not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/ exporters.
	2602	Processed cotton fabrics containing more than 90 per cent of cotton.	(*a*) Rs. 0·82 (Paise eighty two only) per kg. of content of cotton in cotton yarn of counts 34 n. f. and above but less than 51 n. f. counts.
			(*b*) Rs. 1·87 (Rupee one and paise eight seven only) per kg. of content of cotton in cotton yarn of count of 51 n. f. and above but less than 69 n. f. counts.
			(*c*) Rs. 3·18 (Rupees three and paise eighteen only) per kg. of content of of cotton in cotton yarn of and above 69 n. f. counts.
	2603	Unprocessed cotton fabrics containing more than 90 percent of cotton	(*a*) Rs. 0·79 (Paise seventy nine only) per kg. of content of cotton in cotton yarn of counts 34 n. f. and above but less than 51 n. f. counts.
			(*b*) Rs. 1.80(Rupee one and paise eighty only) per kg. of content of cotton in cotton yarn of counts 51 n. f. and above but less than 69 n.f. counts.
			(*c*) Rs. 3·06 (Rupees three and paise six only) per kg. of content of cotton in cotton yarn of and above 69 n.f. counts.
	2604	Vacant.	
	2605	Vacant.	
	2606	Fabrics and hosiery made wholly out of spun yarns containing cotton, silk, wool and man made fiqres but not containing jute.	Rates for yarn contents, dye content, and fibre content as specified against sub-serial Nol 2503 subject to the conditions mentioned therein.

1	2	3	4

Provided that no drawback on account of yarn content shall be admissible in respect of fabrics using yarns specified at Sub-Serial No. 2503 (A) VI (*e*).

2607	Hosiery made of cotton yarn (including knitted fabrics of cotton yarn)	
	(*a*) Grey	92·5 per cent (Ninety two point five per cent only) of the appropriate rate of drawback specified against sub-serial No. 2628.
	(*b*) Other than grey	The appropriate rate specified against sub-serial No. 2628.
2608	Vacant.	
2609	Vacant.	
2610	Vacant.	
2611	Vacant.	
2612	Vacant.	
2613	Vacant.	
2614	Vacant.	
2615	Vacant.	
2616	Vacant.	
2617	Vacant.	
2618	Vacant.	
2619	Vacant.	
2620	Fabrics and hosiery made of wholly out of synthetic man made filament yarn.	Rates of yarn contents as specified at Sub-Serial No. 2513, subject to the condition mentioned therein.
2621	Vacant.	
2622	Jute fabrics containing not less than 90 per cent by weight of jute (including Bimlipatam jute or mesta fibre when exported as such or when used for packing other export goods.	Rs. 600/- (Rupees six hundred only) per tonne plus a ppropriate rates fixed under Sub-Serial No. 1003 on Refined Diesel Oil or jute batching oil tontent.

1. Provided that when the goods are exported as such, the drawback at the above rate shall apply if the exporter declares on the Shipping Bill and also produces proof to the satisfaction of the Collector that the goods are duty paid and that no rebate under rule 12 of the Central Excise Rules 1944 has been claimed in respect of such cosignment.

2. Provided also that when the jute goods are used for packing of other export goods, the procedure prescribed under rule 191A and rule 191B of the Central Excise Rules has not been followed in respect of such jute goods.

2623	Cotton handloom fabrics nemely the following :—	
	(i) Real Madras handkerchief with art silk embelishment.	1% (One percent only) of the FOB value or Rs. 0·51 (Fifty one paise only) per kg. whichever is more.
	(ii) Handloom lungies including handloom lungies containing Radiant yarn.	2·4% (Two point four percent only) of the F.O.B. value.
	(iii) All other handloom fabrics which are either piece dyed and/or made from coloured yearns and/or printed (but excluding such fabrics which contain coloured yarns only in border and not in the body of the fabric and/or which are only printed in borders and not in the body of the fabrics.)	Rs. 0·51 (Fifty one paise only) per kg.

1	2	3	4
2624	Vacant.		
2625	Textile fabrics coated or laminated with preparation of polyvinyl chloride compound.		
	(1) Polyvinyl chloride compound content.		Rs. 118 00 (Rupees one hundred eighteen only) per quintal.
	(2) Base fabric content (excluding powerloom and handloom fabrics).		
	(i) when the base fabric is cotton fabric of the following categories		
	(a) Coarse grey/bleached/dyed fabric.		Rs. 5·80 (Rupees five and paise eight only) per hundred square metres.
	(b) Medium B Grey/bleached/dyed fabric.		Rs. 10·40 (Rupees ten and paise forty only) per hundred square metres.
	(c) Medium 'A' Grey fabric.		Rs. 16 00 (Rupees sixteen only) per hundred square metres
	(d) Medium 'A' bleached or dyed fabric.		Rs. 18 50 (Rupees eighteen and paise fifty only) per hundred square metres.
	(ii) Where the base fabric is viscose rayon staple fibre fabric		The rates fixed under Sub-Sl. No. 2503 shall apply
	Provided that :—		
	(i) where the exporter does not claim rebate of duty of excise on base cotton fabric (other than powerloom fabrics) under Central Excise Rules, 1944 or where such textile fabric coated or laminated with preparation of polyvinyl chloride compound have not been manufactured in accordance with the procedures prescribed under rule 96D or 191A or 191-B of the said Rules, the above rate of drawback shall apply in toto.		
	(ii) where the exporter has claimed rebate of duty of excise on the base cotton fabrics (excluding handloom or powerloom fabrics) or availed of the procedures mentioned above in respect of base cotton fabrics (excluding cotton handloom/powerloom fabrics) or polyvinyl chloride sheeting, the rate of drawback shall apply subject to the modification that the rate specified in respect of base fabric content and/or polyvinyl chloride content as the case may be, shall not apply.		
2626	Fabrics and Hosiery partly made out of synthetic man made filament yarn and partly out of spun yarn containing cotton, silk wool and man made fibres but not containing jute, where such yarns are used as warp or weft or both or as emblishment decoration yarn.		Rates for yarn contents, fibre contents and eyes content specified against S No. 2503 and/or 2513 as the case may be subject to the conditions mentioned therein provided that no drawback of yarn content be admissible in respect of fabrics using yarn as specified at S. No 250 3(a) (vi) (e)
2627	Vacant.		
2628	Cotton fabrics falling under Item No. 19-I of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 and manufactured on powerlooms.		
	(i) of 84 or more counts of yarn content.		Rs. 5 86 (Rupees five and paise eighty six only) per kg.
	(ii) of 69 or more counts but less than 84 counts of yarn content.		Rs 5·33 (Rupees five and paise thirty three only) per kg.

1	2	3	4
		(iii) of 51 or more counts but less than 69 counts of yarn content.	Rs. 3·75 (Rupees three and paise seventy five only) per kg.
		(iv) of 40 or more counts but less than 51 counts of yarn content.	Rs. 2 43 (Rupees two and paise forty three only) per kg.
		(v) of 34 or more counts but less than 40 counts of yarn content.	Rs. 1·89 (Rupee one and paise eighty nine only) per kg.
		(vi) of 29 or more counts but less than 34 counts of yarn content.	Rs. 0·96 (Ninety six paise only) per kg.
		(vii) of 22 or more counts but less than 29 counts of yarn content.	Rs. 0·43 (Forty three paise only) per kg
		(viii) of 14 or more counts but less than 22 counts of yarn content.	Rs. 0·21 (TWenty one paise only) per kg.
		(ix) Of less than 14 counts of yarn content.	Rs. 0·10 (Ten paise only) per kg.

Provided that —

(i) where the fabric contains 2 or more yarns of different counts and/or falling under different count groups mentioned above, the drawback shall be allowed on the basis of the weight of each category of yarn at the rate applicable to the count groups aforesaid.

(ii) the count of yarn shall be size of grey unsized yarn expressed as the number of 1000 metres hanks per one half kg.

(iii) the manufacturer/exporter declares in the shipping bill that central excise duty on yarn used in the manufacture of cotton fabrics has been paid

27 *Made up articles, Garments Chiefly made from textile materials.*

2701	Made up articles garments, chiefly made from textile materials not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
2702	Readymade garments made of cotton handloom fabrics.	1·6 % (one point six percent only) of the F.O.B. Value.
2703	Made up articles of cotton handloom fabrics falling under Sub-Serial No. 2623(ii) & 2623(iii).	Rs. 0·51 (Fifty one paise only) per kg.
2704	Vacant.	
2705	Ribbons inked or uninked used on typewriters and similar office equipment.	Rs. 0·90 (Ninety paise only) per sq metre of ribbon made of cotton fabrics of superfine category.
2706	Knitwear and other made up articles made wholly out of spun yarns containing cotton silk wool and man-made fibres but not containing jute.	Rate for yarn contents dye content and fibre content as specified against Sub-Serial No. 2503 subject to conditions mentioned therein.

Provided that no drawback on account of yarn content shall be admissible in respect of made up articles of fabrics using yarn specified at Sub-Serial No. 2503(A) (VI)(c)

2707 Vacant.
2708 Vacant.
2709 Vacant.
2710 Vacant.
2711 Vacant.
2712 Vacant.
2713 Vacant.
2714 Vacant.
2715 Vacant.
2716 Vacant.
2717 Vacant.
2718 Vacant.
2719 Vacant.

1	2	3	4
2720	Knitwear and other made up articles made partly out of synthetic man made filament yarn and partly out of spun yarns containing cotton, silk, wool and man made fibres but not containing jute, where such yarns are used as warp or weft or both or as embellishment/decorations.		Rates for yarn contents fibre content and dye content as specified against S-S. No. 2503 and/or 2513 as the case may be, subject to the conditions mentioned therein provided that no drawback on account of yarn content be admissible in respect of made up articles of fabrics using yarn specified at S.-S. No 2503(A) (vi) (c).
2721	Knitwear and other made up articles (excluding fishnets) manufactured wholly out of synthetic man made filament yarn.		Rates for yarn content as specified against S. S. No 2513 subject to the conditions mentioned therein.
2722	Jute manufactures not elsewhere specified containing not less than 90% by weight of jute (including Bimlipatam Jute or mesta fibre) when exported as such or when used for packing other goods.		Rs. 600/- (Rupee six hundered only) per tonne plus appropriate rate fixed under S-Sr. No. 1003 on refined diesel oil or jute batching oil content.
	(1) Provided that when the goods are exported as such the drawback at the above rate shall apply if the exporter declares on the shipping bill and also produces proof to the satisfaction of the Collector that the goods are duty paid and that no rebate under rule 12 of the Cen. Excise Rules, 1944 has been claimed in respect of such consignment.		
	(2) Provided also that when the jute goods are used for packing of other export goods the procedure prescribed under rule 191A and Rule 191B of the Cen. Excise Rules, has not been availed of.		
2723	Coir products containing jute and sisal.		Appropriate rate under Sub-Serial No 2508(c)(1) in so far as sisal fibre content is concerned plus appropriate rate for jute content, if any as specified under Sub-Serial No. 2622.
2724	Gas mantles—		*Rates per* 100 *gross*
	(i) 200 CP		Rs. 177·35 (Rupees one hundred seventy seven and paise thirty five only).
	(ii) 300 CP		Rs. 179·25 (Rupees one hundred seventy nine and paise twenty five only).
	(iii) 400 CP		Rs. 201·00 (Rupees two hundred and one only).
	(iv) 500 CP		Rs. 214·75 (Rupees two hundred fourteen and paise seventy five only).
	(v) 600 CP		Rs. 225·70 (Rupees two hundred twenty five and paise seventy only).
	(vi) 800 CP		Rs. 234·85 (Rupees two hundred thirty four and paise eighty five only).
	(vii) 1000 CP		Rs. 234·85 (Rupees two hundred thirty four and paise eighty five only).
2725	Cotton Shoe laces.		
	(i) White Shoe Laces tipped with cellulose acetate.		Rs. 0·45 (Paise forty five only) per kg.
	(ii) Coloured shoe laces tipped with cellulose acetate.		Rs 0·65 (Paise sixty five only) per kg.

1	2	3	4
	2726	Jute goods which are lined/laminated/extrusion coated with paper or polythene or both—	
		(i) Jute and polythene content.	The appropriate rate fixed under Sub-Serial No. 2622 in respect of jute content plus the appropriate rate fixed under Sub-Serial No. 1914 for articles made of polyethylene in respect of polyethylene content if any.
		(ii) Paper content.	Appropriate rate fixed under Serial No. 24.
	2727	Cotton Waterproof tarpaulins fitted with brass or aluminimum eyelets:—	
		(i) where the export FOB value of the tarpaulins does not exceed Rs. 4·20 per sq. metre.	4% (four percent only) of the F. O. B. value.
		(ii) Where the export F. O. B. value of the tarpaulins exceed Rs. 4·20 per sq. metre.	7·5% (Seven point five percent only) of the F.O.B. value.
		Provided that the manufacturer/exporter has not availed of the procedure prescribed under rule 191A 191B of the Central Excise Rules, 1944 in respect of the manufacture of cotton waterproof tarpaulins.	
	2728	Rayon tapes or Rayon bands of all sizes made from rayon filament yarn.	Rs. 2·30 (Rupees two and paise thirty only) per kg.
	2729	Impregnated incandescent chemicalised gas mantle hoses exported in running lengthis—	
		(i) Gas mantle Hoses with ramie or button thread provided weight of ramie or button thread does not exceed 2% by weight of gas mantle hoses or Gas mantle hoses without ramie or button thread.	Rs. 3·15 (Rupees three and paise fifteen only) per kg.
		(ii) Asbestos yarn for the gas mantle hoses.	Rs. 0·96 (Ninety six paise only) per kg.
	2730	All types of ready made garment made from textile fabrics but excluding garments made from (i) partially or wholly pure silk, (ii) cotton handloom and powerloom and (iii) hosiery—	
		(i) where proof of payment of duty on fabrics used in the manufacture of garments is produced.	1·5% (one point five percent only of the export F. O. B. value plus 103·5% (One hundred three point five percent only) of the drawback rates fixed in respect of the fabrics falling under Sub.Serial Nos. 2602, 2603, 2606, 2620 and 2626 as the case may be on the fabric content of the garments, Plus 103·5% (One hundred three point five percent only) of the actual central excise duty paid on the fabric content of the garments.

1	2	3	4
		(ii) Others	3·5% (Three point five percent only) of the export F. O. B. value plus 103·5%(One hundred three point five percent only) of the drawback rates fixed in respect of fabrics falling under sub-serial Nos. 2602, 2603, 2606, 2620, and 2626 as the case may be on the fabric content of garments.

Provided that where the exporter has availed of the procedure under rule 191A or 191B of the Central Excise Rules 1944 the above rates of drawback shall not apply.

Explanation.—

(1) In order to establsish payment of central excise duty on fabrics cleared under a particular Gate Pass(GP)which have been used in the manufacture of garments and correlate the same with the export goods for claiming drawback under (i) above, the exporters/manufacturer shall file statement I and II in the proforma below, with the Assistant Collector of Customs of the port of export, as will as with the Director (Drawback), Ministry of Finance (Department of revenue and Insurance), New Delhi. Any modification in the said statement shall be instimated by the manufacturer/exporter to the Assistant Collector of Customs of port of export and the Director Drawback) Well before the shipment takes place.

(2) In those cases, where the manufacturers/exporters are unable to file statement I and II referred to above the claims shall be settled at the rates indicated against (ii) above.

(3) The expression 'fabric content' appearing at (1) and (ii) above refers only to the main/outer fabric contained in the garments and does not include the febric utilise in interlining collars, cuffs, pockets etc. and other embellishment.

Statement I

Statement I showing the receipt of duty paid fabric for manufacture of the goods exported under Contract No.....dated.....and Shipping Bill No.....dated.....

Serial No.	Description of fabrics (mention scort No.)	Name and address of the Mill supplying the fabric.	Gate Pass No. & Date	Linear Meteres	Width
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Sq. Metres	No. of Sq. metres per kg.	Rate of duty	Total amount of duty	Composition of Fibre in warp and weft. Warp/Weft	Construction of fabrics		
					Warp Count	Weft Reeds count	Pick
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	

Whether fabrics are bleached, dyed, printed.	Description of garments manufactured from this fabric (Give S. No. of statement II).	Remarks.
(13)	(14)	(15)

NOTE.—The particulars in the above statement should pertain only to the main fabric used in export garments and only in respect of those receipts which are actually used in the export goods covered by the Shipping Bill mentioned above. The particulars in respect of fabrics used for pocket, lining etc. need not be shown.

Statement II

Serial No.	Description of ready-made garments.	Code No. of garments mentioned in Col. 2.	Sl. No. of statement I showing the fabric from which garments are made	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Serial No. in Sch. II appended to the Rules	Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback
1	2	3	4
28 *Floor Covering including carpets*			
	2801	Floor covering including carpets not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	2802	Woollen carpets other than machine made woollen tufted carpets.	Rs. 1·10 (Rupee one and paise ten only) per kg.
		Explanation.—'Woollen Carpet' means carpet, woollen yarn content of which is not less than 50 % by weight.	
	2803	Coir and sisal mats or mattings.	Appropriate rate under Sub-Serial No. 2508(c)(i) in so far as sisal fibres content is concerned plus appropriate rate for jute product content, if any, as specified against Sub-Serial No. 2622.
	2804	Mats and mattings made wholly or partly from sisal fibre and/or manila hemp fibre.	Appropriate rate under Sub-Serial No. 2508(c)(i) in so far as sisal fibre content is concerned and appropriate rates for manila hemp fibre content under sub-serial No. 2508(c)(ii).
	2805	Woollen druggets including kelims with cotton yarn or liner yarn in warp and woollen yarn in weft.	Re. 0·25 (Twenty five paise only) per kg. of drugget/Kelims.
29 *Footwear and parts of footwear*			
	2901	Footwear and parts of footwear not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/ exporter.
	2902	Footwear and components of footwear (excluding canvas footwear, plastic footwear, rubber footwear, footwear with tyre sole and Kohlapuri chappals.)	5·3% (Five point three percent only) of the F.O.B. value or the following rate whichever is less :—
			(a) Men's Leather shoes with rubber or leather soles—Rs. 1·06 (Rupee one and paise six only) per pair.
			(b) Ladies leather shoes or sandals—Re. 0·33 (Thirty three paise only) per pair.
			(c) Boys leather shoes with rubber or leather soles—Re. 0·80 (Eighty paise only) per pair.
			(d) Children leather shoes with rubbe or leather soles—Re. 0·80 (Eighty paise only) per pair.
			(e) Men's leather sandals with rubber or leather soles—Re. 0·64 (Sixty four paise only) per pair.
			(f) Boys leather sandals with rubber or leather soles—Re. 0·48 (Forty eight paise only) per pair.
			(g) Children leather sandals with rubber or leather soles—Re. 0·48 (Forty eight paise only) per pair.
			(h) Chappals (excluding Kohlapuri Chappals) with rubber or leather soles—Re. 0.32 (Thirty two paise only) per pair.

1	2	3	4
	2903	Canvas footwear—	
		(a) Gents.	Rs. 359·75 (Rupees three hundred fifty nine and paise seventy five only) per one thousand pairs.
		(b) Ladies.	Rs. 301·74 (Rupees three hundred one and paise seventy four only) per one thousand pairs.
		(c) Children.	Rs. 181·47 (Rupees one hundred eighty one and paise fourty seven only) per one thousand pairs.
30	*Umbrellas and umbrellas fittings* :		
	3001	Umbrellas and umbrellas fittings not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.
	3002	Umbrellas and Umbrella parts :	
		A—Ribs :	
		(i) Fluted ribs	Rs. 625·60 (Rupees six hundred twenty five and paise sixty only) per metric tonne.
		(ii) Other types of ribs *i.e.* solid ribs and flexus ribs.	Rs. 317·60 (Rupees three hundred seventeen and paise sixty only) per metric tonne.
		B. Umbrella handels and sticks :	
		(i) Made of CRCA Steel sheets/ strips.	Drawback at the rate admissible under Sub-Serial No. 3640 (f).
		(ii) Others.	Drawback at the aporopriate rate if, any according to the material of which the handles or the sticks are made.
		C. Umbrella frames-assembled or unassembled.	Drawback at the appropriate rate as specified at (A) above plus the drawback at the appropriate rate as specified at (B) above.
		D. Umbrellas complete-assembled or unassembled.	(i) Drawback at the appropriate rate as specified at (6) above plus the drawback as specified at (ii) below in respect of cotton fabric content of the un umbrellas. (ii) Type of Umbrella — Rate of drawback per ten dozens. 15″ x 8 — Rs. 6·97 (Rupees six and paise ninety seven only). 17″ x 8 — Rs. 9·05 (Rupees nine and paise five only). 19″ x 8 — Rs. 10·09 (Rupees ten and paise nine only). 20″ x 8 — Rs. 10·61 (Rupees ten and paise sixty one only). 20″ x 10 — Rs. 11·70 (Rupees eleven and paise seventy only). 21″x 8 — Rs. 10·66 (Rupees ten and paise sixty six only).

1	2	3	4
			21" x 10 Rs. 11·96 (Rupees eleven and paise *ninety six* only).
			23" x 8 Rs. 11·96 (Rupees eleven and paise ninety six only).
			23" x 10 Rs. 13·00 (Rupees thirteen only).
			24" x 8 Rs. 12·85 (Rupee-twelve and paise eighty five only).
			25" x 8 Rs. 13·31 (Rupees thirteen and paise thirty one only).
			25" x 10 Rs. 14·35 (Rupees Fourteen and paise thirty five only).
			25" x 12 Rs. 15·08 (Rupees fifteen and paise eight only).
			25"x 16 Rs. 15·91 (Rupees fifteen and paise ninety one only).
			27" x 8 Rs. 15·60 (Rupees fifteen and paise sixty only).
			27" x 10 Rs. 16·22 (Rupees sixteen and paise twenty two only).
			27"x 12 Rs. 17.16 (Rupees a seventeen and paise sixteen only).
			27"x 16 Rs. 18·72 (Rupees eighteen and paise seventy two only).
		The above rates are exclusive of drawback on packing materials which may be claimed separately at the prescribed rates.	
31	*Human Hair and products thereof*:		
	3101	Human hair and products thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.
32	*Products made of Asbestos Cement or both* :		
	3201	Products made of asbestos cement or both not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer exporter.
	3202	Asbestos cement products. . .	Rs. 852/- (Rupees eight hundered fifty two only) per tonne of asbestos content and Rs. 41·50 (Rupees-forty one and paise fifty only) per tonn of cement content.
33	*Ceramic products, refractories potteries* :		
	3301	Ceramic products, refractories potteries not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.

1	2	3	4
34		*Glass and Glassware including Glass mirrors and vaccum flasks* :	
	3401	Glass and Glassware including glass mirrors and vaccum flalks not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	3402	Glass and Glassware :	
		(a) Sheet Glass and Plate glass.	Rs. 20·45 (Rupees twenty and paise forty five only) per tonne.
		(b) Laboratory Glassware.	Rs. 84·95 (Rupees eighty four and paise ninety five only) per tonne.
		(c) Glass shells for electric lighting bulbs and fluorescent lighting tubes.	Rs. 25·90 (Rupees twenty five and paise ninety only) per tonne.
		(d) Glass shells, Glass globes and glass chimneys for lamps and lanterns other than those specified at (c) above.	Rs. 25·90 (Rupees twenty five and paise ninety only) per tonne.
		(e) Glass bottles :	
		(i) when exported as such.	Rs. 25·90 (Rupees twenty five and paise ninety only) per tonne.
		(ii) when used for packing other export goods.	Rs. 140·60 (Rupees one hundred forty and paise sixty only) per tonne.
		(f) Glass vials/phials/ampoules when used for packing other export goods.	
		(i) of 5 cc/5 ml size and above but below 7·5cc/7·5 ml.	Rs. 7·35 (Rupees seven and paise thirty five only) per one thousand pieces.
		(ii) of 7·5cc/7·5 ml and above but below 10cc/10ml.	Rs. 8·45 (Rupees eight and paise forty five only) per one thousand pieces.
		(iii) of 10 cc/10ml and above but below 15cc/15ml.	Rs. 10·60 (Rupees ten and paise sixty only) per one thousand pieces.
		(iv) of 15cc/15ml & above but below 20cc/20ml.	Rs. 11·35 (Rupees eleven and paise thirty five only) per one thousand piece.
		(v) of 20 cc/20 ml. size.	Rs. 12·20 (Rupees twelve and paise twenty only) per one thousand piece.
		(g) All other glass and glassware including wired and figured glass.	Rs. 20·45 (Ruees twenty and paise forty five only) per tonne.
	3403	Vacant.	
	3404	Vaccum Flasks, all types.	9% (Nine per cent only) of the export f.o.b. value.
	3405	Refills for vaccum flasks, all types.	1·2% (one point two percent only) of the export f.o.b. value.
35		*Finished Cultured Pearls* :	
	3501	Finished cultured pearls that is to say, cultured pearls which have been produced by drilling, bleaching, polishing or otherwise processing raw cultured pearls or biwaco pearls.	Rs. 1·39 (Rupees one and paise thirty nine only) per gram of Biwaco pearel content and Rs. 0·82 (Eighty two paise only) per gram of the content of cultured pearls other than Biwaco.
		Provided that at the time of exportation of the finished cultured pearls the exporter produces evidence to the satisfaction of the collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 105 grammes cultured pearls of Biwaco or other than Biwaco qualitity, as the case may be	

1	2	3	4
		has been imported by the manufacturer or exporter and used for the manufacture of every 100 grammes of the product exported, within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation and that the quantity of imported cultured pearls of Biwaco or other than Biwaco type has not been— (i) similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of finished cultured pearls, or (ii) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback.	
86	*Iron and Steel except ingots and other primary Forms (including Blanks for Tubes and Pipes) of Iron and Steel.*		
	3601	Iron and steel except ingots and other primary forms (including blanks for tubes and pipes) of iron and steel not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer exporter.
	3602	Printed tinned plates/tinned sheets.	Rs. 795.50 (Rupees seven hundred ninety-five and paise fifty only) per tonne.
		Provided that the rate of duty of central excise on tinned plates/tinned sheets used in the manufacture of printed tinned plates/ tinned sheets is not claimed, by the exporter separately under the Central Excise Rules, 1944 and export goods are made of duty paid tinned plates or tinned sheets.	
	3603	Baling hoops.	Rs. 393·75 (Rupees three hundred ninety three and paise seventy five only) per tonne.
	3604	Box strappings, steel hoops.	Rs. 393·75 (Rupees three hundred ninety three and pasise seventy five only per tonne.
		NOTE.—The rates at C. Nos. 3603 and 3604 will apply provided if only use for packing export products.	
	3605	Expanded metal (other than cast).	
		(i) Ungalvanised.	Rs. 413·40 (Rupees four hundered thirteen and paise forty only) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 570·00 (Rupees five hundered and seventy only) per tonne.
	3606	Fabricated steel structurals other than tubular steel sturucturals not elsewhere specified.	
		(i) Ungalvanised.	Rs. 303·15 (Rupees three hundred three and paise fifteen only) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 397·00 (Rupees three hundered ninety seven only) per tonne.
	3607	Steel are welding electrods.	Rs. 303·15 (Rupees three hundered three and paise fifteen only) per tonne.
	3608	Steel pipes and tubes all sorts including electric conduit pipes, tubular steel furniture tubular poles, steel structurals, tubuler and other products made entirely of steels pipes and tubes, not elsewhere specified, including furniture tubes and gas tubes and fittings thereof—	
		(a) Seamless pipes and tubes—	
		(i) Ungalvanised.	Rs. 303·15 (Rupees three hundred three and paise fifteen only) per tonne.

1	2	3	4
		(ii) Galvanised . . .	Rs. 467·45 (Rupees four hundred sixty seven and paise forty five only) per tonne.
		(b) Pipes and tubes with wall thickness more than 5 mm, other than seamless and other than those made of skelp—	
		(i) Ungalvanised . . .	Rs. 321·50 (Rupees three hundred twenty one and paise fifty only) per tonne.
		(ii) Galvanised . . .	Rs. 438·00 (Rupees four hundred thirty eight only) per tonne.
		(c) (i) Pipes and tubes made of skelp—	
		(a) Ungalvanised . . .	Rs. 511·85 (Rupees five hundred eleven and paise eighty five only) per tonne.
		(b) Galvanised. . . .	Rs. 661·50 Rupees six hundred sixty one and paise fifty only) per tonne.
		(ii) Pipes and tubes made of C.R. Sheets/Strips—	
		(a) Ungalvanised . .	Rs. 597·15 (Rupees five hundred ninety seven and paise fifteen only) per tonne.
		(b) Galvanised . .	Rs. 740·90 (Rupees seven hundred forty and paise ninety only) per tonne.

Provided that the drawback at the rates at Sub-items (c) above shall apply if at the time of exportation, the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that the goods have been manufactured out of skelp, or C.R. Sheets or C.R. Stripes, as the case may be, and appropriate duty at the rate applicable to skelp /C.R. Sheets/Sheets/C.R. Strips as the case may be under item 26AA of the first Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) has been paid on such skelp C.R. Sheets/C.R. Strips.

		(d) Pipes and tubes other than seamless pipes and tubes with wall thickness less than 5 mm other than these and (c) above—	
		(i) Ungalvanised	Rs. 413·40 (Rupees four hundred thirteen and paise forty only) per tonne.
		(ii) Galvanised	Rs. 570·00 (Rupees five hundred seventy only) per tonne.
		(e) Fitting for steel pipes and tubes.—	
		(1) made of steel (other than cast)—	
		(i) of less than 5 mm wall thickness	
		(a) Ungalvanised . .	Rs. 413·40 (Rupees for hundred thirteen and paise forty only) per tonne.
		(b) Galvanised . .	Rs. 570·00 (Rupees five hundred seventy only) per tonne.
		(ii) of wall thickness 5 mm or more	
		(a) Ungalvanised . .	Rs. 321·50 (Rupees three hundred twenty one and paise fifty only) per tonne.
		(b) Galvanised . .	Rs. 438·00 (Rupees four hundred thirty eight only) per tonne.

1	2	3	4
		(2) Malleable iron pipe fittings—	
		(i) Ungalvanised	Rs. 50·00 (Rupees fifty only) per tonne.
		(ii) Galvanised	Rs. 232·00 (Rupees two hundred and thirty two only) per tonne.
		Provided that the rebate of the Central Excise duty paid on the steel sections used in the manufacture of pipes and tubes etc. has not been availed of under Central Excise Rules or the export is not being made under bond.	
3609		(a) Rails and sleeper bars . .	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
		(b) Railway track materials N.O.S. made of steel (other than caste)—	
		(i) Ungalvanised . . .	Rs. 311·85 (Rupees three hundred eleven and paise eighty five only) per tonne.
		(ii) Galvanised . . .	Rs. 475·50 (Rupees four hundred seventy five and paise fifty only) per tonne.
3610		Spring steel bars	Rs. 288·75 (Rupees two hundred eighty eight and paise seventy five only) per tonne.
3611		Steel bars and rods Nos. (round square and flats).)	Do.
3612		Steel castings, both unmachined and machined including cast steel components of engineering goods.	Rs. 175·00 (Rupees one hundred and seventy five only) per tonne.
3613		Steel structurals light and heavy non-fabricated	
		(i) Ungalvanised . . .	Rs. 288·75 (Rupees two hundred eighty eight and paise seventy five only) per tonne.
		(ii) Galvanised	Rs. 383·20 (Rupees three hundred eighty three and paise twenty only) per tonne.
3614		Bright steel bars and shafts made from mild steel.	Rs. 311·85 (Rupees three hundred eleven and paise eighty five only) per tonne.
		Provided that the rebate of Central Excise duty paid on the steel sections used in the manufacture of products at Sub-serial Nos. 3610 to 3614 has not been availed of under Central Excise Rules or the export is not being made under bond.	
3615		Steel flexible tubing—	
		(i) Ungalvanised . . .	Rs. 614·25 (Rupees six hundred fourteen and paise twenty five only) per tonne.
		(ii) Galvanised	Rs. 756·75 (Rupees seven hundred fifty six and paise seventy five only per tonne.
3616		Articles made of iron all sorts including iron castings, both machined or unmachined and cast iron components of engineering goods, and also including iron pipes and tubes all sorts and fittings or such pipes and tubes made of iron.	
		(i) Ungalvanised	Rs. 50·00 (Rupees fifty only) per tonne.
		(ii) Galvanised	Rs. 232·00 (Rupees two hundred thirty two only) per tonne.

2	3	4
3617	Steel wire products, namely wire gauge, mesh netting, chain link fencing steel stranded wires, panel pins, steel wire and plate nails all sorts, steel barbed wire and wire brushes.	
	(i) Ungalvanised . . .	Rs. 303 15 (Rupees three hundred three and paise fifteen only) per tonne.
	(ii) Galvanised	Rs. 467·45 (Rupees four hundred sixty seven and paise forty five only) per tonne.
3618	Tin plate products, including tin plate containers (empty assembled, or unassembled), tin plate components of containers, tin plate washers or mathematical instruments, boxes, made of tin plate, advertisement tablets, trays, match box covers, screw caps and necks, stove cleaning needles and desk pad made of tin plate.	Rs. 842·40 (Rupees eight hundred forty two and paise forty only) per tonne.
3619	Hurricane Lanterns (excluding glass globes/shells).	Rs. 796·25 (Rupees seven hundred ninety six and paise twenty five only) per tonne.
3620	Belt fasteners made of steel other than cast.	Rs. 425·25 (Rupees four hundred twenty five and paise twenty five only) per tonne.
3621	Bolts, nuts and rivets and gate hooks and eyes, steel screws and machine screws and rivets—	
	(a) Ungalvanised . . .	Rs. 311·85 (Rupees three hundred eleven and paise eighty five only) per tonne.
	(ii) Galvanised . . .	Rs. 475·50 (Rupees four hundred seventy five and paise fifty only) per tonne.
3622	Builders hardware made of steel not elsewhere specified including hinges, hasps, staples, tower bolts and padlocks.—	
	(a) made of sheets/strips less than 5 mm (thick)	Rs. 413·40 (Rupees four hundred thirteen and paise forty only) per tonne.
	(b) Others . . .	Rs. 303·15 (Rupees three hundred three and paise fifteen only) per tonne.
3623	Collapsible gates made of steel .	Rs. 311·85 (Rupees three hundred eleven and paise eighty five only) per tonne.
3624	Enamelware . . .	Rs. 614·25 (Rupees six hundred fourteen and paise twenty five only) per tonne.
3625	Galvanised steel buckets . .	Rs. 581·00 (Rupees five hundred eighty one only) per tonne.
3626	Galvanised steel bath tubs . .	Do.
3627	Galvanised steel water bottles . .	Do.
3628	Miscellaneous hardware, made of steel other than cast.	Rs. 303·15 (Rupees three hundred three and paise fifteen only) per tonne.

1	2	3	4
3629	Mild steel washers—		
		(i) Ungalvanised	Rs. 425·25 (Rupees four hundred twenty five and paise twenty five only) per tonne.
		(ii) Galvanised	Rs. 581·00 (Rupees five hundred eighty one only) per tonne.
3630	Rolling shutters		Rs. 425·25 (Rupees four hundred twenty five and paise twenty five only). per tonne.
3631	Assembled or unassembled steel drums, galvanised or black when empty—		
		(i) Ungalvanised	Rs. 425·25 (Rupees four hundred twenty five and paise twenty five only) per tonne.
		(ii) Galvanised	Rs. 581·00 (Rupees five hundred eighty one only) per tonne.
3632	Steel ghamelas/circles for ghamelas and pans.		Rs. 614·25 (Rupees six hundred four teen and paise twenty five only) per tonne.
	Provided that no rebate of Central Excise duty paid on export of circles has been availed of under the Central Excise Rules and the export is not being made under bond.		
3633	Steel rack multiprong		Rs. 311.85 (Rupees three hundred eleven and paise eighty five only) per tonne.
3634	Steel rat traps and steel parts of rat traps.		Rs. 311·85 (Rupees three hundred eleven and paise eighty five ony) per tonne.
3635	Steel safes, coffers and cash boxes		Rs. 425·25 (Rupees four hundred twenty five and paise twenty five only) per tonne.
3636	Steel tanks assembled or unassembled		Rs. 321·50 (Rupees three hundred twenty one and paise fifty only) per tonne.
3637	Steel trunks		Rs. 425·25 (Rupees four hundred twenty five and paise twenty five only) per tonne.
3638	Tipping wagons		Rs. 330·75 (Rupees three hundred thirty and paise seventy five only) per tonne.
3639	Watering cans		Rs. 425·25 (Rupees four hundred twenty five and paise twenty five only) per tonne.
3640	Steel products not otherwise specified but excluding products falling under item Nos. 26 and 26AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944—		
	(a) Made of steel ingots-		
		(i) Ungalvanised	Rs. 183·75 (Rupees one hundred eighty three and paise seventy five only) per tonne.
		(ii) Galvanised	Rs. 282·40 (Rupees two hundred eighty two and paise fourty only per tonne.

1	2	3	4
		(b) made from semi-finished steel including bloom bilets, slabs sheet bars, and tin bars and hoe bars.	
		(i) Ungalvanised. . . .	Rs. 303·15 (Rupees three hundred three and paise fifteen only) per tonne.
		(ii) Galvanised. . . .	Rs. 397·00 (Rupees three hundred ninety seven only) per tonne.
		(c) Made from coils, wires joists, girders, angles other than slotted angles, channels, other than slotted channels, tees, beams, zeds, through piling and flats exceeding 10 mm in thickness—	
		(i) Ungalvanised. . . .	Rs. 303·15 (Rupees three hundred three and paise fifteen only) per tonne.
		(ii) Galvanised. . . .	Rs. 397·00 (Rupees three hundred ninety seven only) per tonne.
		(d) Made from bars and rods—	
		(i) Ungalvanised. . . .	Rs. 303·15 (Rupees three hundred three and paise fifteen only) per tonne
		(ii) Galvanised. . . .	Rs. 397·00 (Rupees three hundred ninety seven only) per tonne.
		(e) Made from flats exceeding 5 mm but not exceeding 10 mm in thickness or plates.	
		(i) Ungalvanised. . . .	Rs. 321·50 (Rupees three hundred twenty one and paise fifty only) tonne.
		(ii) Galvanised. . .	Rs. 414·70 (Rupees four hundred fourteen and paise seventy only) per tonne.
		(f) Made from cold rolled sheets and cold rolled strips.	
		(i) Ungalvanised. . . .	Rs. 597·15 (Rupees five hundred ninety seven and paise fifteen only) per tonne.
		(ii) Galvanised. . . .	Rs. 679·30 (Rupees six hundred seventy nine and paise thirty only) per tonne.
		(g) Vacant.	
		(h) Made from hot rolled sheets and strips flates not exceeding 5 mm in thickness and hoops—	
		(i) Ungalvanised. . . .	Rs. 413·40 (Rupees four hundred thirteen and paise forty only) per tonne.
		(ii) Galvanised. . . .	Rs. 502·90 (Rupees five hundred two and paise ninety only) per tonne.
		(i) Made from skelp—	
		(i) Ungalvanised. . . .	Rs. 511·90 (Rupees five hundred eleven and paise ninety only). per tonne.
		(ii) Galvanised. . . .	Rs. 597·40 (Rupees five hundred ninety seven and paise forty only) per tonne.
3641	Ball/Tapered Roller bearing . .		Rs. 475·00 (Rupees four hundred seventy five only) per tonne.

1	2	3	4
37	*Non ferrous metals and metal alloys*		
	3701	Non ferrous metals and metal alloys not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/ exporter.
	3702	Zinc products not elsewhere specified.	Rs. 2·65 (Rupees two and paise sixty five only) per kg.
		Provided that no rebate is claimed under Central Excise Rules, 1944 or the export has not been made under bound under the provisions of the Central Excise Rules, 1944.	
	3703	Aluminium Alloy Ingots and castings.	At the rate applicable under Sub-Serial No. 3803(iii) in respect of aluminium content.
		Provided that no rebate under rule 12 or benefit under rule 13 of the Central Excise Rules, 1944 has been availed of by the manufacturer/exporter.	
	3704	Vacant.	
	3705	Vacant.	
	3706	Articles made of mazak. . . .	Rs. 2·60 (Rupees two and paise sixty only) per kg.
	3707	Brass semis, circles, sheets and extrusions.	At the rate applicable under Sub-Serial No. 3801(b).
		Provided that rule 56A or rule 191A or 191B of the Central Excise Rules, 1944 has not been availed of in respect of the goods or articles.	
	3708	Vacant.	
	3709	Metal Alloys N. O.S. and articles made thereof, N.O.S.	Drawback at the rate applicable under sub-serial No. 3808(b) in respect of copper content, if any, plus Drawback at the rate applicable under Sub-Serial No. 3702 in respect of zinc content, if any, plus Drawback at the rate applicable under Sub-Serial No. 3822 in respect of lead content, if any, plus Drawback at Rs. 12·70 (Rupees twelve and paise seventy only) per kg. in respect of tin content, if any, plus Drawback at the rate applicable under Sub-Serial No. 3616(i) in respect of iron content, if any, plus Drawback at the rate applicable under Sub-Serial No. 3803 (iii) in respect of aluminium content, if any, plus Drawback at Rs. 9·80 (Rupees nine and paise eighty only) per kg. in respect of Nickle content, if any.

1	2	3	4
		Provided that no rebate is claimed under any of the Rate Rules of Central Excise Rules, 1944 and the export is not made under bond under the provisions of Central Excise Rules, 1944.	
38	*Manufacturers of Metals, not elsewhere specified.*		
	3801	Brass manufacture including brass builders, hardware and artware—	
		(a) (i) Utensils and other articles made out of sheets/strips.	Rs. 4·87 (Rupees four and paise eight seven only) per kg.
		(ii) Brass artware . . .	Rs. 3·25 (Rupees three and paise twenty five only) per kg.
		(b) Others.	Rs. 4·00 (Rupees four only) per kg.
		Provided that rule 56A or rule 191A or 191B of the Central Excise Rules, 1944 has not been availed of in respect of the goods or articles.	
	3802	Mild steel paper pins and clips. . .	
		(a) Copper coated. . . .	Rs. 500·00 (Rupees five hundered only) per tonne.
		(b) Other than copper coated. .	Rs. 303·15 (Rupees three hundred three and paise fifteen only) per tonne.
	3803	(i) Circular and oval shapped aluminium articles of thickness between 0·56 mm and 1·22 mm.	Rs. 1·64 (Rupee one and paise sixty four only) per kg.
		(ii) Aluminium articles manufactured from sheets, circles and strips not else where specified. i.e. excluding srticles mentioned at (i) above.	Rs. 2·32 (Rupees two and paise thirty two only) per Kg.
		(iii) Aluminium articles other than those specified in item No. 27 of the fiirst Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and articles mentioned in Item (i) and (ii) above not otherwise specified.	Rs. 1·53 (Rupees one and paise fifty three only) per Kg.
		Articles made of stainless steel :—	
	3804(A)	Utensils made wholly of sainless steel sheets.	Rs. 20·40 (Rupees twenty and paise forty only) per Kg.
	(B)	Hospital wares made wholly of stainless steel sheets such as kidney tray. bed pans sputum mugs etc.	Rs. 20·40 (Rupees twenty and paise forty only) per Kg.
	(C)	Copper bottomed utensils made of stainless steel sheets an copper.	Rs. 18·00 (Rupees eighteen only) per Kg.
	(D)	Watch straps.	Rs. 10·40 (Rupees ten and paise forty only) per Kg.
	(E)	Surgical instruments.	Rs. 0·50 (Paise fifty only) per Kg.
	(F)	Cutlery made of stainless steel sheets but excluding knives.	Rs. 4·60 (Rupees four and paise sixt only) per Kg.
	(G)	Cutlery made of stainless steel bars/rods plates.	[Rs. 0·45 (Pasie forty five only) per Kg,
	(H)	Knives.	Rs. 0·45 (Paise fory five only) per Kg.

1	2	3	4
		(I) Articles made of stainless steel not otherwise specified.	
		(i) Made of sheets—	
		(a) non-magnatic	Rs. 20·40 (Rupees twenty and pasise forty only) per Kg.
		(b) Magnetic.	Rs. 4·10 (Rupees four and paise ten only) per Kg.
		(ii) Others	Rs. 0·40 (Pasie forty only) per Kg.
3805	Vacant.		
3806	Vacant.		
3807	Vacant.		
3808	Articles made of copper not otherwise specified—		
		(a) Utensils and other articles made of sheets[srtrips.	Rs. 7·75 (Rupees seven and paise seventy five only) per Kg.
		(b) Other than (a) above.	Rs. 6·90 (Rupees six and paise ninety only) per Kg.
	Provided that no rebate is claimed under Central Excise Rules, 1944 or the export has not been made under bond under the provisions of Central Excise Rules, 1944.		
3809	Tin plate containers of 11·34 Kg. capacity containing cashed Kernels for which carbond ioxide is used for preservation.	(a) (i)	Rs. 842·40 (Rupees eight hundred fortytwo and paise forty only) per tonne of the net weight of empty containers as reduced by 12·5 gms per each container plus
		(ii)	Rs. 25·00 (Rupees twenty five only), per 1000 containers, plus,
		(iii)	Rs. 90·00 (Rupees ninety only) per 1000 containers plus
		(b)	whole of the duty paid under item 36 of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944.
	Provided that :—		
		(i)	the drawback specified in the sub-clause (ii) of clause (a) will be granted if the exemption under this Ministry's notification No.1/65-CE dated the 30th January, has not been availed of ;
		(ii)	the drawback at the rate specified in item (b) willbe granted where exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs, regarding the amount of duty paid on the Metal Containers, and

Provided further the exporter has not availed of procedure under Rule 12 or Rule 191 A of the Central Excise Rules, 944 in respect of the said duty.

1	2	3	4
3810	Sanitary cans dingley cans (including parts threof) when exported in flattened form or otherwise pr when used as containers for the export of (1) fish and fish products. (2) fruits and vegetable products, and (3) condensed milk		(a) Whole of the duty if any paid under item No. 46 of the First Schedule ot the Central Excises and Salt Act, 1944.plus (b) Rs. 185·00 (Rupees one thousand one hundred eighty five only) per tonne provided that where the exporters has not availed of the procedure under rule 12 or rule 191A of the Central Excise Rules, 1944, the drawback at the rate specified at items (a) and (b) shall apply in to to ; and where the exporter has availed of procedure under either of the said rules or where no duty under item No. 46 of the First Schedule to the Cenittal Excises and Salt Act, 1944 has been pald rate of drawback at the rates specified in item (b) above shall apply.
3811	Jerry can		Rs. 425·25 (Rupees four hundred twenty five and paise twenty five only) per tonne.
3812	Steel wire ropes all sorts (including locked civil wire ropes all sorts) with or without fibre core—		
	(a) Unglavanised.		Rs. 303·00 (Rupees three hundred three only) pr tonne of unlgavanised steel, content plus the drawback admissable in respect of sisal fibre content, and or Mahila hemp fibre content, if any under Sub-Serial No. 2508(c) plus the drawback admissible under jute fibre content under sub-Serial No. 2506
	(b) Galvanised.		Rs. 467·50 (Rupees four hundred sixty seven and paise fifty only) per tonne of galvised steel content plus the drawback admissible in respct of sisal fibre content, if any or manila fibre content if any under Sub-Serial No. 2508(c) plus the drawback admissible in respect of jute fiqre content under Sub-Serial No. 2506.
3813	Steel files, all sizes.		Rs. 800·00 (Rupees eight hundred only per tonne.
3814	Vacant.		
3815	Elecotroplated nlckel silver (EPS ware and articles.		Rs. 3·25 (Rupes three and paise twenty five only) per kg.
3816	Pressure stoves, pressure lamps lanterns and blow lamps made made of brass and metallic components thereof.	22	(Twenty two percent only) of the F. O. B. value.

2	3	4
3817	Gun metal valves all sorts and parts thereof.	(a) Rate admissible under Sub-Serial No. 3709 in respect of different contained in Gun Metal plus. (b) Rate admissible under Sub-serial No. 3616 (i) or 3616 (ii) as the care may in respect of iron content, plus Rate admissible under Sub-Serial No. 3621 (i) or 3621 (ii) as the case may be in respect of bolts and nuts.
3818	Self Lockin nuts fitted with Nylon inserts.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer exporter
3819	Steel drums when filled wi h asphalt,	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer exporter.
3820	Safety Razor Blades:—	
	(i) made from carbon steel.	Rs. 7·65 (Rupees seven and paise sixty five only) per 1000 blades.
	(ii) made from stainless steel strips	Rs. 14·45 (Rupees fourteen and paise forty five only) per 1000 blades.
	Note:— The above rate of drawback is inclusive of drawback on packing materials viz., wax paper and wrapper for individual blades; pulp board tucks and cartons ; and Cellophane. If the above packing materials are not used, the above rates shall be reduced by Rs. 0·60 (Sixty paise only) per 100 blades. The darwback will however be admissible on the packing materials actually used at the appropriate 'all industry' rates.	
3821	Enamelled Copper winding wire :—	
	(i) 23 gauge and thicker.	Rs. 8·53 (Rupees eight and paise fifty three only) per Kg.
	(ii) Thinner than 23 gauge and upto 35 gauge.	Rs. 8·43 (Rupees eight and paise forty three only) per Kg.
	(iii) Thinner than 35 gauge and upto 44 gauge.	Rs. 8.32 (Rupees eight and paise thirty two only) per kg.
3822	Articles made of lead not elsewhere specified.	Rs. 1950·00 (Rupees one thousand nine hundred fifty only) per tonne.
	Provided that no rebate is claimed under Central Excise Rules, 1944 or the export has not been made under Bond under the provisions of the central Excise Rules, 1944.	
3823	(i) Pressure cookers complete made of aluminium.	Rs. 1·80 (Rupees one and paise eighty only) per Kg. :
	(ii) Gaskets for Pressure Cookers	Rs. 0·30 (Thirty paise only) per Kg.
	(iii) Safety plugs with pintles.	Rs. 0·30 (Thirty paise only) per Kg.
	(iv) Handles of Pressure Cookers made of phenol formaldhyde moulding powder and exported with or without screws.	Drawback at the rate admissible under Sub-Serial No. 1910 in respect of phenol formaldehyde moulding pwoder, plus The drawback admissible in respect of aluminium acrews, if any, under Sub-Serial No. 3803 (iii) plus The drawback admissible in respect of steel screws, if any under Sub-Serial No. 3621.

1	2	3	4
	3824	Metal containers all sorts (Other than those made of aluminium) ordinarily intended for packaging of goods for sale, (including asks, drums, ars boxes, gas cylinders and pressure containers filled in with export goods (but excluding open topsenitary cans and tin containers of 11·34 Kg. capacity used for export of cashew kernels).	(a) Whole of the duty paid under item 46 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 plus (b) the drawback at the appropriate rate if any in respect of the material of which the container is made.
		Provided that :—	
		(i) The drawback at the rate specified in item (a) will be granted where the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs of having paid duty on the metal containers.	
		(ii) Where the exporter has not availed of the procedure under rule 12 or rule 191A of the Central Excise Rules, 1944 the drawback at the rate specfied at items (a) and (b) shall apply in toto and where the exporter has availed of the procedure under the said rules the rate of drawback at the rates specified in item (b) above shall apply.	
	3825	Sanitary and bath room water fittings—	
		(A) Chormium Plated made of Gun Metal.	At the rate applicable in respect of different metals contained in Gun metal under Sub-Serial No 3709.
		(B) Chromium plated made of brass.	At the rate applicable under Sub-Serial No. 3801 (b).
	3826	(i) Slotted angles, panels, panel plates, panel dividers and other accessories made out of steel sheets of thickness 2 mm and less.	Rs. 614·25 (Rupees six hundred fourteen and paise twenty five only) per tonne.
		(ii) Slotted angles, panels, panel plates panel dividers and other accessories not otherwise specified made of steel sheets.	Rs. 425·25 (Rupees four hundred twenty five and paise twenty five only) per tonne.
	3827	Aluminium foil laminated with paper/ polythene or interleaved with paper.	At the appropriate rate applicable under Sub-Serial Nos. 2407 or 2409 or 2410 as the case may be in so far as paper content if any, is concerned and at the rate applicable under Sub-Serial No. 1914 in respect of polythene content, if any.
	3828	Tyre Bead Wire	Rs. 301·00 (Rupees three hundred one only) per onne.
39		*Tools for use in the hand or machine* :	
	3901	Tools used in the hand or machine not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/ exporter.
	3902	Hand tools made of steel N. O. S. other than cast.	Rs. 311·85 (Rupees three hundred eleveh and paise eighty five only) per tonne.
	3903	Vacant.	
	3904	Gear cutting tools all types.	9% (Nine per cent only) of the F. O.B . value.
	3905	Sawa, segments and Saw blades	9% (Nine per cent only) of the F. O. B . value.
	3906	Diamond cutting tools including dressers and wheels, all types but excluding reconditioned diamond tools.	9% (Nine per cent only) of the F.G.B. value.

1	2	3	4
	3907	Drills of all types including twist drills.	9% Nin per cent only) of the F.O.B. value.
	3908	Tools for lathes shappers and planers all types.	9% (Nine per cent only) of the F.O.B. value.
	3909	Milling cutters of end mills all types.	9% (Nine percent only) of the F.O.B value.
	3910	Reamers.	9% (Nine percent only) of the F.O.B. value.
	3911	Threading tapes, threading dies and chasers.	9% (Nine percent only) of the F.O.B. value.
	3912	Small and cutting tools not elsewhere specified excluding broaches, dies, jigs and fixtures.	9% (Nine percent only) of the F.O.B. value.
	3913	(a) Hand tools (other than those made by castings), namely, the following Allen Head Key, all types, Pliers, Spanners, Wrenches, Or Screws and nut Drivers, all types, sockets, and tatches, all types, Clamp and nail pullers.	Rs. 433·00(Rupees four hundred thirty three only) per tonne.
		(b) Hand tools as stated in (a) above when nickel plated or chrome plated.	Rs. 486·00 (Rupees four hundred eighty six only) per tonne.
	3914	(1) Centre lathes, capstan lathes and turret lathes whether exported with or without accessories.	3·6% (Three point six per cent only) of the F.O.B. value.
		(2) Single spindle automatic lathes whether exported with or out accessories..	6% (Six percent only) of the F.O.B. value.
		(3) Multispindle automatic lathes including pre-selector lathes whether exported with or without accessories.	7·5% (Seven point five percent only) of the F.O.B. value.
		(4) Grinders, radial drills and all other machine tools whether exported with or without accessories.	2% (Two percent only) of the F.O.B. value.
40		*Power Generating Machinery, part thereof*	
	4001	Power Generating machinery, parts, thereof not else-where specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/ exporter.
	4002	(A) Vertical and horizontal diesel engines upto 40 H.P. (other than Marine diesel engines).	1·5 % (One point five per cent only) of the F.O.B. Value of export.
		(B) Component parts of Diesel Engines all types excepting component parts of Diesel Engines of Vehicular type.	
		(i) Articles or components made of cast iron.	0·5% (Point five perc ent only) of the F.O.B. value of export.
		(ii) Articles or components made of steel sections sheets and pipes.	3% (Three perc ent only) of the F.O.B. value of export.
		(iii) Others not covered by Sub - Serial Nos. (i) and (ii) above.	3% (Three per cent only) of the F.O.B. value of export.

1	2	3	4
	4003	E.O.T. Cranes.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/ exporter.
41		*Agricultural machinery and implements, parts thereof*:	
	4101	Agricultural machinery and implements, parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/ exporter.
	4102	Agricultural implements not otherwise specified made of steal, other than cast.	Rs. 311·85 (Rupees three hundred eleven and paise eighty five only) per tonne.
42		*Office machines parts thereof* :	
	4201	Office machines, parts thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacture exporter.
43		*Metal working Machinery, parts thereof*:	
	4301	Metal working machinery, parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.
44		*Textile Machinery, parts thereof* :	
	4401	Textile machinery, parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.
45		*Machinery for other purposes and industries, equipments, appliances, (other than Electrical)*:	
	4501	Machinery for other purposes and industries, equipments, appliances (other than electrical) not elsewhere specified, parts thereof.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer / exporter.
	1502	Oil Mill Machinery and component, parts thereof.	6% (Six per cent only) of the export f.o.b. value.
	4503	(1) Centrifugal and non-centrifugal pumps.	Rs. 110·00 (Rupees one hundred ten only) per tonnes.
		(2) Centrifugal and non-centrifugal pumps fitted with diesel engines.	1·5% (One point five per cent only) of the f.o.b. value plus central excise duty paid on pumps or on diesel engines provided the same has not been claimed / obtained as rebate or refund under Central Excise Rules and a certificate is also produced from the concerned Central Excise authorities to that effect.
		(3) Centrifugal and non-centrifugal pumps fitted with electric motors.	4% (Four percent only) of the f.o.b. value plus central excise duty paid on pumps or on electric motor, provided the same has not been claimed/ obtained as rebate or refund under central excise rules and a certificate is also produced from the concerned central excise authorities to that effect
	4504	Sewing Machines, all sorts, with or without hand attachment, base, cover, stand, table, arm, bed, including sewing machines in CKD/SKD condition and parts and accessories thereof.	2·5% (Two point five per cent only) of the f.o.b. value.

1	2	3	4
46	*Electrical power machinery, equipment for distributing electricity, switch-gear, parts thereof* :		
	4601	Electrical power machinery, equipment for distributing electricity, switch-gear, parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/ exporter.
	4602	Copper cables and conductors, all the sorts.	Rs. 8·60 (Rupees eight and paise sixty only) per kg. of copper content.
		Provided that no rebate of the counterveiling duty/Central Excise duty paid under item 26A of the Central Excise Tariff has been claimed / obtained under the Central Excise Rules, 1944 or the export is not made under bond in respect of Central Excise duty payable under the aforesaid tariff item.	
	4603	All aluminium conductors. . .	Rs. 1·74 (Rupee one and paise seventy four only) per kg. of aluminium content.
		Provided that no rebate of central excise duty paid under item 27 of the Central Excise tariff has been claimed or obtained under the Central Excise Rules, 1944 or the export is not made under bond in respect of central excise duty payable under the aforesaid tariff item.	
	4604	Insulated aluminium cables or conductors	(1) Rate admissible under sub-serial No. 4603 in respect of aluminium content. (2) Rate admissible under sub-sertial No. 1918 (a) in respect of P VC composition content. (3) Rate admissible under sub-serial No. 1914 in respect of Polythene content.
	4605	Aluminium conductors steel reinforced.	Rate of drawback applicable under sub-serial No. 4603 in respect of aluminium content plus the rate of drawback under sub-serial No. 3617(1) or 3617 (ii) as the case may be in respect of steel core content.
	4606	Paper Insulated Mass Impregnated lead sheathed power cables excluding pilot cables, telephone cables and electrostatic precipitator cables (DC).	
		(i) with copper conductors. . .	32 % (Thirty two per cent only) of the export of F. O. B. value.
		(ii) with aluminium conductors. .	27% (Twenty seven per cent only) of the export of F.O.B. value.
	4607	P.V.C. Insulated copper cables. -	(i) Rate of drawbacik admissible under sub-serial No. 1918 (a) for P.V. C. Compound content. (ii) Rate of drawback applicable in respect of copper content under sub-serial No. 4602.
	4608	Electric motors, all sorts of the following ratings only :—	
		(i) Upto 1 H.P. - . . .	Rs. 26·55 (Rupees twenty six and paise fifty five only) per H.P.
		(ii) Above 1 H.P. and upto and including 3 H.P.	Rs. 18·35 (Rupees eighteen and paise thirty five only) per H.P.
		(iii) Above 3 H.P. and upto and including 5 H.P.	Rs. 14·85 (Rupees fourteen and paise eighty five only) per H.P.

1	2	3	4
		(iv) Above 5 H.P. amd upto and including 25 H.P.	Rs. 13·70 (Rupees thirteen and paise seventy only) per H.P.
		(v) Above 25 H.P. and upto and including 100 H.P.	Rs. 11·55 (Rupees eleven and paise fifty five only) per H.P.
	4609	Direct-on-line starters for Electric Motors upto 30 H.P. and Star Delta Starters for Electric Motor upto 50 H.P.	4·6% (Four point six percent only) of the F.O.B. value.
	4610	All ypes of cables and conductors insulated or other-wise not elsewhere specified.	(i) Rate of drawback applicable in respect of copper content under Sub-Serial No. 4602 plus. (ii) Rate of drawback applicable in respect of Aluminium content under Sub-Serial No. 4603, plus. (iii) Rate of drawback applicable in respect of tin content under Sub-Serial No. 3709, plus. (iv) Rate of drawback applicable for lead content under Sub-Serial No. 3822, plus (v) Rate of drawback applicable for Zinc content under Sub-Serial No 3702, plus (vi) Rs. 393·75 (Rupees three hundred ninety three and paise seventy five only) per tonne of steel tape, content, if any, plus. (vii) Rate of drawback applicable for P.V.C. compound content under Sub-Serial No. 1918(a), plus. (viii) Rate of drawback applicable in respect of polythene content under Sub-Serial No. 1914. plus. (ix) Rate of drawback applicable in respect of jute content under Sub-Serial No. 2722, plus. (x) Rate of drawback applicable in respect of Polyamide content under Sub-Serial No. 1911, plus. (xi) Rate of drawback applicable under Sub-Serial No. 3617 (i) or 3617(i) as the case may be, in respect of steel core and wire content, plus. (xii) Rs. 5·00 (Rupees five only) per kg. of the insulation paper content if any, plus. (xiii) Rs. 2·35 (Rupees two and paise thirty five only) per kg. of the impregnating compound, if any. (xiv) Rate of drawback applicable in respect of synthetic man-made filament yarn content under Sub-Serial No. 2513.
	4611	Plastic Electrical Accessories— (a) Plastic content. (b) Brass content.	The rate applicable under Sub-Serial No. 1906 to 1922. The rate applicable under Sub-Serial No. 3801 (ii).

1	2	3	4
	4612	(1) Power and distribution transformers other than potential and current transformers, of the following voltage and ratings when exported with first filling of transformer oil—	
		(a) *Below 22 KV*—	
		(i) Upto 50 KVA	Rs. 22·20 (Rupees twenty two and paise twenty only) per KVA.
		(ii) Above 50 KVA and Upto 100 KVA	Rs. 18·70 (Rupees eighteen and paise seventy only) per KVA.
		(iii) Above 100 KVA and upto 300 KVA.	Rs. 14·86 (Rupees fourteen and paise eighty six only) per KVA.
		(iv) Above 300 KVA and upto 750 KVA.	Rs. 11·14 (Rupees eleven and paise fourteen only) per KVA.
		(v) Above 750 KVA and below 1000 KVA.	Rs. 9·28 (Rupees nine and paise twenty eight only) per KVA.
		(vi) 1000 KVA and above and upto 1600 KVA.	Rs. 9·76 (Rupees nine and paise seventy six only) per KVA.
		(b) 22 KV to 33 KV—	
		(i) upto 300 KVA.	Rs. 16·34 (Rupees sixteen and paise thirty four only) per KVA.
		(ii) Above 300 KVA and upto 750 KVA.	Rs. 12·19 (Rupees twelve and paise nineteen only) per KVA.
		(iii) Above 750 KVA and below 1000 KVA.	Rs. 10·68 (Rupees ten and paise sixty eight only) per KVA.
		(iv) 1000 KVA and above & upto 1600 KVA.	Rs. 11·21 (Rupees Eleven and paise twenty one only) per KVA.
		(2) Power and Distribution transformers other than potential and current transformers of the following voltage and ratings when exported without first filling of transformer oil.	
		(a) Below 22 KV—	
		(i) Upto 50 KVA	Rs. 22·01 (Rupees twenty two and paisa one only) per KVA.
		(ii) Above 50 KVA and upto 100 KVA.	Rs. 18·57 (Rupees eighteen and paise fifty seven only) per KVA.
		(iii) Above 100 KVA and upto 300 KVA.	Rs. 14·77 (Rupees fourteen and paise seventy seven only) per KVA.
		(iv) Above 300 KVA and upto 750 KVA.	Rs. 11·08 (Rupees eleven and paise eight only) per KVA.
		(v) Above 750 KVA and below 1000 KVA.	Rs. 9·21 (Rupees nine and paise twenty one only) per KVA.
		(vi) 1000 KVA and above and upto 1600 KVA.	Rs. 9·69 (Rupees nine and paise. sixty nine only) per KVA.
		(b) 22 KV to 33 KV—	
		(i) Upto 300 KVA	Rs. 16·21 (Rupees sixteen and paise twenty one only) per KVA.
		(ii) Above 300 KVA and upto 750 KVA.	Rs. 12·09 (Rupees twelve and paise nine only) per KVA.
		(iii) Above 750 KVA and below 1000 KVA.	Rs. 10·62 (Rupees ten and paise sixty two only) per KVA.

1	2	3	4
		(iv) 1000 KVA and above and upto 1600 KVA.	Rs. 11·15 (Rupees eleven and pais fifteen only) per KVA.
4613	Electric fans—		
		(i) Ceiling fans (complete).	
		(a) 56″ and 60″ Sweep.	Rs. 26·50 (Rupees twenty six and paise fifty only) per fan.
		(b) 48″ sweep.	Rs. 22.00 (Rupees twenty two only) per fan.
		(c) 36″ and 42″ Sweep.	Rs. 18·25 (Rupees eighteen and paise twenty five only) per fan.
		(ii) Table fans (complete).	7·5% (Seven point five percent only) of the export F.O.B. value.
4614	Fan regulators of all types.		Rs. 2·16 (Rupees two and paise sixteen only) per unit.
4615	Down rods for electric ceiling fans.		Rs. 0·55 (Fifty five paise only) per unit having net weight of 1. 6 kgs.
4616	Blades for electric ceiling fans.		Rs. 3·12 (Rupees three and paise twelve only) per set of 3 blades having net weight of 1. 6 kgs.

NOTE.—(1). The rates of drawback in respect of Sub-Serial No. 4615 and 4616 are inclusive of packing materials.

(2) The rates of drawback on 'Down rod for electric ceiling fans' or 'Blades for electric ceiling fans' having weight other than the weight specified against Sub-Serial No. 4615 and 4616 will be proportionately higher or lower than the rates indicated against the respective Sub-serial numbers according to the weight ascertained.

47 *Telecommunication equipment and apparatus, parts thereof* :

4701	Telecommunication equipment and apparatus parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
4702	Electronic valve/tube/transistor/diodes for radios/wireless receiving sets.	Brand rate to be fixed on an applictionfrom the individual manufacturer/ exporter.
4703	(i) Transistor radio.	11% (Eleven percent only) of the export F.O.B. value.
	(ii) Radio with valves.	15% :Fifteen percent only) of the export F.O.B. value.
4704	Vacant.	

48 *Domestic Elctrical Equipment Electrical apparatus for Medical purposes, radiological apparatus other electric machinery and apparatus, parts thereof*

4801	Domestic Electrical equipment Electrical apparatus for medical purposes, radiological apparatus, other electric machinery and apparatus, parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to the fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
4802	Domestic Refrigerator and component parts of Domestic Refrigerators.	Brand rates to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.

1	2	3	4
	4803	Lead Acid Storage Batteries of the following types— (1) Automobile Batteries. (2) Traction Batteries. (3) Train lighting Batteries. (4) Stationery Batteries.	Rs. 1.57 (Rupee one and paise fifty seven only) per kg. of the net weight of fully assembled batteries.
	4804	Plates for the lead acid storage batteries of the following types— (1) Automobile Batteries. (2) Traction Batteries. (3) Train lighting Batteries. (4) Stationery Batteries.	Rs. 2.06 (Rupees two and paise six only) per kg.
49		*Railway Locomotives wagons, coaches, track fixtures and fittings, traffic signaling equipment all kinds, parts thereof*	
	4901	Railway locomotives, wagons, coaches, track fixtures and fittings, traffic signaling equipment all kinds, parts thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the indivldual manufacturer/exporter.
50		*Vehicles (other than Railway) Aircrafts, ships, boats and Floating structures all sorts parts and accesories thereof.*	
	5001	Vehicles (other than railway) aircraft, ships, boats and floating structures, all sorts parts and accessories thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/ exporter.
	5002	Component parts of motor vehicles (other than gaskets) N.O.S. including component parts of vehicular type of diesel engines :	
		(i) Articles or components made of cast iron.	0.5% (Point five percent only) of F.O.B. value.
		(ii) Articles or components made of steel castings sections sheets and pipes	3% (Three percent only) of export F.O.B. value.
		(iii) Articles or components made of aluminium alloy consisting of more than 80% of aluminium.	10% (Ten percent only) of the F.O.B. value.
		(iv) Radiator assemblies and cores for Motor Vehicles including tractors but excluding oil coolers and air cooled oil radiators viz.	
		(a) Radiator assemblies of Copper/ Brass construction.	Rs. 4.13 (Rupees four and paise thirteen only) per kg.
		(b) Radiator assemblies of steel/brass construction.	Rs. 3.21 (Rupees three and paise twinty one only) per kg.
		(c) Radiator cores of copper/brass construction.	Rs. 5.17 (Rupees five and paise seventeen only) per kg.
		(v) Ignition coils Ignition distributor assembly electrical horns, dynamos or alternators voltage regulators and solenold.	10% (Ten percent only) of the F.O.B. value.
		(vi) Starter Motors.	5% (Five percent only) of F.O.B. value.
		(vii) Spart Plug.	7.5% (Seven point five percent only) of F.O.B. value.

1	2	3	4
	(viii) Commutators.		14% (Fourteen percent only) of the F.O.B. value.
	(ix) Steel wheels for commercial vehicles.		10% (Ten percent only) of the F.OB value.
	(x) Thin wall bearings.		10% (Ten percent only) of the F.O.B. value.
	(xi) Shock absorbers.		4% (Four percent only) of the F.O.B. value.
	(xii) Brake linings.		9% (Nine percent only) of the F.O.B. value.
	(xiii) Engine valves.		7.5% (Seven point five percent only) of the F.O.B. value.
	(xiv) Vacant.		
	(xv) Spring leaves used in automobiles.		Rs. 303.00 (Rupees tbree hundred three only) per tonne.
	(xvi) All others not elsewhere specified in this item excluding those made of natural rubber.		3% (Three percent only) of the F.OB. value.
	Note :—The above rates will be applicable provided no rebate of Central Excise duty paid on the raw materials or components used in the manufacture of the finished products has been availed of under Rule 56A or any other law inforce.		
5003	Trollies.		Rs. 311.85 (Rupees three hundred eleven and paise eighty five only) per tonne.
5004	(i) Bicycles complete, not otherwise specified, assembled or unassembled.		12% (Twelve percent only) of the F.O.B. value.
	(ii) Components, spare parts and accessories of bicycle, other than bicycle spokes, nipples, washers, chains, rim liners, saddle covers (made of leather), rubber portion of peadale, tools and tool boxes, cycle pumps, tyres and tubes.		
	Note :—The above rate is inclusive of drawback on packing materials.		
5005	Bicycle chains all sorts whether assembled or unassembled, and whether in running length or otherwise.		Re. 0.95 (Paise ninety five only) per kg.
5006	Bicycle Spokes—		
	(*a*) Galvanised spokes without nipples and washers.		Rs. 467·50 (Rupees four hundred sixty seven and paise fifty only) per tonne.
	(*b*) Brass nipples for bicycle spokes.		At the rate applicable under Sub-Serial No. 3801(*b*).
	(*c*) Complete spokes with brass nipples and washers.		Rs. 79·00 (Rupees seventy nine only) per quintal.
	(*d*) Washers for bicycle spokes—		
	(*i*) made of tin plate		Rs. 842·40 (Rupees eight hundred forty two and paise forty only) per tonne.
	(*ii*) Galvanised, made of mild steel stripes.		Rs. 756·75 (Rupees seven hundred fifty six and paise seventy five only) per tonne.

1	2	3	4
5007	Sport Light Roadster Bicycles assembled or unassembled—		
	(*a*) fitted with imported 3 speed hubs.		Rs. 14.75 (Rupees fourteen and paise seventy five only) per bicycle plus the amount of import duty paid on the imported 3 speed hubs as determined with reference to the relevant Bill (s) of Entry on a 'First in First out' basis.

Provided that manufacturer/exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs regarding import and duty incidence in respect of an adequate number of 3 speed hubs to cover the export of S.L.R. Bicycles fitted with 3 speed hubs and provided further that the imported 3 speed hubs in respect of which such evidence is produced, have not been—

(*i*) similarly co-related to and accounted for against any other previous exportation; and

(*ii*) previously re-exported as such or in any other form, whether under claim for drawback or otherwise.

NOTE :—The above rate is inclusive of drawback on packing materials which should include the following, namely:—

(1) Individual carton for each bicycle made of corrugated board, and kraft liner.

(2) Packing staples.

(3) Wire nails.

(4) Box strapping.

(5) Brown paper.

If the above packing materials are not used, the above drawback rates would be reduced by Rs. 1·50 (Rupee one and paise fifty only) per bicycle. However drawback at the appropriate rate can be claimed separately at the appropriate all industry rate on the packing materials actually used.

	(*b*) Other than those fitted with 3 speed hubs, whether exported in assembled or SKD or CKD condition.		Rs. 13·25 (Rupees thirteen and paise twenty five only) per bicycle (exclusive of drawback on packing material which may be claimed separately under appropriate all industry rates of drawback.
5008	Industrial or automotive steel roller chains (other than those covered by Sub-Serial No. 5005).		Rs. 0·80 (Eighty paise only) per kg.
51	*Sanitary, Plumbing, Heating, Lighting fixtures and fitting and parts thereof.*		
5101	Sanitary, plumbing, heating, lighting fixtures and fittings and parts thereof, not elsewhere specified.		Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.
52	*Furniture* :		
5201	Furniture not elsewhere specified		Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
5202	Steel furniture (excluding tubular steel furniture and furniture tubes) including lockers cabinet and other safe deposit equipment, strong doors, steel windows and doors but excluding parts thereof made of stainless steel—		
	(*a*) made of steel sheets or strips of less than 5 mm thickness :		Rs. 425.25 (Rupees four hundred twenty five and paise twenty five only) per tonne.

1	2	3	4
		(*b*) All others	Rs. 311·85 (Rupees three hunded eleven and paise eighty five only) per tonne.
53		*Optical, Photographic, Cinematographic, measuring, checking precision, medical and surgical instruments, Apparatus and equipment, parts thereof.*	
	5301	Optical, photographic, Cinematographic, measuring, checking, prieclsion, medical and surgical instruments, appartus and equipment, parts thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
54		*Clock and Watches and parts thereof*	
	5401	Clock and watches and parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.
55		*Musical instruments, sound records and reproducers parts and accessories thereof.*	
	5501	Musical instruments, sound records and reproducers parts and accessories thereof not elsewhere specified	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
56		*Toys, Games and Sports requisites parts thereof*	
	5601	Toys, games and sports requisites parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
57		*Office and Stationery Supplies*	
	5701	Office and stationery supplies not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	5702	Fountain pens, ball point pens, sign pens, fibre tip pens and fountain pen nibs (including stainless steel fountain pen nibs) tipped with iridium alloy pen points and ball point pen refills (metal or plastic).	3 per cent (Three per cent only) of the export F.O.B. value.
	5703	Vacant.	
	5704	Vacant.	
58		*Precious and semi-precious stones (including diamonds set or unset) and articles made wholly or partly of a abastor or Gold or Silver*	
	5801	Precious and semi precious stones (including diamonds set or unset) and articles made wholly or partly of alabastor or gold or silver not elsewhere specfied.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	5802	Articles made of gold, either wholly or partly *viz.* Jewellery, ornaments or other articles of gold.	Rs. 84·39 (Rupees eighty four and paise thirty nine only) per ten grammes of gold contained in the ariticles.

Provided that:—

(*a*) no drawback shall be allowed unless the article made of gold are exported by the manufacturer within six months from the date of import by him of the gold for the purpose of manufacture;

1	2	3	4
		(*b*) draw back at the above rate shall be paid in respect of only such gold articles as have been manufactured by or on behalf of a person who has been registered for the purpose of these rules by the proper officer of the port at which such person has imported gold for such manufacture :	
		(*c*) the exporter produces before the proper officer at the time of exportation of the gold articles a permit granted to such person by the Reserve Bank of India for import of a quantity of gold sufficient in terms of weight and fineness to account for the quantity of gold used in manufacture of such articles ;	
		(*d*) this identical quantity of imported gold in terms of weight and fineness has not been similarly correlated and accounted for against any other previous exportation of gold articles.	
	5803	Handicrafts and other articles made of alabaster.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/ exporter.
59	*Manufactured articles, namely Brushes All sorts except Carbon Brushes Zip Fastner, Snap Fastner Mechanical Lighter, Anti Ficial Hair wig and the like and ivory products.*		
	5901	Manufactured articles namely, brushes all sorts except carbon brushes, zip fastener, snap fastner, mechanical lighter, artificial hair. wig and the like and ivory product not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/ exporter.
	5902	Metallic zifastp ners—	
		(*i*) made of brass—	
		(*a*) size No. 3	Rs. 124·50 (Rupees one hundred twenty four and paise fifty only) per one thousand metres.
		(*b*) size No.5 or bigger than that.	Rs. 215·25 (Rupees two hundred fifteen and paise twenty five only) per one thousand metres.
		(*ii*) made of aluminium—	
		(*a*) size No. 3	Rs. 17·05 (Rupees seventeen and paise five only) per one thousand metres
		(*b*) size No. 5 or bigger than that	Rs. 27·90 (Rupees twenty seven and paise ninety only) per one thousand metres
	5903	Ivory products	Rs. 143·15 (Rupees one hundred forty three and paise fifteen only) per kg.

The provisions of rule 7 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules 1971 are also reproduced below for the information of the trade and industry :—

"7. *Cases where amount or rate of drawback determined is low* :—

(1) Where in respect of any goods, the manufacturer or exporter finds that the amount or rate of drawback determined under Rule 3 or, as the case may be revised under rule 4 for that class of goods is less than three fourths of the duties paid on the materials or components used in the production or manufacture of the said goods, he may make an application in writing to the Central Government for fixation of appropriate amount or rate of drawback stating all relevant facts including proportion in which the materials or components are used in the production or manufacture of the goods and the duties paid on such materials or components.

(2) On receipt of the application referred to in sub-rule (1) the Central Government may, after making or causing to be made such inquiry as it deems fit allow payment of draw back to such exporter at such amount or at such rate as may be determined to be appropriat if the amount or rate of drawback determined under rule 3 or, as the case may be revised under rule 4 is in fact less than three forurths of such amount or rate determined under this sub-rule"

C. BHUJANGASWAMY,
Joint Director (Drawback)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 1974

सा० प्रि०अदायगी/पी० एन०-26/74:—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

सभी क्रमांकों, उप-क्रमांकों और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा अर्थात् :—

तालिका

नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची-II में क्रम सं०	उप-क्रम संख्या	वस्तुओं का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
1	2	3	4
1		परिरक्षित फूल और फल निर्मितियां डिब्बे में बंद, बोतलों में बंद अथवा और अन्यथा अविनिर्दिष्ट सभी प्रकार की खाद्य सामग्रियां	
	101	परिरक्षित फल और फल निर्मितियां डिब्बे में बंद, बोतलों में बंद अथवा और अन्यथा अविनिर्दिष्ट सभी प्रकार की खाद्य सामग्रियां ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्त्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत की जाने वाली आंडदर ।
	102	फलों की चटनी जिसमें भार के आधार पर चीनी 50 प्रतिशत से कम न हो	ऐसे माल का 15.84 रु० (पंद्रह रुपये चौरासी पैसे) प्रति क्विंटल ।
	103	जैम और जैली जिसमें भार के आधार पर चीनी 60 प्रतिशत से कम न हो	ऐसे माल का 19.00 रु० (उन्नीस रुपये) प्रति क्विंटल ।

1	2	3	4
104	सिरप के रूप में डिब्बा बंद फल जिसमें—		
		(क) भार के आधार पर 16 प्रतिशत से कम परन्तु 13.5 प्रतिशत से कम चीनी न हो	ऐसे माल का 5.07 रु० (पांच रुपये सात पैसे) प्रति क्विंटल ।
		(ख) भार के आधार पर 16 प्रतिशत से कम परन्तु 13.5 प्रतिशत से कम चीनी न हो	ऐसे माल का 4.28 रु० (चार रुपये अट्ठाइस पैसे) प्रति क्विंटल ।
105	स्क्वैश जिसमें भार के आधार पर 40 प्रतिशत से कम चीनी न हो		ऐसे माल का 12.67 रु० (बारह रुपये सतसठ पैसे) प्रति क्विंटल ।
106	फलों का सिरप संशोलिष्ट सिरप और शर्बत जिनमें 65 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।		ऐसे माल का 20.59 रु० (बीस रुपये उनसठ पैसे) प्रति क्विंटल ।
107	फ्रूट कार्डियल जिसमें भार के आधार पर 30 प्रतिशत से कम चीनी न हो		ऐसे माल का 9.50 रु० (नौ रुपये पचास पैसे) प्रति क्विंटल ।
108	बार्ली वाटर तथा लैमन बार्ली वाटर जिसमें भार के आधार पर 40 प्रतिशत के कम चीनी न हो		ऐसे माल का 12.67 रु० (केवल बारह रुपये सतसठ पैसे) प्रति क्विंटल ।
109	फ्रूट क्रश जिसमें भार के आधार पर 55 प्रतिशत से कम चीनी न हो		ऐसे माल का 17.42 रु० (केवल सत्रह रुपये ब्यालीस पैसे) प्रति क्विंटल ।
110	मार्मलड्स जिनमें भार के आधार पर 60 प्रतिशत से कम चीनी न हो		ऐसे माल का 19.00 रु० (केवल उन्नीस रुपये) प्रति क्विंटल ।
111	कंदित और केन्डासित अथवा गेल्सड फल और छिलका जिनमें भार के आधार पर 60 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।		ऐसे माल का 19.00 रु० (केवल उन्नीस रुपये) प्रति क्विंटल ।
112	आम का गूदा जिसमें		
		(क) भार के आधार पर 5 प्रतिशत से कम चीनी न हो	ऐसे माल का 1.58 रु० (केवल एक रुपया अठावन पैसे) प्रति क्विंटल ।
		(ख) भार के आधार पर 5 प्रतिशत से कम परन्तु 3 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।	ऐसे माल का 0.95 रु० (केवल पचानवें पैसे) प्रति क्विंटल ।
113	परिरक्षित फल जिनमें भार के आधार पर 60 प्रतिशत से कम चीनी न हो		ऐसे माल का 19.00 रु० (केवल उन्नीस रुपये) प्रति क्विंटल ।

1	2	3	4
	114	मीठा किया हुआ फलों का रस (डिब्बा बंद या बोतल बन्द) जिसमें भार के आधार पर 10 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।	ऐसे माल का 3.17 रु० (केवल तीन रुपये सत्रह पैसे) प्रति क्विंटल ।
	115	आमका रस (नेक्टर) (परोसे जाने के लिए तैयार पेय) जिसमें भार के आधार पर 15 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।	ऐसे माल का 4.75 रु० (केवल चार रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति क्विंटल ।
	116	पपीते का रस (नेक्टर) (परोसे जाने के लिए तैयार पेय) जिसमें भार के आधार पर 15 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।	ऐसे माल का 4.75 रु० (केवल चार रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति क्विंटल ।
	117	अमरूद का रस (नेक्टर) (परोसे जाने के लिए तैयार पेय) जिसमें भार के आधार पर 15 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।	ऐसे माल का 4.75 रु० (केवल चार रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति क्विंटल ।
	118	अंगूर कर रस (नेक्टर) (परोसे जाने के लिए तैयार पेय) जिसमें भार के आधार पर 15 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।	ऐसे माल का 4.75 रु० (केवल चार रुपया पचहत्तर पैसे) प्रति क्विंटल ।
		(लेकिन शर्त यह है कि उक्त फल उत्पाद, फल उत्पाद आदेश, 1955 के उपबन्ध के अनुसार तैयार किये गये हों) ।	
2	**इन्सटेंन्ट काफी**		
	201	इन्सटैन्ट काफी जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है ।	ब्रांड-वार अलगअलग निर्माता/निर्यातकर्त्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित की जाती है ।
3	**कोको पेस्ट, मक्खन, पाउडर, चाकलेट और अन्य खाद्य निर्मितियां जिनमें कोको हो**		
	301	कोको पेस्ट, मक्खन पाउडर, चाकलेट और अन्य खादय निर्मितियां जिनमें कोको हो जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है ।	ड-वार अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्त्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित की जाती है ।

1	2	3	4
4	चीनी की बनी मिठाई (कन्फैक्शनरी) और चीनी की अन्य निर्मितियां		
	401	चीनी की बनी कन्फैक्शनरी और चीनी की अन्य निर्मितियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।	ब्राण्ड-वार अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर निर्धारित की जानी है ।
5	बिस्कुट		
	501	बिस्कुट जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं	ब्राण्ड-वार अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित की जानी है ।
	502	सभी प्रकार के बिस्कुट	बिस्कुट की सूक्रोज अन्तर्वस्तु का 0.317 रु० (केवल इकतीस दशमलव सात पैसे) प्रति किलोग्राम तथा वनस्पति-उत्पाद अन्तर्वस्तु का 0.245 रु० (केवल चौबीस दशमलव पांच पैसे) प्रति किलोग्राम ।
6	कोप्रा-केक		
	601	कोप्रा-केक जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है ।	ब्राण्ड-वार अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
7	बिना अल्कोहल वाले पेयों के लिए सांद्र और आधारी वस्तु		
	701	बिना अल्कोहल वाले पेयों के लिए सांद्र और आधारी वस्तु जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है ।	ब्राण्ड-वार अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
8	अल्कोहल वाले पेय		
	801	अल्कोहल वाले पेय जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं हैं ।	यथोपरि
9	तम्बाकू की विनिर्मितियां		
	901	तम्बाकू की विनिर्मितियां जो अन्यत्र-निर्दिष्ट नहीं हैं ।	ब्राण्ड-वार अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।

1	2	3	4
902	पाइप अथवा सिगरेट का तम्बाकू जिसके उत्पादन में (पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, भूटान अथवा सिक्किम मूल के तम्बाकू से भिन्न) विदेशी मूल के तम्बाकू का उपयोग किया गया है ।	पाकिस्तान बर्मा, नेपाल, भटान अथवा सिक्किम मूल के तम्बाकू से भिन्न पाइप अथवा सिगरेट के विदेशी मल के तम्बाकू की मात्रा का 32.40 रु० (केवल बत्तीस रुपये और चालीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।	

परन्तु शर्त यह है कि --

(क) इस दर पर निर्यात की प्रतिअदायगी पाइप अथवा सिगरेट के केवल ऐसे तम्बाकू पर दी जायगी जो इस प्रयोजन के लिए उस इलाके के सीमा-शुल्क समाहर्ता द्वारा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें ऐसे पाइप अथवा सिगरेट के तम्बाकू का उत्पादन किया जाता है ;

(ख) पाइप अथवा सिगरेट के तम्बाकू का उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों की देख रेख में किया जाता है;

(ग) पाइप अथवा सिगरेट का तम्बाकू ऐसे सीलबन्द डिब्बों में पैक किया जाता है जिनमें फेर बदल किया नहीं जा सकता हो और जिनके बाहर की तरफ माल का विस्तृत ब्यौरा निर्दिष्ट किया गया हो ; और

(घ) पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, भूटान अथवा सिक्किम मूल के तम्बाकू से भिन्न विदेशी तम्बाकू की जो मात्रा निर्यात किये जाने वाले पाइप अथवा सिगरेट के तम्बाकू में विद्यमान है उसके संबंध में सीमा शुल्क समाहर्ता का समाधान कर लिया गया हो ।

903	सिगरेटें जिनके उत्पादन में (पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, भूटान अथवा सिक्किम मूल के तम्बाकू से भिन्न) विदेशी मूल के तम्बाकू का इस्तेमाल किया गया है।	सिगरेट में, पाकिस्तान, बर्मा नेपाल, भूटान अथवा सिक्किम मूल के तम्बाकू से भिन्न विदेशी मूल के तम्बाकू की मात्रा का 32.40 रु० (केवल बत्तीस रुपये और चालीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।

लेकिन शर्त यह है कि —

(क) इस दर पर निर्यात की वापसी केवल ऐसी सिगरटों पर दी जायगी जो उस व्यक्ति द्वारा तैयार की गयी है जो इस प्रयोजन के लिये उस इलाके के सीमा शुल्क समाहर्ता द्वारा पंजीकृत किया गया है जिसमें ऐसी सिगरटों का उत्पादन किया जाता है ; और

(ख) पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, भूटान अथवा सिक्किम मूल के तम्बाकू से भिन्न विदेशी तम्बाकू की जो मात्रा निर्यात किये जाने वाली सिगरटों में विद्यमान है उसके संबंध में सीमा शुल्क समाहर्ता का समाधान कर लिया गया है ।

1	2	3	4
904	सिगारें जिनके निर्माण में (पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल भूटान अथवा सिक्किम मूल के सिगार रैपर तम्बाकू से भिन्न) विदेशी मूल के सिगार रैपर तम्बाकू का इस्तेमाल किया गया है।	सिगार के निर्माण में इस्तेमाल किये गये, पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, भूटान अथवा सिक्किम मूल के सिगार रैपर तम्बाकू से भिन्न विदेशी मूल के सिगार रैपर तम्बाकू की मात्रा का 32.40 रु० (केवल बत्तीस रुपये और चालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।	

परन्तु शर्त यह है कि—

(क) आयात की गई सामग्रियों के पैकेजों की सीमा शुल्क समाहर्ता द्वारा तस्दीक कर ली गई हो और आयात के पत्तन पर उन के वितरण से पूर्व उन पर सीमा शुल्क विभाग की मुहर लगा दी गई हो।

(ख) जिस कारखाने में सिगारों का निर्माण किया जाता है उसके कार्यभारी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारी की अनुमति से सिलबन्द पैकेज खोले गये हैं और आयात की गयी सामग्रियों के विनिर्माण के लिये इस्तेमाल किया गया है।

(ग) आयात किये गये सिगार रैपर तम्बाकू के इस्तेमाल के संबंध में निर्माता ने ऐसे ढंग से खाता रखा है जो सिगार के निर्माण के कारखाने के स्थान पर क्षेत्राधिकारी रखने वाले सहायक केन्द्रीय उत्पादनशुल्क समाहर्ता द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(घ) निर्यात, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अधीन निर्धारित फार्म ए और 4 (के० उ० शु० की श्रृंखला संख्या 60) के अधीन किया जाता है।

905	हुक्का तम्बाकू पेस्ट जिसमें भार के आधार पर 20 प्रतिशत से कम तम्बाकू नहीं हो।	0.15 रु० (केवल पन्द्रह पैसे) प्रति किलोग्राम।

10. पैट्रोलियम उत्पाद—

1001	पैट्रोलियम उत्पाद जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है	ब्राण्ड दरें अलग अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर नियत की जानी है।
1002	रिक्त	
1003	जूट उत्पाद में परिष्कृत डीजल तेल अथवा जूट बैचिंग तेल का अंश (i) हैसियन, डी० डब्ल्यू त्रिपाल, डी० डब्ल्यू, जूट कैनवस तथा जूट का धागा/जूट की रस्सी/डी० डब्ल्यू त्रिपाल तथा डी० डब्ल्यू कैनवस के हैसियत में इस्ते-माल की जाने वाली डोरी जैसी डोरी।	उत्पाद का 0.65 रु० (केवल पैंसठ पैसे) प्रति टन।

(1)	(2)	(3)	(4)
		(ii) ऊपर (i) में विनिर्दिष्ट किस्मों से भिन्न प्रकार का जूट का धागा, जूट की रस्सी तथा जूट का डोरी।	उत्पाद का 0.15 रु० (केवल पन्द्रह पैसे) प्रति टन ।
		(iii) जूट के टाट तथा जूट की निवाड़	उत्पाद का 0.87 रु० (केवल सतासी पैसे) प्रति टन ।
		(iv) गलीचे के अस्तर का कपड़ा जिसकी चौड़ाई 2.64 मीटर तथा उससे अधिक हो ।	उत्पाद का 0.15 रु० (केवल पन्द्रह पैसे) प्रति टन ।
		(v) गलीचे के अस्तर का कम चौड़ा कपड़ा जिसकी चौड़ाई 2.64 मीटर से कम हो।	उत्पाद का 0.48 रु० (केवल अड़तालीस पैसे) प्रति टन ।
11	**कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, रासायनिक उत्पाद**		
1101	कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, रासायनिक उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।		ब्राण्ड दरें अलग अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित की जानी है ।
1102	डाइक्रोमेट:—		
		(i) सोडियम डाइक्रोमेट डिहाइड्रेट	96.00 रु० (केवल छियानबे रुपये) प्रति टन ।
		(ii) पोटाशियम डाइक्रोमेट	314.00 रु० (केवल तीन सौ चौदह रुपये) प्रति टन ।
1103	एलुमिना पेरिक		14.00 रु० (केवल चौदह रुपये) प्रति टन ।
1104	रिक्त		
1105	रिक्त		
1106	लेड नाइट्रेट		1170.00 रु० (केवल एक हजार एक सौ सत्तर रुपये) प्रति टन।
1107	पोटाश एलुमी		3.90 रु० (केवल तीन रु० और नब्बे पैसे) प्रति टन ।
1108	रिक्त		
1109	क्रोमिक एसिड		177.50 रु० (केवल एक सौ सतत्तर रुपये और पचास पैसे) प्रति टन।
1110	स्लम और एलुमिनियम सलफेट जिसमें लोहा न हो।		
		(1) अमोनिया एलम	11.70 रु० (केवल ग्यारह रुपये और सत्तर पैसे) प्रति टन

1	2	3	4
		(2) एलुमिनियम सलफेट	13.78 रु० (केवलतेरह रुपये और अठहत्तर पैसे) प्रति टन ।

परन्तु यह तब जब केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की क्रम संख्या 14छ के अधीन एलम या एलुमिनियम सल्फेट विनिर्मित करने के लिए उपयोग में लाए गए सल्फूरिक एसिड पर उद्ग्रहणीय उत्पादन शुल्क की कोई छूट नहीं दी गई है ।

1111	ताम्र सल्फेट	190.65 रु० (केवल एक सौ नब्बे रुपये पैंसठ पैसे) प्रति टन ।
1112	कास्टिक पोटाश	417.50 रु० (केवल चार सौ सत्रह रुपये पचास पैसे) प्रति टन ।
1113	सोडियम सल्फाइड	100.00 रु० (केवल एक सौ रुपये) प्रति टन ।
1114	सोडियम थियोसल्फेट	35.00 रु० (केवल पैंतीस रुपये) प्रति टन ।
1115	सोडियम बाइसल्फाइड	65.00 रु० (केवल पैंसठ रुपये) प्रति टन ।
1116	18 प्रतिशत या अधिक के सक्रिय अपमार्जक युक्त सल्फिष्ट अपमार्जक ।	280.00 रु० (केवल दो सौ अस्सी रुपये) प्रति टन ।
1117	फेरियट एमोनियम साइट्रेट वी० पी०	1.07 रु० (केवल एक रुपया और सात पैसे) प्रति किलोग्राम ।
1118	पोटाशियम परमैंग्नेट (97–100 प्रतिशत) ।	547.00 रु० (केवल पांच सौ सैंतालीस रुपये) प्रति टन ।
1119	ताम्र आक्सीक्लोराइड भारतीय मानक 1486–1959 के अनुसार ।	405.00 रु० (केवल चार सौ पांच रुपये) प्रति टन ।
1120	पोटेशियम साइट्रेट मानहाइड्रेट	155.25 रु० (केवल एक सौ पचपन रुपये पच्चीस पैसे) प्रति क्विंटल

12 औषध और औषधीय उत्पाद

1201	औषध और औषधीय उत्पाद जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	अलग–अलग निर्माता/नियतिकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर बाण्ड दरें नियत की जानी है।

1	2	3	4
	1202	टिक्लोरीथिलीन	131.50 रु० (केवल एक सौ इकतीस रुपये पचास पैसे) प्रति टन।
	1203	जिक-आक्साइड एडेसिव प्लास्टर बी० पी० सी०	24.40 रु० (केवल चौबीस रुपये और चालीस पैसे) प्रति एक सौ वर्ग मीटर।
13	**संश्लिष्ट कार्बनिक रंजक द्रव्य, रंजक माध्यमिक और रंग लेक**		
	1301	संश्लिष्ट कार्बनिक रंजक द्रव्य, रंजक माध्यमिक और रंग लेक जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	
14	**वर्णक, रंग, पेन्ट, इनेमल, वार्निश, लैकर, संश्लिष्ट पोलिएस्टर, (एपाक्सी) रेजिस, मुद्रण स्याही और लेखन स्याही**		
	1401	वर्णक, रंग, पेन्ट, इनेमल, वार्निश, लैकर, संश्लिष्ट पोलिएस्टर, एपाक्सी रेजिन, मुद्रु मुद्रण स्याही और लेखन स्याही जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	अलग-अलग, निर्माता निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर ब्रान्ड दरें नियत की जानी हैं।
	1402	संश्लिष्ट इनेमल सफेद	1.66 रु० (केवल एक रुपया और छयासठ पैसे) प्रति लिटर।
	1403	संश्लिष्ट इनेमल रंगीन	0.57 रु० (केवल सत्तावन पैसे प्रति लिटर।
	1404	प्लास्टिक इमल्शन पेंट	2.44 रु० (केवल दो रुपये चवालीस पैसे) प्रति लिटर।
	1405	पेस्ट पेन्ट्स अर्थात् केवल असली जिक सफेद पेन्ट	1054.50 रु० केवल एक हजार चौवन रुपये पचास पैसे) प्रति टन।
	406	बिट्मिनस पेन्ट	0.28 रु० (केवल अठाईस पैसे) प्रति लीटर।
	1407	रिक्त	
	1408	रिक्त	
	1409	रिक्त	
	1410	रिक्त	
	1411	रिक्त	

1	2	3	4
	1412	रिक्त	
	1413	आयल बाउण्ड डिस्टम्पर	0.43 रु० (केवल तेतालिस पैसे) प्रति किलोग्राम।
	1414	रिक्त	
	1415	मुद्रण स्याही	6.60 रु० (केवल छः रूपये साठ पैसे) प्रति क्विंटल।
	1416	रेड सीसा	1860.00 रु० (केवल एक हजार आठ सौ साठ रुपये) प्रति टन।
	1417	सफेद सीसा	1579.50 रु० (केवल एक हजार पांच सौ उन्नासी रुपये, पचास पैसे) प्रति टन।
	1418	लिथार्ज	1809.50 रु० (केवल एक हजार, आठ सौ नौ रुपये पचास पैसे) प्रति टन।
	1419	जिंक आक्साइड	2247.00 रु० (केवल दो हजार, दो सौ सैंतालीस रुपये) प्रति टन।
15	**सुगन्धित तेल, हाइड्रोजिनेटेड कैस्टोर आयल, सुगन्धित, सामग्री अगर बत्तियां, श्रृंगार सामग्री, पालिश और सफाई सम्बन्धित निर्मितियां**		
	1501	सुगन्धित तेल, हाइड्रोजिनेटेयड के स्टोर आयल, सुगन्धित सामग्री, अगर-बत्तियां, श्रृंगार सामग्री, पालिश और सफाई सम्बन्धी निर्मितियां जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	ब्रान्ड दरें अगल- अलग निर्माता/ निर्यातकर्त्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
	1502	अगर बत्तियां जिनमें शुद्ध अगर बत्तियां शामिल नहीं हैं?	जहाज तक निःशुल्क मूल्य का 8 प्रतिशत (आठ प्रतिशत)
16	**विस्फोटक आतिशबाजी उत्पाद (आतिशबाजी) निरापद दियासलाई और निरापद फ्यूज**		
	1601	विस्फोटक, आतिशबाजी उत्पाद (आतिशबाजी) निरापद दियासलाई और निरापद फ्यूज जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	ब्रान्ड दरे अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्त्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।

1	2	3	4
	1602	दियासलाई सभी प्रकार की	जहाज तक निःशुल्क मूल्य का 1.44 प्रतिशत (केवल एक दशमलव चार प्रतिशत)
17		**फोटोग्राफी और सिनेमा का माल**	
	1701	फोटोग्राफी और सिनेमा का माल जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	ब्राण्ड दरें अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्त्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जाती है।
	1702	(i) रंगीन फिल्में उद्भाषित रंगीन	56.80 रु० (केवल छप्पन रुपये अस्सी पैसे) प्रति 100 मीटर लम्बाई के लिए।
		(ii) सिनेमा फिल्में उद्भाषित सफेद, काली	15.90 रु० (केवल पन्द्रह रुपये नब्बे पैसे) प्रति 100 मीटर लम्बाई के लिए।
18		**कीटनाशी, नाशिकीटमार, पंगसनाशी, अपष्टणनाशी, और उनके निरूपण**	
	1801	कीटनाशी, नाशिकीट मार पंगसनाशी और उनके निरुषण जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	ब्राण्ड दरें अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्त्ता से अलग-अलग प्राप्त होने पर नियत की जानी ह।
19		**संश्लिष्ट रंजिन, (जिसमें असंजक सम्मिलित हैं) प्लास्टिक की कच्ची सामग्री और उससे बनी वस्तुएं**	
	1901	संश्लष्ट रंजिन (जिसमें असंजक सम्मिलित है) प्लास्टिक की कच्ची सामग्री और उससे बनी वस्तुएं जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	ब्राण्ड दरें अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्त्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जायेंगी।
	1902	रिक्त	
	1903	रिक्त	
	1904	रिक्त	
	1905	रिक्त	
	1906	एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर से बनी वस्तुएं अथवा वस्तुओं के संघटक पुर्जे तथा उनसे बनायी गई वस्तुएं जिनमें सख्त प्लास्टिक शीट, परतदार अथवा बिना परत की शीटिंग, चादरें तथा फिल्में, और उनसे बनायी गई वस्तुएं शामिल नहीं हैं।	535.00 रू० (केवल पांच सौ पैंतीस रुपये) प्रति क्विन्टल

1	2	3	4

परन्तु यह तब, जब कि उक्त वस्तुओं के निर्माण में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 36—क अथवा 191—क, अथवा 191—ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्य विधियों का पालन नहीं किया जाता हो।

1907	सेलूलोस एसिटेट मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परतवाली सेलूलोस एसिटेट की चादरें अथवा शालाकाओं अथवा ट्यूबों आदि के बनायी गई वस्तुएं अथवा किसी वस्तु के संघटक पुर्जे (जिनमें सख्त प्लास्टिक बोर्ड, परतदार अथवा बिना परत की शीटिंग, चादरें तथा फिलमें, शामिल नहीं है)।	825.00 रु० (केवल आठ सौ पच्चीस रुपये) प्रति क्विंटल	

परन्तु यह तब, जब कि उक्त वस्तुओं के निर्माण के निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56 के अथवा 191—क अथवा 191—ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्य-विधियों का पालन नहीं किया जाता हो।

1908	सेलुलोज एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परत की सेलूलोस एसिटेट ब्यूटाइरेट चादरों/शलाकों/ट्यूबों आदि से बनायी गई वस्तुएं अथवा किसी वस्तु के संघटक पुर्जे (जिनमें सख्त प्लास्टिक बोर्ड, परतदार अथवा बिना परत की शीटिंग चादरें तथा फिल्में, शामिल नहीं हैं)	1205.00 रु० (केवल एक हजार दो सौ पांच रुपये) प्रति क्विंटल	

परन्तु यह तब, जब कि निर्यातकर्ता, सीमाशुल्क समाहर्ता के इतमीनान का साक्ष्य प्रस्तुत करता है और निर्माता से यह प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करता है कि 105 किलोग्राम सेलूलोस एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर, राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यातकर्ता अथवा निर्माता के लिये मुक्त कर दिया गया है और निर्यात किये गये उत्पाद के प्रत्येक क्विंटल के विनिर्माण के लिये, ऐसे निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों की कालावधि में प्रयुक्त किया गया है और सेलूलोस ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर की मात्रा—

(क) सेलूलोस, एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर की वस्तुओं के किसी अन्य पूर्वतन निर्यात से तत्समान सह-सम्बन्धित नहीं है और उसमें ली नहीं गई है; या

1	2	3	4

(ख) इस रूप में या किसी अन्य रूप में, वापसी के लिये दावे सहित या इसके बिना, पहले पुनः निर्यात नही की गई है ।

व्याख्या.— यह निश्चित करने की दृष्टि से कि सामान का आयात अथवा उस की निकासी निर्यात की तारीख से पूर्ववर्ती बारह महीने की अवधि के भीतर, की गई है अथवा नही, सीधे आयात किये गये सामान के मामले मे सामान के आयात की तारीख तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा मुक्त किये गये सामान के मामले मे सामान को छोड़ने के आदेश की तारीख को ध्यान मे रखा जाएगा ।

इसमे अतिरिक्त शर्त यह भी है कि उक्त वस्तुओ के निर्माण में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56 के अथवा 191–क अथवा 191–ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्याविधियो का भी पालन नही किया जाता हो ।

1909	सेलूलोस नाइटरेट चादरो, छड़ो, अथवा ट्यूबों मे बनायी गई वस्तुए अथवा किसी वस्तु के सघटक पुर्जे	3470.00 रु०	(केवल तीन हजार चार सौ सत्तर रुपये) प्रति क्विंटल

परन्तु यह तब, जब कि निर्यातकर्ता सीमाशुल्क समाहर्ता के इतमीनान का साक्ष्य प्रस्तुत करता है और विनिर्माता से यह प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करता है कि 105 किलोग्राम सेलूलोस नाइटरेट चादरें, छड़ें अथवा ट्यूबे राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यातकर्ता अथवा निर्माता के लिये मुक्त कर दी गई है और निर्यात किये गये उत्पाद के प्रत्येक क्विंटल के विनिर्माण के लिये, ऐसे निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि के भीतर प्रयुक्त की गई है और सेलूलोस नाइटरेट चादरो, अथवा ट्यूबो की मात्रा:—

(क) सेलुलोस नाइट्रेट चादरो, छड़ो अथवा ट्यूबो की वस्तुओ के किसी अन्य पूर्वसन निर्यात से तत्समान सह-सम्बन्धित नही है और उसमे ली नही गई है ;

अथवा

(ख) इस रूप मे या किसी अन्य रूप में, वापसी के लिये दावे सहित या उसके बिना पहले पुनः निर्यात नही की गई है ।

व्याख्या.— यह निश्चित करने की दृष्टि से कि सामान का आयात अथवा उस की निकासी, निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनो की अवधि के भीतर की गई है अथवा नही, सीधे आयात किये गये सामान के मामले मे सामान के आयात की तारीख तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा मुक्त किये गये सामान के मामले में सामान को छोड़ने के आदेश की तारीख को हिसाब मे लिया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त शर्त यह भी है कि उक्त वस्तुओं के निर्माण में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली 1944 के नियम 56 से अथवा 191क अथवा 191ख के अन्तगत निर्धारित कार्याविधियो का पालन नही किया जाता हो ।

1	2	3	4
	1910	फेनाल फार्मेल्डीहाइड मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परत के फेनाल फार्मेल्डीहाइड चादरों/छड़ों / ट्यूबों आदि से बनाई गई वस्तुए अथवा किसी वस्तु के संघटक पुर्जे (जिसमें सख्त प्लास्टिक बोंड, परतदार अथवा बिना परत की शीटिंग, चादरें तथा फिल्में, शामिल नहीं है)	258.00रु० केवल (दो सौ अट्ठावन रुपये) प्रति क्विण्टल

परन्तु यह तब, जब कि उक्त वस्तुओं के निर्माण में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56क अथवा 191ख अथवा 191ख के अर्तगत निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया जाता हो ।

	1911	पोलिएमाइड मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परतवाली पालिएमाइड चादरों/छड़ों/ट्यूबों आदि से बनाई गई से वस्तु अथवा किसी वस्तु के संघटक पुर्जे (जिनमें सख्त प्लास्टिक बोंड, परत दार अथवा बिना परत की शीटिंग, चादरें और फिल्में, शामिल नहीं है)	1839.00 रु० (केवल एक हजार आठ सौ उनतालीस रुपये) प्रति क्विण्टल

इसमें शर्त यह है कि उक्त वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56क अथवा 191क अथवा 191क के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधियों का भी पालन नहीं किया जाता हो ।

	1912	बिना परतवाली एक्रिलिक चादरों से बनायी गई वस्तु अथवा किसी वस्तु के संघटक पुर्जे	संगत आगम-पत्र में प्रति क्विण्टल एक्रिलिक चादर पर अदा की गई आयात शुल्क की रकम अथवा 1104.00 रु० (केवल एक हजार एक सौ चार रुपये) प्रति क्विण्टल, इनमें से जो भी कम हो ।

परन्तु यह तब, जब कि—

(i) निर्यातकर्ता सीमाशुल्क समाहर्ता के इत्मीनान का साक्ष्य प्रस्तुत करता है और विनिर्माता से यह प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करता है कि 105 किलोग्राम एक्रिलिक चादरें, निर्यातकर्ता अथवा निर्माता द्वारा आयात की गई हैं और निर्यात किये गये उत्पाद के प्रत्येक क्विण्टल

1	2	3	4

के विनिर्माण के लिये, ऐसे निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि के भीतर प्रयुक्त की गई है और एक्रिलिक चादर की मात्रा—

(क) एक्रिलिक चादरों की वस्तुओं के किसी अन्य पूर्वतन निर्यात से तत्समान सह-संबंधित नहीं है और उसमें ली नहीं गई है ।

अथवा

(ख) इस रूप में या किसी अन्य रूप में, वापसी के लिये दावे सहित या इसके बिना पहले पुनः निर्यात नहीं की गई है।

उपर्युक्त मामले में दर पूर्णतया लागू होगी :

(ii) जिस मामले में ऊपर विनिर्दिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हो उसमें दर 535.00रु० (केवल पांच सौ पैंतीस रुपये) प्रति क्विण्टल होगी ।

व्याख्या:— यह निश्चित करने की दृष्टि से कि सामान का आयात अथवा उसकी निकासी निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि के भीतर की गई है अथवा नहीं, सीधे आयात किये गये सामान के मामले में सामान के आयात की तारीख तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा मुक्त किये गये सामान के मामले में सामान को छोड़ने के आदेश की तारीख को हिसाब में लिया जायगा ।

इसमें अतिरिक्त शर्त यह भी है कि उक्त वस्तुओं के निर्माण में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56क अथवा 191क अथवा 191ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधियों का भी पालन नहीं किया जाता हो ।

1913	पालिएस्ट्रीन मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परत वाली पालिएस्ट्रीन चादरों/छड़ों/ट्यूबों आदि से बनायी गई वस्तुएं अथवा किसी वस्तु के संघटक पुर्जे (जिनमें सख्त प्लास्टिक बोर्ड, परतदार अथवा बिना परत की शीटिंग, चादरें तथा फिल्में शामिल नहीं है)	—	226.00रु० (केवल दो सौ छब्बीस रुपये) प्रति क्विण्टल

परन्तु यह तब, जब कि उक्त वस्तुओं के निर्माण में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली 1944 के नियम 56क या 191क या 191ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्य-विधियों का पालन नहीं किया जाता हो ।

1	2	3	4
	1914	पोलिथिलीन मोल्डिंग पाऊडर अथवा बिना परतवाली पोलीथिलीन की चादरों/छड़ों/ट्यूबों आदि से बनी वस्तुएं अथवा उनसे बनी किसी वस्तु के निर्माणक हिस्से (जिसमें कड़ा प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, चादरें तथा फिल्में, चाहे वे परतदार हों अथवा नहीं, शामिल नहीं है।)	281.00 रु० (केवल दो सौ इक्यासी रुपये) प्रति क्विण्टल

परन्तु यह कि निर्माताओं/निर्यातकर्ताओं द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 56—क अथवा 191—क अथवा 191—ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया गया हो ।

	1915	यूरिया फार्मेल्डिाइड मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परतवाले यूरिया फार्मेल्डेहाइड की चादरों/छड़ों/ट्यूबों आदि से बनी वस्तुएं अथवा उनसे बनी किसी वस्तु के निर्माणक हिस्से (जिसमें कड़ा प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, चादरों तथा फिल्में—चाहे वे परतदार हों अथवा नहीं—शामिल नहीं हैं।)	304.00 रु० (केवल तीन सौ चार रुपये) प्रति क्विंटल

परन्तु यह कि निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली 1944 के नियम 56क अथवा 191—क अथवा 191—ख के अधीन निर्धारित कार्य विधियों का पालन नहीं किया गया हो

	1916	पोलिप्रोपीलीन मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परतवाली पोलिप्रोपीलीन की चादरों/छड़ों/ट्यूबों आदि से बनी वस्तुएं अथवा उनसे बनी वस्तुओं के निर्माणक हिस्से (जिस में कड़ा प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, शीट अथवा फिल्में—चाहे वे परतदार हों अथवा नहीं—शामिल नहीं हैं)	रु० 854—00 (आठ सौ चौवन रु० मात्र) प्रति क्विंटल

परन्तु यह कि:—

(i) निर्यातकर्ता, सीमाशुल्क समाहर्ता को उसके समाधान प्रद रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करें और निर्माता का इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करे कि निर्यात किये गये प्रति क्विंटल उत्पाद के निर्माण के लिए ऐसे निर्यात की तारीख से तुरन्त

1	2	3	4

से तुरन्त पहले की 12 महीने की अवधि में निर्यातकर्ता अथवा निर्माता को राज्य व्यापार निगम द्वारा 105 किलोग्राम पोलिप्रोपीलीन मोल्डिंग पाउडर नियुक्त किया गया है तथा उसका इस्तेमाल किया गया है और यह कि पोलिप्रोपीलीन मोल्डिंग पाउडर की इस मात्रा को—

(क) पोलिप्रोपीलीन मोल्डिंग पाउडर की वस्तुओं के किसी अन्य पूववर्ती निर्यात में इसी प्रकार यह सम्बद्ध नहीं किया गया है तथा हिसाब में नहीं दिखाया गया है; अथवा

(ख) प्रतिग्रदायगी के दावे के साथ अथवा बिना किसी दावे के वैसे ही अथवा किसी भी अन्य रूप में इस प्रकार पुनर्निर्यात नहीं किया गया है; तो यह दर सम्पूर्णतया लागू होगी ।

(ii) जहां उपरिनिर्दिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाते वहां यह दर 281.00 (केवल दो सौ इकासी रुपये) प्रति क्विंटल होगी ।

व्याख्या.—यह निश्चित करने की दृष्टि से कि सामान का आयात अथवा उसकी निकासी निर्यात की तारीख से पूर्ववर्ती बारह महीने की अवधि के भीतर की गई है अथवा नहीं, सीधे आयात किये गये सामान के मामले में सामान के आयात की तारीख तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा मुक्त किये सामान के मामले में सामान को छोड़ने के आदेश की तारीख को हिसाब में लिया जायेगा ।

परन्तु यह भी कि निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली 1944 के नियम 56-क अथवा 191 क अथवा 191ख के अधीन कार्यविधियों का पालन नहीं किया गया हो।

"917	मेलाक्राइन फार्मेल्डिहाइड मोल्डिंग पाउडर या बिना परत की मेलालाइन फार्मेल्डिहाइड की चादरों/छड़ों/ट्यूबों आदि से बनी वस्तुएं अथवा उससे बनी वस्तुएं अथवा उससे बनी किसी वस्तु के निर्माणक हिस्से (जिसमें कड़ा प्लास्टिक बोर्ड शीटिंग, शीटें अथवा फिल्में—चाहे वे परतदार हों अथवा नहीं—शामिल नहीं हैं)	731.00 रु० (केवल सात सौ इकतीस रुपये) प्रति क्विंटल	

परन्तु यह कि निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली 1944 के नियम 56—क अथवा 191—क अथवा 191—ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया गया हो ।

1	2	3	4
1918	पोलिविनाइल क्लोराइड संयोजन तथा बिना परत के सख्त तथा लचीले पोलिविनाइल क्लोराइड बोर्डों, शीटिंग / चादरों / फिल्मों / ले फ्लैट ट्यूबिंग आदि से बनायी गई वस्तुएं अथवा फिर्स। वस्तु के संघटक पुर्जे (जिनमें सख्त प्लास्टिक बोर्ड, परतदार अथवा बिना परत की शीटिक, चादरें तथा फिल्में तथा लचीली पालिविनाइल क्लोराइड शीटिंग्ज, चादरें, फिल्में तथा ले फ्लैट ट्यूबिंग, चाहे उनमें टैक्सटाइल सामग्री हो अथवा नहीं, शामिल नहीं है)		
	(क) लचीला	124.00 रु० (केवल एक सौ चौबीस रूपये) प्रति क्विंटल	
	(ख) सख्त	164.00 रु० (केवल एक सौ चौसठ रूपये) प्रति क्विंटल	

परन्तु यह तब, जब कि उक्त वस्तुओं के संबंध में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56क या 191क या 191ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्य-विधियों का पालन नहीं किया जाता हो ।

1919	एक्रिलिकि प्लास्टिक्स से बनायी गयी बिना परत के सख्त प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, चादरें अथवा फिल्में	535.00 रु० (केवल पांच सौ पैंतीस रुपये) प्रति क्विंटल
1920	सेलुलोस एसिटेट मोल्डिंग पाउडर से बनी बिना परत के सख्त प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, चादरें अथवा फिल्में	210.00 रु० (केवल दो सौ दस रुपये) प्रति क्विंटल
1921	लचीला पालिविनाइल क्लोराइड शीटिंग, चादरें, फिल्में लेफ्लैट फ्यू-विरज, जिनमें कोई टैक्सटाइल सामग्री नहीं है।	23.00 रु० (केवल तेइस रुपये) प्रति क्विंटल
1922	स्टाइरीन एक्रिलोनिट्राइल कोपोलाइथर (जिनमें परतदार अथवा बिना परत का सख्त प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग,) चादरें और फिल्में शामिल नहीं हैं से बनी वस्तु अथवा किसी वस्तु के संघटक पुर्जे	संगत आश्रय–पत्र में प्रति क्विंटल स्टाइरीन एक्रिलोनिट्राइल कोपो–लाइमर पर अदा किये गये आयात शुल्क की रकम अथवा 983.00 रुपये (983.00 रु०) प्रति क्विंटल इन में से जो भी कम हो।

1	2	3	4

परन्तु यह तब, जबकि निर्यातकर्ता सीमाशुल्क समाहर्ता के इत्मीनान का साक्ष्य प्रस्तुत करता है और विनिर्माता से यह प्रमाण-पत्र ले कर प्रस्तुत करता है कि किस्टाइरीन एक्रिलोनिट्राइल कोपोलाइमर की 105 किलोग्राम की मात्रा निर्यातकर्ता या निर्यात द्वारा आयात की गई है और निर्यात किये गये उत्पाद के प्रत्येक क्विंटल के विनिर्माण के लिए, ऐसे निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती मास की अवधि में प्रयुक्त की गई है और आयात किये गये स्टाइरीन क्रिलोनिट्राइल कोपोलाइमर की मात्रा

(क) स्टाइरीन एक्रिलोनिट्राइल कोपोलाइमर की वस्तुओं के किसी अन्य पूर्वतन निर्यात से तत्समान संह-संबंधित नहीं है और उनमें ली नहीं गई है ; या

(ख) इस रूप में या किसी अन्य रूप में प्रति अदायगी के लिए दावे सहित या उसके बिना पूर्णत: पुन : निर्यात नहीं की गई है।

व्याख्या.—यह निश्चित करने की दृष्टि से कि सामान का आयात अथवा उसकी निकासी निर्यात की तारीख से पूर्ववर्ती बारह महीने की अवधि के भीतर की गई है नहीं, सीधे आयात किये गये सामान के मामले में सामान के आयात की तारीख तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा मुक्त किये गये सामान के मामले में सामान को छोड़ने के आदेश की तारीख को हिसाब में लिया जाएगा।

इसमें अतिरिक्त शर्त यह भी है कि उक्त वस्तुओं के निर्माण में, निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56क या 191क या 191ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया जाता हो।"

1923 रिक्त

1924	सभी प्रकार की प्लास्टिक की चूड़ियों जो निम्नलिखित प्लास्टिक की वस्तुओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक वस्तुओं से बनी हो अर्थात सेलुलोस एसिटेट मोल्डिंग पाउडर, सेलुलोस नाइट्रेट चादरें, सेलुलोस एसिटेट ब्यूटाईरेट मोल्डिंग पाउडर, पालिस्ट्रीन मोल्डिंग पाऊडर तथा एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर अथवा चादरें जो मेटल फाइल्स या वायर्स, लेकर्स आदि से अलंकृत तथा अन-अलंकृत हो।		
	(i) जिन मामलों में प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री में पालिस्ट्रीन मोल्डिंग पाउडर शामिल है	चूड़ियों के प्रति क्विण्टल पर	226.00रु० (केवल दो सौ छब्बीस रुपये)

1	2	3	4
	(ii)	जिन मामलों में प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री में पालिस्ट्रीन मोल्डिंग पाउडर शामिल नहीं है परन्तु एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर चादरें आदि शामिल है ।	चूड़ियों के प्रति क्विंटल पर 535.00 रु० (केवल पांच सौ पैंतीस रुपये)
	(iii)	जिन मामलों में प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री में पालिस्ट्रीन मोल्डिंग पाउडर तथा/अथवा एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर, चादरें आदि शामिल नहीं है परन्तु सेलुलोस एसिटेट मोल्डिंग पाउडर शामिल है ।	चूड़ियों के प्रति क्विंटल 825.00 रु० (केवल आठ सौ पच्चीस रुपये)
	(iV)	जिन मामलों में प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री में पालिस्ट्रीन मोल्डिंग पाउडर, एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर अथवा चादरें आदि तथा सेलुलोस एसिटेट मोल्डिंग पाउडर शामिल नहीं है परन्तु सेलुलोस एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर शामिल है ।	चूड़ियों के प्रति क्विंटल पर 1205.00 रू० (केवल एक हजार दो सौ पांच रुपये)
	(V)	जिन मामलों में प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री केवल सेलुलोस नाइट्रेट चादरें हैं	चूड़ियों के प्रति क्विंटल पर 3470.00 रु० (केवल तीन हजार चार सौ सत्तर रुपये)

इसमें शर्त यह है कि उपर्युक्त मद (iV) तथा (V) के सामने निर्दिष्ट प्रति आदायगी की दरें उस स्थिति में लागू होंगी जब निर्यातकर्ता सीमाशुल्क समाहर्ता के इत्मीनान का साक्ष्य प्रस्तुत करता है और विनिर्माता से यह प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करता है कि, यथा स्थिति, सेलुलोस एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर अथवा सेलुलोस नाइट्रेट चादरों की 105 किलोग्राम की मात्रा राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यातकर्ता अथवा निर्याता के लिये मुक्त कर दी गई है और निर्यात किये गये उत्पाद के प्रत्येक क्विंटल के विनिर्माण के लिये, ऐसे निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह मास की अवधि में प्रयुक्त की गई है, और यथा स्थिति, सेलुलोस एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर अथवा सेलुलोस नाइट्रेट चादरों की मात्रा,

(क) सेलुलोस एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर अथवा सेलुलोस नाइट्रेट चादरें, जैसी भी स्थिति हो, की वस्तु के किसी अन्य पूर्वतन निर्यात से तत्समान यह संबंधित नहीं है और उसमें नहीं ली गई है ;

1	2	3	4

या

(ख) इस रूप में या किसी अन्य रूप में, प्रति अदायगी के लिये दावे सहित अथवा उसके बिना पूर्णतः पुनः निर्यात नहीं की गई है ।

व्याख्या.— यह निश्चित करने की दृष्टि से कि सामान का आयात अथवा उसकी निकासी निर्यात की तारीख से पूर्ववर्ती बारह मास की अवधि के भीतर की गई है अथवा नहीं, सीधे आयात किये गये सामान के मामले में सामान के आयात की तारीख तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा मुक्त किये गये सामान के मामले में सामान को छोड़ने के आदेश की तारीख को हिसाब में लिया जायगा ।

अतिरिक्त शर्त यह भी है कि प्लास्टिक चूड़ियों के निर्माण में, निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56–क या 191–क या 191–ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्याविधियों का पालन नहीं किया जाता है ।

1925	सेलुलोस नाइट्रेट चादर के फ्रण्ट और सेलुलोस नाइट्रेट चादर की पार्श्वा वाले चश्मे के फ्रेम/चश्मे और धूप के चश्मे, चाहे वे लैंस/ग्लेयर ग्लास सहित या उनके बिना हो और निम्नलिखित सामग्री अर्थात् कब्जें, रिवेट, शील्ड ज्वाइण्टस, पार्श्वों पर तार, नोज पैडल, टिथ्स में से किसी से सज्जित हो अथवा नहीं ।	पोत पर्यन्त खर्च छोड़ कर मूल्य का 44 प्रतिशत (केवल चवालीस प्रतिशत) अथवा 36.00 रु० (केवल छत्तीस रुपये) प्रति दर्जन, इनमें से जो भी कम हो ।
1926	रिक्त	
1927	लेन्स/ग्लेयर ग्लास सहित या उसके बिना किसी भी रूप में सेलुलोस एसिटेट प्लास्टिक से बने चश्में के फ्रेम/चश्में और धूप के चश्में, चाहे वे निम्नलिखित सामग्री में से किसी से युक्त हों अथवा नहीं–कब्जे, रिबेट, शील्ड ज्वाइंट पार्श्वों पर तार, रोल्डगोल्ड/गोल्ड फिल्ड/सोने का मुलम्मा किया हुआ तार और/अथवा संघटक, ऐलुमिनियम के एनोडीकृत पार्श्व नोज पैड, टिप आदि ।	4.10 रु० (केवल चार रुपये और दस पैसे) प्रति दर्जन

परन्तु यह तब जबकि सीमाशुल्क समाहर्ता को यह इतमीनान हो जाय कि निर्यात किये गये चश्में/चश्मों के फ्रेम, पुरूषों तथा महिलाओं के नाम के वास्तविक चश्में के फ्रेम-चश्में अथवा धूप के चश्में हैं ।

1928	सेलुलोस नाइट्रेट चादरों से बने चश्मे के फ्रेमों के पार्श्व, चाहे उनमें जोड़ हो अथवा नहीं	पोत पर्यन्त खर्च छोड़ कर मूल्य का 45 प्रतिशत (केवल पैंतालीस प्रतिशत) अथवा 12.84 रु० (केवल बारह रुपये और चौरासी पैसे) प्रति दर्जन जोड़े, इनमें से जो भी कम हो।
1929	सभी अन्य चश्मों के प्लास्टिक फ्रेम/चश्में/धूप के चश्में जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	1.64 रु० (केवल एक रुपया और चौसठ पैसे) प्रतिशत किलोग्राम।
2	**संश्लिष्ट रबड़, संवारा हुआ रबड़ और रबड़ की वस्तुएं**	
2001	संश्लिष्ट रबड़, संवारा हुआ रबड़ और रबड़ की वस्तुएं जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	ब्रांड दरें, अलग अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से आबेवल-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जाती हैं।
2002	सभी प्रकार के टायर तथा ट्यूबें जिनमें साइकिलों के टायर ट्यूब शामिल नहीं हैं परन्तु ट्रीड़ रबड़ और फ्लैप शामिल हैं :—	
	(1) 2.50 से 6.70 तक की सेक्शनल चौड़ाई के आकार वाले टायर	
	(क) रेयन	0.75 रु० (केवल पचहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम
	(ख) सूत	0.28 रु० (केवल अठाईस पैसे) प्रति किलोग्राम
	(ग) नायलोन	0.94 रु० (केवल चौरानवे पैसे) प्रति किलोग्राम
	(2) 7.00 से 14.00 तक की सेक्शनल चौड़ाई के आकार वाले टायर	
	(क) रेयन	0.76 रु० (केवल छिहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम
	(ख) सूत	0.28 रु० (केवल अठाईस पैसे) प्रति किलोग्राम
	(ग) नायलोन	1.08 रु० (केवल एक रुपया और आठ पैसे) प्रति किलोग्राम

1	2	3	4
		(3) 15.00 तथा इससे अधिक के सेक्शनल चौड़ाई के आकार वाले टायर-नायलोन	1.06 रु० (केवल एक रुपया और छः पैसे) प्रति किलोग्राम
		(4) ट्यूबें (साइकिल ट्यूबों के सिवाय सभी आकार की	0.41 रु० (केवल इकतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम
		(5) फ्लैप (सभी आकारों के)	0.32 रु० (केवल बत्तीस पैसे) प्रति किलोग्राम
		(6) ट्रीड रबड़ (सभी आकारों के)	0.34 रु० (केवल चौंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम

टिप्पणी.—उप क्रमांक सं० 2002 के अन्तर्गत प्रतिग्रदायगी की दरें 31-8-1974 तक लागू रहेंगी ।

21 खाल, चर्म, चमड़ा या कृत्रिम चमड़े की वस्तुएं, चमड़े का अन्य माल, यात्रा-माल

2101	खाल, चर्म, चमड़ा, चमड़े या कृत्रिम चमड़े की वस्तुएं, चमड़े का अन्य माल, यात्रा-माल जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है ।	ब्रांड दरें, अलग-अलग निर्माता/ निर्यातिकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र होने पर नियत की जानी हैं ।
2102	(क) पूर्वी भारत शोधित पशुचर्म और बछड़े की खालें, अर्थात् गाय का बछड़ा तथा पैडवा (पडिया) चर्म	0.66 रु० (केवल छियासठ पैसे) प्रति किलोग्राम
	(ख) पूर्वी भारत शोधित खालें और भेड़ की खालें	0.68 रु० (केवल अड़सठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ग) पूर्वी भारत शोधित सांप तथा सरीसृप की खालें	0.63 रु० (केवल तेसठ पैसे) प्रति किलोग्राम
2103	शोधित पशुचर्म और खालें, क्रोम शोधित (क्रोम शोधित नीति पशु-चर्म और खालें) क्रोम छाल (पपड़ी) चमड़े और सर्प खाल से भिन्न	पोत पर्यन्त खर्च छोड़ कर मूल्य का 0.7 प्रतिशत (केवल दशमलव 7 प्रतिशत)
2104	शोधित पशुचर्म और खालें, क्रोम शोधित क्रोम छाल (चमड़ी) चमड़ा जो सर्प खाल से भिन्न हो ।	पोत पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य का 2 प्रतिशत (केवल दो प्रतिशत)

1	2	3	4
	2105	सभी प्रकार का परिष्कृत चमड़ा, चमड़े की पट्टी, चिथड़ों (कतरनों) के पट्टे, बफर, भेड़/बछड़े की बेलनाकार (लपेटी हुई) खालें और चमड़े के पल्ले, सर्प खाल और सर्प चमड़े से भिन्न	पोत पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य का 3.6 प्रतिशत (केवल तीन दशमलव छः प्रतिशत)
	2106	अटैची केसों, ब्रीफ केसों, महिलाओं के हैंड बैगों, वालेट, चमड़े के एपैरल, पर्स आदि जैसा यात्रा सम्बन्धी तथा अन्य हल्का किस्म का चमड़े का माल	
		(क) छल्ले, बक्सुये जैसी पीतल की फिटिंग्ज के साथ लगाम	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर मूल्य का 7.8 प्रतिशत (केवल साथ दशमलव आठ प्रतिशत)
		(ख) सभी अन्य	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर मूल्य का 5.3 प्रतिशत (केवल पांच दशमलव तीन प्रतिशत)
	2107	चमड़े का भारी माल जैसे काठी की चीजें, चमड़े के ट्रंक, चमड़े के सूटकेस	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर मूल्य का 5.3 प्रतिशत (केवल पांच दशमलव तीन प्रतिशत)
	2108	औद्योगिक चमड़े के दस्ताने	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर मूल्य का 4.8 प्रतिशत (केवल चार दशमलव आठ प्रतिशत)
	2109	सभी प्रकार के क्रोम लेदर वाशर्स	1010.00 रु० (केवल एक हजार दस रुपए) प्रति टन
	2110.	चर्म परिष्कारक (पिकर)	12.85 रु० (केवल बारह रुपए और पचासी पैसे) प्रति ग्रुस
22		पृष्ठावरण, प्लाईवुड, सुसंस्कृत या कृत्रिम लकड़ी, उससे बने उत्पाद	
	2201	पृष्ठावरण, प्लाईवुड, सुसंस्कृत या कृत्रिम लकड़ी, उससे बने उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाने पर ब्रांड दरें नियत की जानी हैं

1	2	3	4
	2202	चाय के निर्यात के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में प्रयुक्त प्लाईवुड फलक की बनी चाय की पेटियां जिनके सभी तरफ अल्युमिनियम पत्ती की कतार और किनारों पर टिन प्लेट धातु की फिटिंग हो	150.50 रुपए (एक सौ पचास रु० पचास पैसे मात्र) चाय की पेटी के सतही क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग मीटर पर
	2203	चाय के निर्यात के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में प्रयुक्त प्लाईवुड फलक से बनी चाय की पेटियां (उपक्रमांक सं० 2202 के अन्तर्गत आने वालों से भिन्न) और चाय की पेटियों और उनकी फिटिंग के लिए प्लाईवुड फलक	
		(i) चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड पेनल	
		(क) जब चाय के निर्यात के लिए चाय की पेटी के रूप में प्रयुक्त हो	77.80 रुपए (सत्तहत्तर रु० अस्सी पैसे मात्र) ऐसी चाय की पेटियों के सतही क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग मीटर पर
		(ख) जब फलक अथवा पट्टियों के आकार में कटे हों और उसी रूप में निर्यात किए जायें	34.90 रुपए (चौंतीस रुपए नब्बे पैसे मात्र) प्रति 100 वर्ग मीटर पर
		(ii) टिन चादर की बनी हुई चाय की पेटियों की धातु फिटिंग	0.84 रु० (केवल चौरासी पैसे) प्रति कि० ग्रा०
		(iii) तार की कीलें, टैंटर हुकें और रिवटें	0.30 रु० (केवल तीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०
		(iv) बैटनों को लपेटने के अथवा अल्युमिनियम पन्नी पर अस्तर के लिए उत्तक कागज	1.20 रु० (एक रु० बीस पैसे मात्र) प्रति कि० ग्रा०
		(v) अल्युमिनियम पन्नी	4.37 रु० (केवल चार रु० और सैंतीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०
	2204	सभी प्रकार की प्लाईवुड जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है	16.10 रु० (केवल सौलह रु० दस पैसे) प्रतिग्लू लाइन प्रति सौ वर्गमीटर।

2205	चाय की पेटियों से भिन्न प्लाईवुड की पेटियां—	
	(i) वे पेनल जिनमें से प्रत्येक का सतह क्षेत्र 5625 वर्ग से० मी० या उससे कम है	ऐसे पैनलों के प्रति 100 वर्ग मीटर पर 57.75 रु० सतावन रु० पचहत्तर पैसे मात्र)
	(ii) वे पेनल जिनमें से प्रत्येक का सतह क्षेत्र 5625 वर्ग से० मी० से अधिक है	ऐसे पेनलों के प्रति 100 वर्ग मीटर पर 117.70रु० (एक सौ सतरह रु० सत्तर पैसे मात्र)

स्पष्टीकरण—(1) उपक्रम संख्या 2205 के अन्तर्गत की गयी दर 4 मि० मी० मोटाई वाली प्लाईवुड पेनलों के लिए है। अन्य मोटाइयों के लिए दर अनुपातत : बढ़ा या घटा दी जायेगी।

(2) उपक्रम संख्या 2204 में विहित रनू लाइन के प्रति 100 वर्ग मीटर पर वापसी, उपक्रम संख्या 2205 में विहित दरों के अतिरिक्त होगी।

कार्क विनिर्मितियां, जिनमें कार्क सम्मिलित है।

2301	कार्क विनिर्मितियां, जिनमें कार्क सम्मिलित है जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर ब्रांड दरें नियत की जानी हैं
2302	कार्क स्टापर	प्रति क्विंटल 110.70 रु० (एक सौ दस रुपए सत्तर पैसे मात्र)
2303	कार्क डिस्क	प्रति क्विंटल 107.00 रु० (एक सौ सात रु० मात्र)

24 कागज की लुगदी, कागज, कागज गत्ते, तन्तु गत्ता, काष्ठ लुगदी या वनस्पति तन्तु के अन्य गत्ते, उनसे बनी वस्तुएं मुद्रित सामग्री, पुस्तकें, पत्रिकाएं।

2401	कागज की लुगदी, कागज, कागज गत्ते, तन्तु गत्ता, काष्ठ, लुगदी या वनस्पति तन्तु के अन्य गत्ते, उनसे बनी वस्तुएं, मुद्रित सामग्री, पुस्तकें, पत्रिकाएं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर ब्राण्ड दर नियत की जानी है।

1	2	3	4
	2402	ताश के पत्ते	
		(i) आर्ट बोर्ड से बने	1.12 रु० (केवल एक रुपया और बारह पैसे) प्रति कि० ग्रा०
		(ii) लुगदी बोर्ड से बने	0.60 रु० (केवल साठ पैसे) प्रति किलोग्राम
	2403	रिक्त	
	2404	रिक्त	
	2405	रिक्त	
	2406	रिक्त	
	2407	ब्लाटिंग, टायलेट, टिशू (सिगरेट टिशू के अलावा) टेलीप्रिंटर, टाइपराइटिंग पेनीफोल्ड बैंक, बाण्ड, आर्ट पेपर, क्रोम पेपर, टब-साइज्ड पेपर, चेक पेपर, स्टाम्प पेपर, मार्टिज पेपर और पार्चमेंट से निर्मित अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं, जहां ऐसा कागज	
		(i) 40 से 45 ग्राम प्रति वर्ग मीटर का है	0.62 रु० (केवल बासठ पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ii) 40 से 45 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से भिन्न	1.08 रु० (केवल एक रुपया और आठ पैसे) प्रति किलोग्राम
	2408	समाचार पत्र	कुछ नहीं
	2409	मुद्रण और लिखाई के कागज से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं—	
		(i) प्रति वर्ग मीटर 65 ग्राम से अधिक वाले पदार्थ का	0.60 रु० (केवल साठ पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ii) प्रति वर्ग मीटर 65 ग्राम से अनधिक वाले पदार्थ का रंगीन किस्मों से भिन्न पदार्थ का	0.14 रु० (केवल चौदह पैसे) प्रति किलोग्राम
		(iii) प्रति वर्ग मीटर 65 ग्राम से अनधिक वाले रंगीन किस्मों के पदार्थ का	0.60 रु० (केवल साठ पैसे) प्रति किलोग्राम
	2410	पर्किंग और लपेटने के कागज से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं	0.57 रु० (केवल सत्तावन पैसे) प्रति किलोग्राम

1	2	3	4
2411		लुगदी बोर्ड, ग्रे बोर्ड, डुपलेक्स बोर्ड और ट्रिपलेक्स बोर्ड से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं	0.60 रु० (केवल साठ पैसे) प्रति किलोग्राम
2412		आर्ट बोर्ड, क्रोम बोर्ड और ताश के पत्तों के बोर्ड सहित कोट किये हुए बोर्ड से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं	1.12 रु० (केवल एक रुपया और बारह पैसे) प्रति किलोग्राम
2413		स्ट्रा बोर्ड और मिल बोर्ड से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं	0.24 रु० (केवल चौबीस पैसे) प्रति किलोग्राम
2414		नालीदार बोर्ड से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं	0.78 रु० (केवल अठहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम
2415		कागज और कागज बोर्ड (उपक्रम संख्या 2407 से 2414 आदि में विनिर्दिष्ट सिगरेट टिशू पेपर और पेपर/पेपर बोर्ड के अलावा) से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं	
	(i)	अगर वस्तुएं कागज की बनी हैं	0.87 रु० (केवल सत्तासी पैसे) प्रति किलोग्राम
	(ii)	अगर वस्तु बोर्ड की बनी है	1.20 रु० (केवल एक रुपया और बीस पैसे)
2416		क्लिप लगी चपटी फाइलें	लुगदी बोर्ड पर उप क्रम संख्या 2411 और टीन प्लेट अन्तर्वस्तु पर 3618 के सामने विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार
2417		पैकिंग और लपेटने के कागज, लुगदी बोर्ड, ग्रे बोर्ड, डुपलेक्स और ट्रिपलेक्स बोर्ड से बने कागज शंकु (कोन)	73.28 रु० (केवल तिहत्तर रुपये और अट्ठाइस पैसे) प्रति क्विंटल
2418		स्ट्रा बोर्ड और/अथवा मिल बोर्ड से बने कागजी शंकु (कोन)	30.65 रु० (केवल तीस रुपये और पैंसठ पैसे)
2419		पुस्तकें—	
	(क)	जहां प्रयुक्त किया गया मुद्रण का कागज (लिफाफे को छोड़ कर) 65 ग्राम से अधिक वाले पदार्थ का है।	0.78 रु० (केवल अठहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम

1	2	3	4
		(ख) जहां प्रयुक्त किया गया मुद्रण का कागज (लिफाफों को छोड़ कर) 65 ग्राम या इससे कम वाले पदार्थ का है	(0.67 रु० (केवल सड़सठ पैसे) प्रति किलोग्राम
2420		समाचार पत्रों से भिन्न, सजिल्द या सपाट मुड़े हुए कागजों के रूप में पत्र–पत्रिकाएं	0.67 रु० (केवल सड़सठ पैसे) प्रति किलोग्राम
2421		पोलीथीन कोट किये गये कागज से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं	कागज अन्तर्वस्तु पर ऊपर उप क्रम–संख्या 2407 से 2415 तक के सामने विनिर्दिष्ट समुचित दर तथा पोलीथीन अन्तर्वस्तु पर उप क्रम–संख्या 1914 के सामने विनिर्दिष्ट समुचित दर
2422		सिगरेट टिशू पेपर से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं	पदार्थ में सिगरेट टिशू अन्तर्वस्तु का 3.15 रु० (केवल तीन रुपये और पन्द्रह पैसे) प्रति किलोग्राम
2423		उप क्रम संख्याएं 2403 से 2418 और 2421 से 2422 पर विनिर्दिष्ट वस्तुओं अथवा इन उपक्रम संख्याओं में उल्लखित कागज/कागज बोर्ड के मिश्रण से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं	प्रत्येक प्रकार के कागज/कागज बोर्ड अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में सम्बद्ध उप-क्रम सख्याओं के सामने विनिर्दिष्ट समुचित दरें
2424		पैकिंग सामान के रूप में प्रयुक्त कागज अथवा कागज बोर्ड	उप-क्रम संख्याओं 2407 से 2415 के सामने विनिर्दिष्ट समुचित दर पर
2425		सभी प्रकार की कागज की ट्यूबें जिनमें रेजिन ससिक्त कागज की ट्यूबें शामिल हैं, चाहे उन पर टिन की कवच चढ़ी हो अथवा नहीं :—	
	(i)	पैक करने तथा लपेटने वाले कागज से बनी	उप-क्रम सं० 2410 के सामने विनिर्दिष्ट उपयुक्त दर पर
	(ii)	मिल बोर्ड तथा स्ट्रा बोर्ड से बनी	उप-क्रम सं० 2413 के सामने विनिर्दिष्ट उपयुक्त दर पर
	(iii)	ग्रे बोर्ड डुप्लेक्स बोर्ड और फ्लेक्स बोर्ड से निर्मित	उप-क्रम संख्या 2411 के सामने विनिर्दिष्ट समुचित दर पर

1	2	3	4

25 संश्लिष्ट और पुनर्योजित फाइबर तथा वस्त्र बनाने का सूत धागा, ट्वाइन, डोरियां और रस्सियां ।

2501	संश्लिष्ट और पुनर्योजित फाइबर, वस्त्र बनाने का सूत, धागा, ट्वाइन, डोरियां और रस्सियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हों ।		अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर बाण्ड दर निर्धारित की जानी है ।
2502	(क) 21 बी डब्ल्यू एस काउण्टों अथवा 14 एन० एफ० काउण्टों से अधिक का सूत, या तो विस्कोज रेयन तन्तु या एसीटेट तन्तु या पोलियेस्टर तन्तु अथवा पोलिनोसाइड तन्तु अथवा एक्रीलिक तन्तु अथवा ऊन से पूर्णतः काता गया हो, या ऊपर उल्लिखित तन्तुओं में से दो के और दो से अनधिक के मिश्रण से काता गया हो, या सूत अथवा रेशम के साथ ऊपर उल्लिखित तन्तुओं में से किसी एक के मिश्रण से काता गया हो (लेकिन तन्तु वेस्ट सूत, वेस्ट, या फ्रिक वेस्ट से गार्नेटिंग अथवा अन्य किसी प्रक्रिया से काते गए धागे को छोड़ कर) :—		
	(क) सेलुलोजिक तन्तु अन्तर्वस्तु	1.20 रु० (केवल एक रु० बीस पैसे)	प्रति किलोग्राम ।
	(ख) 2 डेनियर या उससे कम के पोलियस्टर तन्तु अन्तर्वस्तु	43.70 रु० (केवल तेंतालीस रुपये सत्तर पैसे)	प्रति किलोग्राम ।
	(ग) 2 डेनियर से अधिक के पोलियस्टर तन्तु अन्तर्वस्तु	43.70 रु० (केवल तेंतालीस रुपये सत्तर पैसे)	प्रति किलोग्राम ।
	(घ) एक्रिलिक तन्तु अन्तर्वस्तु	15.10 रु० (केवल पन्द्रह रु० दस पैसे)	प्रति किलोग्राम ।
	(ङ०) पोलिनोसाइड तन्तु अन्तर्वस्तु	36.15 रु० (केवल छत्तीस रुपये पन्द्रह पै०)	प्रति किलोग्राम ।

1	2	3	4

(च) ऊन अन्तर्वस्तु—

(i) बुनाई किस्म के वर्सटेड धागे में	28.60 रु०	(अठाईस रुपये साठ पैं०) प्रति किलोग्राम ।
(ii) वर्सटेड होजरी धागे और वर्सटेड हाथ से बुनाई के धागे में	2?.50 रु०	(केवल तेईस रुपये पचास पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(छ) रंग अन्तर्वस्तु, अगर धागा रंगा हुआ हो ।	0.85 रु०	(केवल पचासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।

बशर्ते कि—

(i) तन्तु अन्तर्वस्तु और ऊन अन्तर्वस्तु के कारण उपर्युक्त दरों पर प्रतिग्रदायगी केवल तब स्वीकार्य हो सकती है जब निर्माता/निर्यातकर्ता जहाज पर माल लादने के समय यह घोषित करता है और अगर आवश्यक हो तो समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में इस बात का सबूत प्रस्तुत करता है, कि निर्यात किये जाने वाले माल में अन्तर्निहित ऊपर (क) से (ङ०) तक उल्लिखित संश्लिष्ट तन्तु, शुल्क-चुकता नये तन्तु हैं (और ऐसे तन्तु नहीं है जो रद्दी तन्तु, रद्दी धागे अथवा रद्दी फैब्रिक से गार्नेटिंग अथवा किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किये गये हों) ; तथा ऊपर (च) पर उल्लिखित ऊन केवल आयातित शुल्क-चुकता ऊन हैं ;

(ii) तन्तुओं पर अदा किये गये शुल्क से, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अधीन कोई छूट प्राप्त नहीं की गयी है ।

(iii) उन तन्तुओं के सम्बन्ध में तन्तु अन्तर्वस्तु पर उपर्युक्त दरों पर प्रतिग्रदायगी स्वीकार नहीं होगी, जिनके लिए ऊपर बताये अनुसार घोषणा नहीं की गयी है और यथा ऊपर बताये अनुसार सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(ख) 21 वी० डब्ल्यू एस० अथवा उससे कम काउण्ट का पूर्णतः ऊनी वर्सटेड का हाथ से बुनाई का धागा

(i) ऊन अन्तर्वस्तु	21.58 रु०	(केवल इक्कीस रुपये अठावन पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(ii) रंग अन्तर्वस्तु अगर धागा रंगा हुआ हो ।	0.85 रु०	(केवल पिचासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।

बशर्ते कि ऊन अन्तर्वस्तु के बारे में प्रतिग्रदायगी की उपरोक्त दरें केवल तभी लागू होंगी जब निर्माता/निर्यातकर्ता पोत लदान के समय घोषणा करता है, और यदि आवश्यक हो तो समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में इस बात का सबूत प्रस्तुत करता है निर्यात किये जाने वाले माल में ऊन अन्तर्वस्तु कि आयातित शुल्क-चुकता ऊन है किसी और धागा वर्सटेड है ।

1	2	3	4
		(ग) 21 सी० डब्ल्यू० एम० अथवा उससे कम काउण्ट का पूर्णतः ऊनी वर्सटेड धागा (पूर्णतः ऊनी वर्सटेड हाथ से बनाई के धागे को छोड़ कर)—	
		(i) ऊन अन्तर्वस्तु	5.40 रु० (पांच रुपये चालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ii) रंग अन्तर्वस्तु, अगर धागा रंगा हुआ हो।	धागे का 0.85 रु० (केवल पचासी पैसे) प्रति किलोग्राम।

परन्तु ऊन अन्तर्वस्तु के बारे में प्रतिग्रदायगी की उपर्युक्त दरें केवल तभी लागू होंगी यदि निर्माता/निर्यातकर्ता पोत लदान के समय यह घोषणा करता है और यदि आवश्यक हो तो समाहर्ता की संतुष्टि के लिए यह सबूत प्रस्तुत करता है कि धागा वर्सटेड धागा है।

		(घ) ऐसे तन्तुओं से काता गया रंजित धागा जिसमें संश्लिष्ट तन्तु और/अथवा ऊन अन्तर्निहित हो और जो गारनेटिंग अथवा किसी अन्य प्रक्रिया से तन्तु-वेस्ट, धागा-वेस्ट अथवा फेब्रिक-वेस्ट, धागा-वेस्ट अथवा फेब्रिक-वेस्ट से प्राप्त किया गया हो।	0.85 रु० (पिचासी पैसे)
2503		कते हुए सूत से बना धागा ट्वाइन, डोरी तथा रस्सी जिसमें सूत, रेशम, ऊन तथा मानव निर्मित तन्तु हों, परन्तु जूट नहीं हो—	
		(क) धागा अन्तर्वस्तु :—	
		(i) धागा की अन्तर्वस्तु जिससे पूर्णतया सेलुलोजिक मूल के संश्लिष्ट स्टेपल तन्तु से काता गया हो अथवा सेलुलोजिक मूल के संश्लिष्ट स्टेपल तन्तु तथा सूत से काता गया हो, बशर्ते कि धागे में सूती अन्तर्वस्तु उससे	

1	2	3	4
		भार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो—	
		निम्नलिखित एन० एफ०कांउट अथवा उससे अधिक के	परन्तु निम्नलिखित एन० एफ० कांउट से कम के
(क)	84 एन० एफ०	—	2.60 रु० (केवल दो रुपये और साठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(ख)	96 एन० एफ०	84 एन० एफ०	2.10 रु० (केवल दो रुपये दस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(ग)	51 एन० एफ०	69 एन० एफ०	1.83 रु० (केवल एक रुपया तिरासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(घ)	40 एन०एफ०	51 एन० एफ०	1.57 रु० (केवल एक पया सतावन पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(ङ)	34 एन० एफ०	40 एन० एफ०	1.04 रु० (केवल एक पया चार पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(च)	29 एन० एफ०	34 एन० एफ०	0.94 रु० (केवल चौरानवे पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(छ)	22 एन० एफ०	29 एन० एफ०	0.42 रू० (केवल ब्यालीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(ज)	14 एन० एफ०	22 एन० एफ०	0.21 रु० (केवल इक्कीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(झ)	—	14 एन० एफ०	0.10 रु० (केवल दस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ii) धागे की अन्तर्वस्तु जिसे सेलुलोजिक मूल के संश्लिष्ट स्टेपल तन्तु और ऊन तथा/अथवा रेशम से काता गया हो बशर्ते कि धागे में ऊन तथा/अथवा रेशम अन्तर्वस्तु उसके भार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ।		7.85 रु० (केवल सात रुपये और पचासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1	2	3	4
		(III) धागे की अन्तर्वस्तु जिससे पूर्णतया संश्लिष्ट पोलिएस्टर अथवा पोलिएमाइड स्टेपल तन्तुओं अथवा अंशतः उक्त स्टेपल तन्तुओं से तथा अंशतः एक्रिलिक तन्तु/सेलुलोजिक स्टेपल तन्तुओं/ऊन/सूत/या रेशम से काता गया हो परन्तु यदि उससे कुछ ऊन तथा/अथवा सूत तथा/अथवा रेशम अन्तर्वस्तु हो तो वह उसके भार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो और जब उसकी नान सेलुलोजिक (पोलिएस्टर/पोलिएमाइड) तन्तु अन्तर्वस्तु—	
		(क) 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो	15.69 रु० (केवल पन्द्रह रुपये उनहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ख) 50 प्रतिशत से कम हो परन्तु 25 प्रतिशत से कम नहीं हो	12.55 रु० (केवल बारह रुपये पचपन पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ग) 25 प्रतिशत से कम परन्तु 10 प्रतिशत से अधिक हो	10.46 रु० (केवल दस रुपये छियालीस पैसे) प्रति किलोग्राम
		(घ) 10 प्रतिशत अथवा उससे कम हो	7.84 रु० (केवल सात रुपये चौरासी पैसे) प्रति किलोग्राम
		(IV) धागे की अन्तर्वस्तु जिसे या तो पूर्णतया एक्रिलिक तन्तु से अथवा अंशतः इस प्रकार के एक्रिलिक तन्तु तथा अंशतः सूत तथा/अथवा रेशम/तथा/अथवा ऊन से काता गया हो परन्तु धागे में सूत/रेशम ऊन अन्तर्वस्तु उसके भार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो—	
		(क) वर्स्टेड का हाथ की बुनाई का धागा	7.32 रु० (केवल सात रुपये बत्तीस पैसे) प्रति किलोग्राम

1	2	3	4
		(ख) हाथ की बुनाई के धागे से भिन्न, वर्स्टेड--	
		(1) 40 एन० एफ० कांउट तथा उससे अधिक के	14.64 रु० (केवल चौदह रुपये चौसठ पैसे) प्रति किलोग्राम
		(2) 20 एन० एफ० कांउट से अधिक तथा 40 एन० एफ० कांउट से कम के	8.37 रु० (केवल आठ रुपये सैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम
		(3) 20 एन० एफ० काउंट तथा उससे कम के	4.18 रु० (केवल चार रुपये अठारह पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ग) वर्स्टेड से भिन्न—	
		(i) 40 एन० एफ० कांउट तथा उससे अधिक के	8.37 रु० (केवल आठ रुपये सैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ii) 20 एन० एफ० कांउट से अधिक के परन्तु 40 एन० एफ० काउंट से कम के	5.23 रु० (केवल पांच रुपये तेईस पैसे) प्रति किलोग्राम
		(iii) 20 एन० एफ० कांउट तथा उससे कम के	3.14 रु० (केवल तीन रुपये और चौदह पैसे) प्रति किलोग्राम
		(V) धागा अन्तर्वस्तु जिसमें कुल तन्तु धागा अन्तर्वस्तु पर परिकलित वजन का 90 प्रतिशत से कम ऊन नहीं हो--	
		(क) वर्सटेड हाथ-बुना भू-धागे की अन्तर्वस्तु	2.04 रु० (दो रुपये चार पैसे मात्र) प्रति किलोग्राम।
		(ख) वर्सटेड अन्तर्वस्तु हाथबुना प्रक्रिया युक्त और/अ ना रंजित अथवा रंजित ऊन से बुना हुआ धागा ।	10.20 रु० (दस रुपये बीस पैसे मात्र) प्रति किलोग्राम
		(ग) हाथ-बुने से भिन्न वर्सटेड धागा अन्तर्वस्तु--	
		(i) 48 वी डब्ल्यू एस कांउन्टों और उससे अधिक का	14.05 रु० (चौदह रुपये पांच पैसे मात्र) प्रति किलोग्राम
		(ii) 24 वी डब्ल्यू एस कांउन्टों से अधिक लेकिन 48 वी डब्ल्यू एस काउण्टों से कम का	4.89रु० (चार रुपये नवासी पैसे मात्र) प्रति किलोग्राम
		(iii) 24 वी डब्ल्यू एस कांउण्टों और उससे कम का	2.04 रु० (दो रुपये चार पैसे मात्र) प्रति किलोग्राम

1	2	3	4
		(घ) ऊनी अन्तर्वस्तु (जिसमें 5 प्र० श० से अधिक नई ऊन नहीं हो)। टेनरी अथवा स्ट्रिप ऊन से बने सामान्यत: शौडी अथवा ऊनी धागे के नाम से विख्यात	0.78 रु० (अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति किलोग्राम
		(ङ) ऊपर (क), (ख), (ग) और (घ) के अन्तर्गत आने वाले के अलावा ऊनी अन्तर्वस्तु	1.67 रु० (एक रुपये सड़सठ पैसे मात्र) प्रति किलोग्राम
		(VI) निम्नलिखित फाइबरों में दो या उससे अधिक से कता हुआ धागा अन्तर्वस्तु :—सूत रेशम, ऊन और संश्लिष्ट मानव निर्मित तन्तु (लेकिन पटसन को छोड़कर) बशर्ते कि ऊपर विनिर्दिष्ट प्रत्येक तन्तु का वजन 90 प्र० श० से कम हो—	
		(क) रिक्त	
		(ख) (1) धागा अन्तर्वस्तु जिसमें अंशत: गैर—सैलूलोजी मूल का संश्लिष्ट स्टेपिल तन्तु हो, और अंशत: ऊन हो, इस प्रकार का संश्लिष्ट स्टेपिल तन्तु अन्तर्वस्तु ऐसे धागे के वजन के 50 प्र० श० से अधिक हो—	
		(i) यदि गैर सैलूलोजी तन्तु अन्तर्वस्तु का धागा 60 प्र० श० अथवा उससे अधिक है।	15.69 रु० (पन्द्रह रुपये उनहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ii) यदि गैर सैलूलोजी तन्तु अन्तर्वस्तु का धागा 56 प्र० श० से अधिक लेकिन 60 प्र० श० से कम हो।	12.55 रु० (बारह रु० पञ्चपन पैसे) प्रति किलोग्राम
		(iii) यदि गैर—सैलूलोजी तन्तु अन्तर्वस्तु का धागा 50 प्र० श० से अधिक लेकिन 56 प्र० श० से कम हो—	
		(क) यदि धागे का कांउण्ट 34 एन एफ का उससे कम है।	8.37 रु० (आठ रुपये सैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम

1	2	3	4
		(ख) यदि धागे का कांउण्ट 34 एन एफ से अधिक है।	10.46 रु० (दस रुपये छियालीस पैसे प्रति किलोग्राम
		(2) धागा अन्तर्वस्तु जिसमें अंशत: गैर सैलूलोजी मूल का संश्लिष्ट स्टेपिल तन्तु हो और अंशत: (ऊन से भिन्न) कोई अन्य तन्तु हो। यदि गैर–सैलोलोजी तन्तु अन्तर्वस्तु ऐसे धागे के वजन का—	
		(i) 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो	15.69 रु० (केवल पन्द्रह रुपये उनहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ii) 50 प्रतिशत से कम परन्तु 25 प्र० श० से कम नहीं हो	12.55 रु० (केवल बारह रुपये पच्चपन पैसे) प्रति किलोग्राम
		(iii) 25 प्रतिशत से कम परन्तु 10 प्रतिशत से ज्यादा हो	10.46 रु० (केवल दस रुपये छियालीस पैसे) प्रति किलोग्राम
		(iv) 10 प्रतिशत अथवा इससे कम हो	7.84 रुपये (केवल सात रु० चौरासी पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ग) धागा अन्तर्वस्तु जिसमें अंशत: सैलूलोजी मूल का संश्लिष्ट तन्तु हो और/अथवा सूत हो और अंशत: ऊन हो बशर्ते कि सैलूलोजी मूल का संश्लिष्ट स्टेपिल तन्तु अन्तर्वस्तु और/अथवा सूत ऐसे धागे के वजन के 50 प्र० श० से अधिक हो और अगर गैर-सैलूलोजी तन्तु अन्तर्वस्तु और/अथवा ऊन अन्तर्वस्तु का धागा —	
		(i) 40 प्र० श० या उससे अधिक लेकिन 50 प्र० श० से कम हो और धागे का कांउण्ट 34 एन एफ अथवा उससे कम है।	6.27 रु० (छः रुपये सत्ताइस पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ii) 40 प्र० श० या उससे अधिक लेकिन 50 प्र० श० से कम हो और धागे का काउण्ट 34 एन एफ से अधिक है।	8.37 रु० (आठ रुपये सैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम

1	2	3	4
		(iii) 20 प्र० श० या उससे अधिक लेकिन 40 प्र० श० से कम हो और धागे का काउण्ट 34 एन० एफ० या उससे कम हो।	4.18 रु० (चार रुपये अठारह पै०) प्रति किलोग्राम।
		(iv) 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक परन्तु 40 प्रतिशत से कम तथा सूत का काउण्ट 34 एन० एफ० से अधिक हो।	6.27 रु० (केवल छः रुपये और सत्ताइस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(V) 20 प्रतिशत से कम और सूत का काउण्ट 34 एन० एफ० अथवा उससे कम हो।	2.09 रु० (केवल दो रुपये और नौ पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(vi) 20 प्रतिशत से कम और सूत का काउण्ट 34 एन० एफ० से अधिक हो।	4.18 रु० (केवल चार रुपये और अठारह पैसे) प्रति किलो ग्राम।
		(ब) ऐसा धागा जिसमें अंशत: ऊन और/अथवा एक्रिलिक तन्तु तथा अंशत: कोई अन्य तन्तु अथवा बहुत से तन्तु हों बशर्ते ऊन तथा/अथवा एक्रिलिक तन्तु अन्तर्वस्तु, इस प्रकार के धागे के भार का 50 प्रतिशत से अधिक हो—	
		(i) वर्स्टेड, हाथ की बुनाई का कोरा धागा।	2.09 रु० (केवल दो रुपये और नौ पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ii) वर्स्टेड हाथ की बुनाई का प्रक्रियागत और/अथवा रंगा हुआ धागा।	10.46 रु० (केवल दस रुपये और छियालिस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(iii) हाथ की बुनाई के धागे से भिन्न वर्स्टेड धागा—	
		(i) 40 एन० एफ० काउण्ट और उससे अधिक का।	14.12 रु० (केवल चौदह रुपये और बारह पैसे) प्रति किलो ग्राम।
		(ii) 20 एन० एफ० काउण्ट से अधिक का परन्तु 40 एन० एफ० काउण्ट से कम।	4.70 रु० (केवल चार रुपये और सत्तर पैसे (प्रति किलो ग्राम)।
		(iii) 20 एन० एफ० काउण्ट और उससे कम का।	2.09 रु० (केवल दो रुपये और नौ पैसे) प्रति किलो ग्राम

1	2	3	4
		(iv) धागा (जिसमें 60 प्रतिशत से कम ऊन नहीं हो तथा 5 प्रतिशत से अधिक नई ऊन नहीं हो), जिसे सामान्यतया शोडी कहा जाता है।	0.78 रु० (केवल अठत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(V) वर्स्टेड धागे अथवा शोडी धागे से भिन्न धागा ।	1.67 रु० (केवल एक रुपया और सड़सठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(ङ) धागे की अन्तर्वस्तु जो सेलुलोजिक मूल के संश्लिष्ट स्टेपल तन्तु और सूत से बनी हो बशत उपर्युक्त तन्तुओं में से प्रत्येक की अन्तर्वस्तु 90 प्रतिशत से कम हो—	
		काउण्ट का अथवा उससे अधिक का / परन्तु नीचे लिखे काउण्ट का	
		(i) 84 एन० एफ०	2.60 रु० (केवल दो रुपये और साठ पैसे) प्रति किलो ग्राम ।
		(ii) 69 एन० एफ० 84 एन० एफ०	2.10 रु० (केवल दो रुपये और दस पैसे) प्रति किलो ग्राम ।
		(iii) 51 एन० एफ० 69 एन० एफ०	1.83 रु० (केवल एक रुपया और तिरासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(iv) 40 एन० एफ० 51 एन० एफ०	1.57 रु० (केवल एक रुपया और सत्तावन पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(V) 34 एन० एफ० 40 एन० एफ०	1.04 रु० (केवल एक रुपया चार पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(vi) 29 एन० एफ० 34 एन० एफ०	0.94 रु० (केवल चौरानवे पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(vii) 22 एन० एफ० 29 एफ० एफ०	0.42 रु० (केवल बयालीस पैसे) प्रति किलोग्राम
		(viii) 14 एन० एफ० 22 एन० एफ०	0.21 रु० (केवल इक्कीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(ix) . . . 14 एन० एफ०	0.10 रु० (केवल दस पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1	2	3	4
		(च) धागे की अन्तर्वस्तु जिसमें अंशतः रेशमी तन्तु तथा अंशतः अन्य तन्तु अथवा बहुत से तन्तु हों बशर्ते रेशमी तन्तु अन्तर्वस्तु इस प्रकार के धागे का भार के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक हो—	
		(i) 34 एन० एफ० काउण्ट्स का अथवा उससे कम का	13.60 रु० (केवल तेरह रुपये और साठ पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ii) 34 काउण्ट्स से अधिक का	15.69 रु० (केवल पन्द्रह रुपये और उनहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम।

परन्तु यह तब, जब कि ऊपर (क) में विनिर्दिष्ट धागा अन्तर्वस्तु पर प्रतिअदायगी उस स्थिति में देय हो सकती है जब निर्माता / निर्यातकर्ता जहाज पर लदान के समय यह घोषणा करे कि प्रयुक्त धागे पर शुल्क अदा किया जा चुका है और उप क्रम संख्या, मद तथा उप-मद विनिर्दिष्ट करे जिनके अन्तर्गत प्रतिअदायगी का दावा किया जाता है। उक्त घोषणा में धागे की संरचना में रेशे की मात्रा का ब्यौरा भी दिया जाना चाहिए और समाहर्ता को यह इतमीनान हो जाना चाहिए कि धागा उक्त उप-क्रम सं०, मद और उप मद के अन्तर्गत आता है। अन्यथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रतिअदायगी अन्य उप-युक्त दरों पर मंजूर की जाय।

		(ख) ऊपर उप-मद (क) पर विनिर्दिष्ट धागों से बनी वस्तुओं की रंजक अन्तर्वस्तु यदि उनमें ऊन तथा/अथवा मानव निर्मित संश्लिष्ट तन्तु का कुल 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो और जब उन वस्तुओं का धागा रंगा गया हो अथवा वस्तु रंगी गई हो	वस्तुओं के बने हुए धागे की अन्तर्वस्तु के प्रति कि० ग्रा० पर 0.90 रु० (केवल नब्बे पैसे)
		(ग) (1) 21 बी डब्ल्यू एम काउण्ट/14 एन० एफ० काउंट से अधिक से धागों से बनी वस्तुओं में तन्तु अन्तर्वस्तु—	
		(क) 2 डेनियर से अनधिक के पोलिएस्टर तन्तु	45.56 रु० (केवल पैंतालीस रुपये और छप्पन पैसे) प्रति किलो ग्राम
		(ख) 2 डेनियर से अधिक के पोलिएस्टर तन्तु	45.56 रु० (केवल पैंतालीस रुपये और छप्पन पैसे) प्रति किलो ग्राम

1	2	2	4
	(ग) पोलिएमाइड तन्तु		37.68 रु० (केवल सैंतीस रुपये और अड़सठ पैसे) प्रति किलोग्राम
	(घ) सेलुलोजिक तन्तु		1.26 (केवल एक रुपया और छब्बीस पैसे) प्रति किलोग्राम
	(ङ) एक्रिलिक तन्तु		15.75 रु० (केवल पन्द्रह रुपये और पचहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम
	(च) बुनाई के किस्म के वर्स्टेड धागे में ऊनी अन्तर्वस्तु		29.80 रु० (केवल उनतीस और अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम
	(छ) होजरी किस्म के वर्स्टेड धागे में ऊनी अन्तर्वस्तु तथा हाथ की बुनाई का वर्स्टेड ऊनी धागा (बुनाई का ऊन)		24.50 रु० (केवल चौबीस रुपये और पचास पैसे) प्रति किलोग्राम
	(ज) धागे में सूती अन्तर्वस्तु –		
	(i) 14 एन० एफ० अथवा उससे अधिक के परन्तु 51 एन० एफ० से कम के		0.82 रु० (केवल बयासी पैसे) प्रति किलो ग्राम
	(ii) 51 एन० एफ० तथा उससे अधिक परन्तु 69 एन० एफ० से कम		1.87 (केवल एक रुपया और सतासी पैसे) प्रति किलो ग्राम
	(iii) 69 एन० एफ० तथा उससे अधिक		3.18 रु० (केवल तीन रुपये अठारह पैसे) प्रति किलो ग्राम

परन्तु, (i) तन्तु अन्तर्वस्तु तथा ऊनी अन्तर्वस्तु के लिए उक्त दरों पर प्रति अदायगी तथा अनुमत्य होगी जब निर्माता/तथा निर्यातकर्ता जहाज में लदान के समय यह घोषणा करे और यदि अवश्यक हो तो समाहर्ता के इतमिनान के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत करे कि

(क) निर्यात की वस्तुओं में उपर्युक्त मद (क) से (ङ) तक उल्लिखित संश्लिष्ट तन्तु शुल्क अदा किये गये नये तन्तु हैं (और ये वे तन्तु नहीं हैं जिन्हें तन्तु रद्दी, धागे की रद्दी अथवा कपड़े की रद्दी से गार्नेटिंग अथवा अन्य किसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया गया हो)। तथा

(ख) उपर्युक्त मद (च) तथा (छ) में उल्लिखित ऊन केवल शुल्क अदा किया गया आयतित ऊन है और धागा वर्स्टेड है।

(2) तन्तुओं पर अदा किए गए शुल्क पर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अन्तर्गत कोई छूट प्राप्त नहीं की गई है।

1	2	3	4

(3) जिन तन्तुओं के बारे में उपर्युक्त घोषणा नहीं की गई तथा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके सम्बन्ध में तन्तु अन्तर्वस्तु पर उपर्युक्त दरों पर प्रति अदायगी नहीं दी जा सकती है।

(ii) 21 बी० डब्ल्यू एस० अथवा उससे कम कांउट के पूर्णतः ऊनी वर्स्टेड हाथ की बुनाई के धागे से बनी वस्तुओं में ऊनी अन्तर्वस्तु	22.50 रु०	(केवल बाईस रुपये और पचास पैसे) प्रति किलोग्राम

परन्तु ऊनी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उपर्युक्त दर पर प्रति अदायगी तथा अनुमत्य होगी जब जहाज के लदान के समय निर्माता/निर्यातकर्ता यह घोषणा करे तथा यदि आवश्यक हो तो समाहर्ता के इतमीनान के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत करे कि निर्यात के माल में ऊनी अन्तर्वस्तु शुल्क अदा किया गया आयातित ऊन है और धागा वर्स्टेड है ।

(iii) 21 बी० डब्ल्यू एस० कांउट अथवा उससे कम कांउट के संपूर्ण ऊनी वर्स्टेड धागे (जिसमें हाथ की बुनाई का धागा शामिल नहीं है) से बने माल में ऊनी अन्तर्वस्तु	5.60 रू०	(केवल पांच रुपये और साठ पैसे) प्रति कि० ग्रा०

परन्तु ऊनी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उपर्युक्त दर पर प्रति अदायगी तभी अनुमत्य होगी जब जहाज के लदान के समय निर्माता/निर्यातकर्ता यह घोषणा करे और यदि आवश्यक हो तो समाहर्ता के इतमीनान के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत करे कि धागा वर्स्टेड है।

2504 (क) सुती धागा:—

(अ) –प्रक्रियागत

(i) यदि धागा 34 एन० एफ० अथवा उससे अधिक कांउट का हो परन्तु 51 एन० एफ० कांईट से कम का हो।	0.82 रु०	(केवल बयासी पैसे) प्रति कि० ग्रा०
(ii) यदि धागा 51 एन० एफ० अथवा उससे अधिक कांउट का हो परन्तु 69 एन० एफ० कांउट से कम का हो।	1.87 रु०	(एक रुपया और सतासी पैसे) प्रति कि० ग्रा०
(iii) यदि धागा 69 एन० एफ० अथवा उससे अधिक का हो	3.18 रु०	(केवल तीन रु० और अठारह पैसे) प्रति कि० ग्रा०

(आ) कोरा (अप्रक्रिया गत)

(i) यदि धागा 34 एन० एफ० अथवा उससे अधिक कांउट का हो परन्तु 51 एन० एफ० कांउट से कम का हो	0.79 रू०	(केवल उनासी पैसे) प्रति कि० ग्रा०

1	2	3	4
		(ii) यदि धागा 51 एन० एफ० परन्तु 69 एन० एफ० कांउट से कम का हो	1.80 रु० (केवल एक रुपया अस्सी पैसे, प्रति कि० ग्रा०
		(iii) यदि धागा 69 एन० एफ० अथवा उससे अधिक का हो	3.06 रु० (केवल तीन रुपये और छः पैसे) प्रति किलो ग्राम
	(ख) सूती धागा		
	(क) प्रक्रियागत		
		(i) यदि धागे में प्रयुक्त सभी रेशे 34 एन० एफ० अथवा उससे अधिक कांउट के हों परन्तु 51 एन० एफ० कांउट से कम के हों	0.82 रुपये (बयासी पैसे मात्र) प्रति कि० ग्रा०
		(ii) यदि धागे में प्रयुक्त सभी रेशे 51 एन० एफ० अथवा उससे अधिक कांउट के हों परन्तु 69 एन० एफ० कांउट से कम के हों	1.87 रुपये (एक रुपया सतासी पैसे मात्र) प्रति कि० ग्रा०
		(iii) यदि धागे में प्रयुक्त सभी रेशे 69 एन० एफ० अथवा उससे अधिक कांउट के हों	3.18 रुपये (तीन रुपये अठारह पैसे मात्र) प्रति कि० ग्रा०
	(ख) कोरा (जो प्रक्रियगत नही है)		
		(i) यदि धागे में प्रयुक्त सभी रेशे 34 एन० एफ० अथवा उससे अधिक कांउट के हों परन्तु 51 एन० एफ० कांउट से कम के हों	0.79 रुपये (उनासी पैसे मात्र) प्रति कि० ग्रा०
		(ii) यदि धागे में प्रयुक्त सभी रेशे 51 एन० एफ० अथवा उससे अधिक कांउट के हों परन्तु 69 एन० एफ० कांउट से कम के हों	1.80 रुपये (एक रुपया अस्सी पैसे मात्र) प्रति कि० ग्रा०
		(iii) यदि धागे में प्रयुक्त सभी रेशे 69 एन० एफ० अथवा उससे अधिक कांउट के हों	3.06 रुपये (तीन रुपये और छः पैसे मात्र) प्रति कि० ग्रा०

2505 रिक्त

1	2	3	4
	2506	पटसन का धागा, ट्विस्ट बलित डोरी और रस्सी जिसमें भार के अनुसार पटसन का 90 प्रतिशत से कम नहीं हो (जिसमें बिमलीपटम पटसन अथवा मेस्टा तन्तु शामिल है) जबकि उसका उसी रुप में निर्यात किया जाए अथवा उसका इस्तेमाल अन्य निर्यात माल को पैक करने के लिए किया जाए।	600 रु० (केवल छः सौ रूपये) प्रति टन तथा परिष्कृत डीजल तेल अथवा पटसन बैचिंग तेल अन्तर्वस्तु पर उप-क्रम स० 1003 के अन्तर्गत निर्धारित समुचित दर ।

इस में शर्त यह है कि यदि माल का निर्यात इसी प्रकार किया जाता तो उपर्युक्त दर पर प्रति-अदायगी लागू होगी जब निर्यातकर्ता बात परिवहन बिल पर यह घोषित करता है तथा समाहर्ता के इत्मीनान का यह प्रमाण भी प्रस्तुत करता है कि माल पर शुल्क की अदायगी कर दी गई है तथा इस प्रकार की माल के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 के अन्तर्गत छूट का दावा नहीं किया गया है। यह भी कि जब पटसन की वस्तुओं का इस्तेमाल अन्य निर्यात माल को पैक करने के लिए किया जाता है तो पटसन की इस प्रकार की वस्तुओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियामावली के नियम 191क तथा 191ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्याविधि का पालन नहीं किया गया है।

	2507	नारियल जटा के सभी आकारों के तेल-युक्त रस्से	110.00 रु० (केवल एक सौ दस रु०) प्रति टन
	2508	(क) बी० एस० एस० 2052। 1953 के अनुसार निर्मित सुतली के रस्से	1481.30 रु० (केवल एक हजार चार सौ इक्यासी रु० तीस पैसे) प्रति टन

बशर्ते कि उपयुक्त दर केवल तह्य लागू होगी यदि निर्माता पोत परिवहन बिल पर निर्यात के समय प्रमाण-पत्र देता है तथा सीमाशुल्क समाहर्ता के इत्मीनान का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि इस प्रकार के सुतली के रस्से का निर्माण पूर्णतया सिसल तन्तु के ग्रेड 1, 3–एल, 2, 3 तथा यू० जी० से किया गया है ।

	(ख) बी० एस० एस० 2052/ 1953 के अनुसार निर्मित मनीला रस्से	2792.70 (केवल दो हजा रसात सो बानवे रुपये सत्तर पैसे) प्रति टन ।

परन्तु यह दर केवल तब लागू होगी यदि निर्माता पोत परिवहन बिल पर निर्यात के समय प्रमाण पत्र देता है तथा सीमा शुल्क समाहर्ता के इत्मीनान का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि इस प्रकार के मनीला रस्सों का निर्माण पूर्णतया मनीला सन तन्तुओं के ग्रेड एस 1, एस-2, एस-3, जी 1, तथा जे० के० किस्मों से किया गया है ।

	(ग) सिसल तन्तु तथा/अथवा मनीला सन तन्तु से पूर्णतः अथवा अंशतः निर्मित सभी अन्य रस्से, लाइनें, जहाजी रस्से, ट्वाइन तथा स्लिंग्स	
	(i) सिसल तन्तु अन्तर्वस्तु	1192.35 रु० (केवल एक हजार एक सौ बानवे रु० पैंतीस पैसे) प्रति टन ।

1	2	3	4
		(ii) मनीला सन तन्तु अन्तर्वस्तु	1939.52 रु० (केवल एक हजार नौ सौ उनतालीस रु० बावन पैसे) प्रति टन ।
2509		विसकोस तन्तु धागे	0.62 रु० (बासठ पैसे मात्र) प्रति किलोग्राम
2510		रिक्त	
2511		पोलिएमाइड तन्तु धागा	3.50 रु० (केवल तीन रुपये पचास पैसे) प्रति किलोग्राम
2512		पोलिएस्टर तन्तु धागा	0.50 रु० (केवल पचास पैसे) प्रति किलोग्राम

परन्तु यह तब, जब कि उप-क्रम सं० 2509, 2511 तथा 2512 के अन्तर्गत निर्धारित प्रति अवायगी की दरें उपर्युक्त तन्तु धागे निर्मित वस्त्र के ऐसे निर्यात पर भी लागू हों, जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 13 अथवा 14 के अधीन, इस प्रकार के तन्तु धागे पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी किये बिना, बन्ध-पत्र के अधीन निर्यात किये गये हों ।

2513		पूर्णतः मानव निर्मित सम्मिश्ट तन्तु धागे से निर्मित बलित धागे, डोरियां (जिनमें पैराशूट की रस्सियां शामिल नहीं हैं) तथा रस्सियां ।	
		(क) पालिएस्टर तन्तु धागा अन्तर्वस्तु	
		(i) 30 डेनियर से नीचे हो	66.50 रु० (केवल छियासठ रुपये पचास पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ii) 30 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 75 डेनियर से कम	60.80 रु० (केवल साठ रुपये अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम
		(iii) 75 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 100 डेनियर से कम	50.70 रु० (केवल पचास रुपये सत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम
		(iv) 100 डेनियर और उससे ऊपर 750 डेनियर तक	47.90 रु० (केवल सैंतालीस रुपये नब्बे पैसे) प्रति किलोग्राम
		(v) 750 डेनियर से ऊपर	15.50 रु० (केवल पन्द्रह रुपये पचास पैसे) प्रति किलोग्राम

1	2	3	4
		(ख) पोलिएमाइड तन्तु धागा अन्तर्वस्तु :..	
		(i) 35 डेनियर से नीचे	42.45 रुपये (केवल बयालीस रुपये पैंतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ii) 35 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 80 डेनियर से कम	39.40 रु० (केवल उनतालीस रुपये चालीस पैसे) प्रति किलोग्राम
		(iii) 80 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 110 डेनियर से कम	32.00 रु० (केवल बत्तीस रुपये) प्रति किलोग्राम
		(iv) 110 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 150 डेनियर से कम	27.00 रु० (केवल सत्ताईस रुपये) प्रति किलोग्राम
		(v) 150 से 750 डेनियर तक का	16.15 रु० (केवल सोलह रुपये पन्द्रह पैसे) प्रति किलोग्राम
		(vi) 750 डेनियर से ऊपर का	9.35 रु० (केवल नौ रुपये पैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ग) विसकोस तन्तु धागा अन्तर्वस्तु:	
		(i) 75 डेनियर से नीचे	12.02 रु० (केवल बारह रुपये दो पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ii) 75 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 100 डेनियर से कम	8.02 रु० (केवल आठ रुपये दो पैसे) प्रति किलोग्राम
		(iii) 100 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 120 डेनियर से कम	5.87 रु० (केवल पांच रुपये सतासी पैसे) प्रति किलोग्राम
		(iv) 120 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 150 डेनियर से कम	4.97 रु० (केवल चार रुपये सतानवे पैसे) प्रति किलोग्राम
		(v) 150 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 350 डेनियर से कम	4.37 रु० (केवल चार रुपये सैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम
		(vi) 350 से 1100 डेनियर [illegible]	3.12 रु० (केवल तीन रुपये बारह पैसे) प्रति किलोग्राम

1	2	3	4
		(vii) 1100 डेनियर से ऊपर का	2.62 रु० (केवल दो रुपये बासठ पैसे) प्रति किलोग्राम
		(घ) एसीटेट तन्तु धागा अन्तर्वस्तु :—	
		(i) 75 डेनियर से नीचे	10.35 रु० (केवल दस रुपये पैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ii) 75 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 100 डेनियर से कम	7.80 रु० (केवल सात रुपये अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम
		(iii) 100 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 120 डेनियर से कम	5.80 रु० (केवल पांच रुपये अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम
		(iv) 120 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 150 डेनियर से कम	4.00 रु० (केवल चार रुपये) प्रति किलोग्राम
		(v) 150 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 350 डेनियर से कम	3.70 रु० (केवल तीन रुपये सत्तर पैसे) प्रति कि० ग्रा०
		(vi) 350 डेनियर से 1100 डेनियर तक का	3.05 रु० (केवल तीन रुपये पांच पैसे) प्रति किलोग्राम
		(vii) 1100 डेनियर से उपर का	2.55 रु० (केवल दो रुपये पचपन पैसे) प्रति कि० ग्रा०

परन्तु धागा अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उपर्युक्त उल्लिखित दरें तभी लागू हो सकती हैं यदि धागे पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी समुचित दर पर की जा चुकी है तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अधीन, उक्त शुल्क में किसी प्रकार की छूट नहीं ली गई है ।

26 टेक्सटाइल वस्त्र तथा होजरी

2601	टेक्सटाइल वस्त्र तथा होजरी; जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हो	अलग अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर ब्रांड दर निर्धारित की जानी है ।
2602	प्रक्रियागत सूती वस्त्र जिनमें सूत की मात्रा 90 प्रतिशत से अधिक हो ।	(क) 34 एन० एफ० अथवा उससे अधिक परन्तु 51 एन० एफ० से कम काउंट के सूती धागे में सूत की मात्रा के प्रति किलोग्राम पर 0.82 रु० (केवल बयासी पैसे)

1	2	3	4
			(ख) 51 एन० एफ० अथवा उससे अधिक परन्तु 69 एन० एफ० से कम कांउट के सूती धागे में सूत की मात्रा के प्रति किलोग्राम पर 1. 87 रु० (एक रु० सतासी पैसे मात्र)
			(ग) 69 एन० एफ० अथवा उससे अधिक कांउट के सूती धागे में सूत की मात्रा के प्रति किलोग्राम पर 3.18 रू० (तीन रुपये अठारह पैसे मात्र)
	2603	अप्रक्रियागत सूती वस्त्र जिनमें सूत की मात्रा 90 प्रतिशत से अधिक हो ।	(क) 34 एन० तथा उससे अधिक कांउट परन्तु 51 एन० एफ० कांउट से कम के सूती धागे में सूत की मात्रा के प्रति किलोग्राम पर 0.79 रु० (केवल उनासी पैसे) ।
			(ख) 51 एन० एफ० तथा अधिक परन्तु 69 एन० एफ० से कम कम कांउट के सूती धागे में सूत की मात्रा के प्रति किलोग्राम पर 1.80 रु० (केवल एक रुपया अस्सी पैसे)
			(ग) 69 एन० एफ० अथवा उससे अधिक कांउट के सूती धागे में सूत की मात्रा के प्रति किलोग्राम पर 3.06 रुपये (तीन रुपये छः पैसे मात्र)
	2604	रिक्त	
	2605	रिक्त	
	2606	वस्त्र और होजरी जो पूर्णतः बटे धागों से बना हो जिसमें सूत, रेशम, ऊन तथा मानव निर्मित तन्तु हों परन्तु पटसन नहीं हो ।	उप-क्रम सं० 2503 के सामने धागा अन्तर्वस्तु, रंग अन्तर्वस्तु, तन्तु अन्तर्वस्तु के लिए उल्लिखित दरें बशर्ते कि उनमें दी गई शर्तें पूरी होती हो ।

1	2	3	4
	परन्तु उप-क्रम सं० 2503 (क) /(ङ०) पर उल्लिखित धागों से बनाये गये वस्त्र के सम्बन्ध में धागा अन्तर्वस्तु के कारण कोई प्रति अदायगी स्वीकार नहीं की जाय ।		
2607	सूती धागे से निर्मित होजरी (जिसमें सूती धागे के बुने वस्त्र शामिल हैं)		
	(क) कोरा		उप-क्रम सं० 2628 के सामने उल्लिखित प्रति अदायगी की समुचित दर का 92.5 प्रतिशत (केवल बयानवे दशमलव पांच प्रतिशत)
	(ख) कोरे से भिन्न		उप-क्रम सं० 2528 के सामने उल्लिखित समुचित दर ।
2608	रिक्त		
2609	रिक्त		
2610	रिक्त		
2611	रिक्त		
2612	रिक्त		
2613	रिक्त		
2614	रिक्त		
2615	रिक्त		
2616	रिक्त		
2617	रिक्त		
2618	रिक्त		
2619	रिक्त		
2620	पूर्णतया संश्लिष्ट तन्तु के मानव निर्मित धागे से बने वस्त्र तथा होजरी		उप-क्रम सं० 2513 के सामने उल्लिखित धागा अन्तर्वस्तु की दरें बशर्ते कि उसमें दी गयी शर्तें पूरी की जाती हों ।
2621	रिक्त		

2	3	4
2622	जूट फैब्रिक्स जिसमें जूट (जिसमें बिमलीपटम जूट अथवा मेस्टा तन्तु शामिल है) भार के अनुसार 90 प्रतिशत से कम नहीं हो जब उनका उसी रूप में निर्यात किया जाय अथवा जब उनका इस्तेमाल अन्य निर्यात वस्तुओं को पैक करने के लिये किया जाता है ।	600 रु० (केवल छः सौ रुपये) प्रति टन तथा परिष्कृत डीजल तेल अथवा पटसन वैचिंग तेल अन्तर्वस्तु पर उप-क्रमांक 1003 के अन्तर्गत निर्धारित समुचित दर।

1. इसमें शर्त यह है कि यदि माल का निर्यात उसी रूप में किया जाता है तो उपर्युक्त दर पर प्रति अदायगी तब लागू होगी जब निर्यातकर्ता पोत परिवहन बिल पर यह घोषित करता है तथा समाहर्ता के इत्मीनान का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि माल पर शुल्क की अदायगी की जा चुकी है तथा प्रकार के माल की खेप के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली 1944 के नियम 12 के अन्तर्गत छूट का कोई दावा नहीं किया गया है ।

2. इसमें यह भी शर्त है कि जब जूट की वस्तुओं का इस्तेमाल अन्य निर्यात वस्तुओं को पैक करने के लिये किया जाता है तो जूट की इस प्रकार की वस्तुओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के नियम 191क तथा नियम 191ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधि का पालन नहीं किया गया है ।

2623	हाथ करघे के सूती वस्त्र, अर्थात्	
	(i) असली मद्रासी रुमाल जिस पर नकली रेशम का अलंकरण हो ।	जहाज पर लदान तक का खर्च छोड़ कर मूल्य का 1 प्रतिशत (केवल एक प्रतिशत) अथवा 0.51 रु० (केवल इक्यावन पैसे) प्रति किलोग्राम इन में से जो भी अधिक हो ।
	(ii) हथकरघे की लुंगियां जिनमें चमकीले धागे वाली हथकरघा लुंगी भी शामिल हैं ।	जहाज पर लदान तक का खर्च छोड़ कर मूल का 2.4 प्रतिशत (दो दशमलव चार प्रतिशत) ।
	(iii) हथकरघे के अन्य सभी वस्त्र जो या तो तैयार करके रंगे हों तथा/अथवा रंगीन धागों से निर्मित हो तथा/अथवा छपे हों (परन्तु इनमें ऐसे वस्त्र शामिल नहीं हैं जिनमें रंगीन धागे केवल बार्डर में हों तथा सारे वस्त्र में नहीं हों तथा अथवा जिनमें बार्डर छपे हों तथा शेष सारा भाग छपा नहीं हो) ।	0.51 रु० (केवल इक्यावन पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1	2	3	4
	2624	रिक्त	
	2625	पौलिविनाइल क्लोराइड यौगिक की निर्मिति से विलेपित अथवा उसकी परत चढ़े टैक्सटाइल फैब्रिक्स—	
		(1) पौलिविनाइल क्लोराइड यौगिक अन्तर्वस्तु ।	118.00 रु० (केवल एक सौ अठारह रुपये) प्रति किवण्टल ।
		(2) आधारी फब्रिक अन्तर्वस्तु (जिसमें विद्युत करघा तथा हथकरघा के वस्त्र शामिल नहीं हैं)—	
		(i) जबकि आधारी फैब्रिक निम्नलिखित वर्गों के सूती वस्त्र हों,	
		(क) मोटा कोरा/विरंजित/ रंगा हुआ फैब्रिक ।	5.80 रु० (केवल पांच रुपये अस्सी पैसे) प्रति सौ वर्ग मीटर ।
		(ख) मध्यम कोरा/विरंजित रंगा हुआ फैब्रिक	10.40 रु० (केवल दस रुपये चालीस पैसे) प्रति एक सौ वर्ग मीटर ।
		(ग) मध्यम 'क' कोरा फैब्रिक	16.00 रु० (केवल सोलह रुपये) प्रति एक सौ वर्ग मीटर ।
		(घ) मध्यम 'क' विरंजित अथवा रंगा हुआ फैब्रिक ।	18.50 रु० (केवल अठारह रुपये) पचास पैसे) प्रति एक सौ वर्ग मीटर ।
		(ii) जहां आधारी फैब्रिक विस-कोस रेयन स्टैपसल तन्तु का फैब्रिक हो ।	उप-क्रम सं० 2503 के अन्तर्गत नियत दरें लागू होंगी ।

परन्तु :—

(i) जहां निर्यातकर्ता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अधीन आधारी सूती फैब्रिक (विद्युत् करघा फैब्रिक से भिन्न) पर उत्पादन शुल्क में छूट का दावा नहीं करता हो, अथवा जहां पोलीविनाइल क्लोराइड यौगिक की निर्मिति से विलेपित अथवा उसकी परत चढ़ा हुआ इस प्रकार का टैक्सटाइल फैब्रिक उक्त नियमावली के नियम 96—घ अथवा 191—क अथवा 191—ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधि के अनुसार निर्मित नहीं किया गया हो, वहां प्रतिभरदायगी की उपर्युक्त दर पूर्णतया लागू होगी ।

(ii) जहां निर्यातकर्ता ने आधारी सूती फब्रिक पर (जिसमें हथकरघा अथवा विद्युत् करघा के फैब्रिक शामिल नहीं हैं) उत्पादन शुल्क में छूट का दावा किया हो अथवा आधारी

1	2	3	4
		सूती फैब्रिक्स (जिसमें हथकरघा/विद्युत् करघों के सूती फैब्रिक्स शामिल नहीं है) अथवा पोलीविनाइल क्लोराइड शीटिंग के सम्बन्ध में ऊपर वर्णित कार्य-विधियों का लाभ उठाया हो, वहां प्रति अदायगी की दर इस संशोधन की शर्त के साथ लागू होगी कि, आधारी फैब्रिक अन्तर्वस्तु तथा/अथवा पोलीविनाइल क्लोराइड अन्तर्वस्तु यथा-स्थिति, के सम्बन्ध में उल्लिखित दर लागू नहीं होगी ।	
2626	फैब्रिक्स और होजरी जो अंशतः मानव-निर्मित संश्लिष्ट तन्तु धागे तथा अंशतः कते हुये धागे से बनी हो जिसमें सूत, रेशमी ऊन तथा मानव-निर्मित तन्तु हों परन्तु जिसमें फटमल नहीं हो, जहां इस प्रकार के धागे अलंकरण और सजावट के धागे के रूप में ताना अथवा बाना या दोनों रूपों में इस्तेमाल किये जाते हों ।	धागा अन्तर्वस्तु, तन्तु अन्तर्वस्तु तथा रेजक अन्तर्वस्तु के लिए क्रम सं० 2503 तथा/अथवा 2513, जैसा भी मामला हो, के सामने उल्लिखित दरें बशर्ते कि उसमें दी गई शर्तें पूरी होती हों परन्तु क्र० सं० 2503 (क) (vi) (ङ) में उल्लिखित धागा इस्तेमाल करने वाले फैब्रिक्स के सम्बन्ध में धागा अन्तर्वस्तु की प्रतिअदायगी स्वीकार्य नहीं होगी ।	
2627	रिक्त		
2628	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19-1 के अन्तर्गत आने वाले सूती फैब्रिक्स जो विद्युत करघों पर निर्मित किये गये हों ।—		
	(i) 84 अथवा इससे अधिक काउंट की धागा अन्तर्वस्तु ।		5.86 रु० (केवल पांच रुपये छियासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ii) 69 अथवा इससे अधिक परन्तु 84 से कम काउंट की धागा अन्तर्वस्तु ।		5.33 रु० (केवल पांच रुपये तेंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(iii) 51 अथवा उससे अधिक परन्तु 69 से कम काउंट की धागा अन्तर्वस्तु ।		3.75 रु० (केवल तीन रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(iv) 40 अथवा उससे अधिक परन्तु 51 से कम काउंट की धागा अन्तर्वस्तु ।		2.43 रुपये (केवल दो रुपये तेंतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(v) 34 अथवा अधिक परन्तु 40 से कम काउंट की धागा अन्तर्वस्तु ।		1.89 रु० (केवल एक रुपया नवासी पैसे) प्रति किलो ग्राम ।

1	2	3	4
		(vi) 29 अथवा अधिक परन्तु 34 से कम काउंट की धागा अन्तर्वस्तु ।	0.96 रु० (केवल छयानवे पैसे) प्रति कि० ग्रा०
		(vii) 22 अथवा अधिक परन्तु 29 से कम काउंट की धागा अन्तर्वस्तु ।	0.43 रु० (केवल तेतालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
		(viii) 14 अथवा अधिक परन्तु 22 से कम काउंट की धागा अन्तर्वस्त	0.21 रु० (केवल इक्कीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(ix) 14 काउंट से कम की धागा अन्तर्वस्तु ।	0.10 रु० (केवल दस पैसे) प्रति किलोग्राम ।

(i) परन्तु : जहां वस्त्र में विभिन्न काउंट के दो अथवा अधिक धागे हों तथा/अथवा उपर्युक्त विभिन्न काउंट समूहों के अन्तर्गत आते हों तो प्रति अदायगी, प्रत्येक वर्ग के धागे के भार के आधार पर उक्त काउंट समूहों पर लागू दर पर दी जाएगी ।

(ii) धागे का काउंट कोरे बिना कलफ के धागे का साइज होगा जो प्रति आधा किलोग्राम 1000 मीटर की अट्टियों के रूप में व्यक्त किया गया है ।

(iii) निर्माता/निर्यातकर्ता पोतपरिवहन बिल में घोषित करता है कि सूती वस्त्रों के निर्माण में इस्तेमाल किये गये धागे पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी की जा चुकी है ।

27. तैयार वस्तुएं, पोशाकें मुख्यत: टैक्सटाइल सामग्री से बनी

2701	मुख्यत: टैक्सटाइल सामग्री से बनी तैयार वस्तुएं, पोशाकें जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर ग्रांड दर निर्धारित की जानी है ।
2702	हथकरघे के सूती वस्त्रों से निर्मित तैयार पोशाकें ।	पोत पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य का 1.6 प्रतिशत (केवल एक दशमलव छः प्रतिशत) ।
2703	हथकरघे के सूती वस्त्रों से तैयार वस्तुएं उप-क्रम सं० 2623 (ii) तथा 2623 (iii) के अन्तर्गत आती है ।	0.51 रु० (केवल इक्यावन पैसे) प्रति किलोग्राम ।
2704	रिक्त	
2705	टाइपराइटरों तथा कार्यालय सम्बन्धी इसी प्रकार के उपस्करों में इस्तेमाल किये जाने वाले स्याही युक्त रिबन अथवा बिना स्याही वाले रिबन ।	महीन किस्म के सूती वस्त्र से बने रिबन का प्रति वर्ग मीटर 0.90रु० (केवल नब्बे पैसे)

1	2	3	4
	2706	बुने हुये कपड़े और अन्य तैयार वस्तुएं जो पूर्णतया कते हुये धागे से बनी हो जिसमें सूत, रेशम, ऊन और मानव निर्मित तन्तु हो परन्तु जिसमें जूट नहीं हो ।	उप-क्रम सं० 2503 के सामने धागा अन्तर्वस्तु, रंजक अन्तर्वस्तु तथा तन्तु अन्तर्वस्तु के लिये उल्लिखित दर बशर्ते कि उनमें दी गई शर्तें पूरी की जाती हों।

परन्तु उप-क्रम सं० 2503 (क) (ख) (ङ) पर उल्लिखित धागा इस्तेमाल करने वालेवस्त्र की तैयार वस्तुओं के सम्बन्ध में, धागा अन्तर्वस्तु के कारण कोई प्रतिअदायगी स्वीकार्य नहीं होगी ।

	2707	रिक्त	
	2708	रिक्त	
	2709	रिक्त	
	2710	रिक्त	
	2711	रिक्त	
	2712	रिक्त	
	2713	रिक्त	
	2714	रिक्त	
	2715	रिक्त	
	2716	रिक्त	
	2717	रिक्त	
	2718	रिक्त	
	2719	रिक्त	
	2720.	बुने हुए कपड़े तथा अन्य तैयार वस्तुएं जो अंशतः मानव निर्मित संश्लिष्ट तन्तु धागे से तथा अंशतः कते हुए धागों से बनी हों जिसमें सूत, रेशम, ऊन और मानव निर्मित तन्तु हों परन्तु जिसमें जूट नहीं हो और जहां इस प्रकार के धागे अलंकरण, सजावट के लिए ताना अथवा बाना अथवा दोनों के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं ।	उप-क्रम सं० 2503 तथा/अथवा 2513, जैसा भी मामला हो, के सामने धागा अन्तर्वस्तु, तन्तु अन्तर्वस्तु तथा रंजक अन्तर्वस्तु के लिए उल्लिखित दरें बशर्ते कि उनमें दी गई शर्तें पूरी की जाती हों परन्तु उप-क्रम सं० 2503 (क) (VI) (ङ०) पर उल्लिखित धागा इस्तेमाल करने वाले वस्त्रों की तैयार वस्तुओं के सम्बन्ध में धागा अन्तर्वस्तु के कारण कोई प्रति अदायगी स्वीकार्य नहीं होगी ।

1	2	3	4
	2721	बुने हुए कपड़े तथा अन्य तैयार वस्तुएं (मछली पकड़ने के जालों को छोड़ कर) जो पूर्ण तथा मानव निर्मित संश्लिष्ट तन्तु धागे से निर्मित हों ।	उप-क्रम सं० 2513 के सामने उल्लिखित धागा अन्तर्वस्तु के लिए दरें परन्तु यह तब जब उसमें दी गई शर्तें पूरी होती हों ।
	2722	अन्यत्र अविनिर्दिष्ट जूट निर्मितियां जिनमें भार के अनुसार जूट का, (जिसमें बिमलीपटम जूट अथवा मेस्टा तन्तु शामिल है) 90 प्रतिशत से कम नहीं हो जब कि उनका निर्यात इसी रूप में किया जाये अथवा जब उनका इस्तेमाल अन्य वस्तुओं को पैक करने के लिए किया जाये ।	600 रु० (केवल छः सौ रुपये) प्रति टन तथा परिष्कृत डीजल तेल अथवा जूट बैचिंग तेल अन्तर्वस्तु पर उप-क्रम सं० 1003 के अन्तर्गत नियम समुचित दर ।

इसमें शर्त यह है कि :—

(1) यदि मिल का निर्यात इसी रूप में किया जाता हो तो प्रति अदायगी उपर्युक्त दर पर तब लागू होगी जब निर्यातकर्ता पोत परिवहन बिल पर यह घोषित करता हो तथा समाहर्ता के इत्मीनान का यह प्रमाण भी प्रस्तुत करता हो कि माल पर शुल्क की अदायगी कर दी गई है तथा इस प्रकार के माल की खप के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 के अन्तर्गत शुल्क में किसी जूटका दावा नहीं किया गया है ।

(2) यह भी कि जब जूट की वस्तुओं का इस्तेमाल निर्यात की अन्य वस्तुओं को पैक करने के लिए किया जाता है तो जूट की इस प्रकार की वस्तुओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के नियम 191-क तथा नियम 191—ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्य विधि का पालन नहीं किया गया है ।

	2723.	नारियल की जटा के उत्पाद जिनमें जूट तथा सिसल हो	जहां तक सिसल तन्तु अन्तर्वस्तु का सम्बन्ध है उप-क्रम सं० 2508 (ग) (i) के अन्तर्गत समुचित दर तथा जूट अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, के लिए समुचित दर जैसा कि उपक्रम सं० 2622 के अन्तर्गत उल्लिखित है ।
	2724.	गैम मैण्टल	दर, प्रति 100 गुरूस
		(i) 200 सी पी०	रु० 177.35 (केवल एक सौ सतहत्तर रुपये पैंतीस पैसे) ।

1	2	3	4
		(ii) 300 सी० पी०	रु० 179.25 (केवल एक सौ उनासी रुपये पच्चीस पैसे) ।
		(iii) 400 सी० पी०	रु० 201.00 (केवल दो सौ एक रुपये)
		(iv) 500 सी० पी*	रु० 214.75 (केवल दो सौ चौदह रुपये पचहत्तर पैसे) ।
		(v) 600 सी० पी०	रु० 225.70 (केवल दो सौ पच्चीस रुपये सत्तर पैसे) ।
		(vi) 800 सी० पी०	रु० 234.85 (केवल दो सौ चौंतीस रुपये पचासी पैसे) ।
		(vii) 1000 सी० पी०	रु० 234.85 (केवल दो सौ चौंतीस रुपये पचासी पैसे)
2725.	जूतों की सूती तस्में ।		
		(i) सिरों पर सैल्यूलोस एसीटेट लगे हुए जूतों के सफेद तस्में	0.45 रु० (केवल पैंतालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०
		(ii) जूतों के रंगीन तस्में जिनके सिरों पर सैल्यूलोस एसीटेट लगा हो ।	0.65 रु० (पैंसठ पैसे मात्र) प्रति कि० ग्रा०
2726.	पटसन की वस्तुएं जिन पर कागज अथवा पौलिथीन अथवा दोनों का अस्तर लगा हो/परत चढ़ी हो/एक्सटूजन विलेपित हो ।		
		(i) पटसन तथा पोलिथीन अन्तर्वस्तु	पटसन अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उप-क्रम सं० 2612 के अन्तर्गत निर्धारित समुचित दर तथा पौलिथीन अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में पौलिथीन से बनी वस्तुओं के लिये उप-क्रम सं० 1914 के अन्तर्गत निर्धारित समुचित दर ।
		(ii) कागज अन्तर्वस्तु	क्रम सं० 24 के अन्तर्गत निर्धारित समुचित दर ।

1	2	3	4
	2727	सूती वाटर प्रूफ तिरपाल जिनमें पीतल अथवा एल्यूमीनियम से बने सूराख लगे हों—	
		(i) जहां तिरपाल का पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर निर्यात मूल्य रु० 4.20 प्रति वर्ग मीटर से अधिक नहीं हो।	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर मूल्य का 4 प्रतिशत (केवल चार प्रतिशत)
		(ii) जहां तिरपाल का पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर निर्यात मूल्य रु० 4.20 प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो।	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर मूल्य का 7.5 प्रतिशत (केवल सात दशमलव पांच प्रतिशत)

परन्तु यह तथ, जब कि सूती वाटर प्रूफ तिरपाल के निर्माण के संबंध में निर्माता/निर्यातकर्ता ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 191क अथवा 191ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधि का लाभ नहीं उठाया हो।

	2728	रेयन तन्तु धागे से निर्मित सभी आकारों के रेयन के फीते अथवा रेयन की पट्टियां।	रु० 2.30 (केवल दो रुपये तीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०
	2729	निर्यात किये गये लम्बे-लम्बे संसक्त उष्णता से चमकने वाले रासायन कृत गैस मेण्टल होज:—	
		(i) रेमी अथवा बटन-धागे वाले गैस मैण्टल होज, बशर्ते कि रेमी अथवा बटन धागे का भार गैस मैण्टल होज के भार के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं हो अथवा रेमी या बटन धागे से रहित गैस मैण्टल होज।	रु० 3.15 (केवल तीन रुपये पन्द्रह पैसे) प्रति कि० ग्रा०
		(ii) गैस मैण्टल होज के लिए एस्बेस्टस का धागा	रु० 0.96 (केवल छियानवे पैसे) प्रति कि० ग्रा०
	2730	टेक्सटाइल वस्त्रों से बनी सभी किस्म की तैयार पोशाकें परन्तु इनमें (i) अंशतः अथवा पूर्णतया शुद्ध रेशम, (ii) सूती हथकरघा तथा विद्युत करघा वस्त्र और (iii)	

1	2	3	4
		होजियरी से बनी पोशाकें शामिल नहीं हैं—	
		(i) जिन मामलों में पोशाकों के निर्माण में प्रयुक्त वस्त्रों पर शुल्क की अदायगी का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता हो ।	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर निर्यात मूल्य का 1.5 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पांच प्रतिशत) तथा उप-क्रम सं० 2602, 2603, 2606, 2620 तथा 2626 के अन्तर्गत आने वाले वस्त्रों के संबंध में, पोशाकों की वस्त्र अन्तर्वस्तु पर यथास्थिति निर्धारित की गई प्रति अदायगी की दरों का 103.5 प्रतिशत (केवल एक सौ तीन दशमलव पांच प्रतिशत) तथा पोशाकों की वस्त्र अन्तर्वस्तु पर वस्तुतः अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का 103.5 प्रतिशत (केवल एक सौ तीन दशमलव पांच प्रतिशत)
		(ii) अन्य	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर निर्यात मूल्य का 3.5 प्रतिशत (केवल तीन दशमलव पांच प्रतिशत) तथा उप-क्रम सं० 2602, 2603, 2606, 2620, तथा 2626 के अन्तर्गत आने वाले वस्त्रों के संबंध में, पोशाकों की वस्त्र अन्तर्वस्तु पर यथा-स्थिति निर्धारित की गई प्रति-अदायगी की दरों का 103.5 प्रतिशत (केवल एक सौ तीन दशमलव पांच प्रतिशत) ।

परन्तु शर्त यह है कि जिन मामलों में निर्यातकर्ता ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 191क अथवा 191ख के अन्तर्गत कार्यविधि का लाभ उठाया हो, उनमें प्रति अदायगी के उपर्युक्त दरें लागू नहीं होंगी ।

व्याख्या.—(1) पोशाकों के निर्माण में प्रयुक्त ऐसे वस्त्रों पर जिनकी निकासी किसी गेट पास विशेष के अन्तर्गत की गई हो, उत्पादन शुल्क की अदायगी को प्रमाणित करने और उपर्युक्त (1) के अन्तर्गत प्रति-अदायगी का दावा पेश करने के लिए उन्हें

निर्यात माल से सह संबंधित करने की दृष्टि से निर्यातकर्ताओं/निर्माताओं को निर्यात के पत्तन के सहायक समाहर्ता, सीमाशुल्क तथा निदेशक (प्रति-अदायगी), वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग), नई दिल्ली को नीचे दिए गए प्रोफार्मा में विवरण पत्र i और पेश करना चाहिए। निर्यात/निर्यातकर्ता को उक्त विवरण पत्रों में किसी प्रकार के फेरबदल की सूचना निर्यात पत्तन के सहायक समाहर्ता, सीमाशुल्क तथा निदेशक (प्रति-अदायगी) को माल के पोत लदान से पर्याप्त समय पूर्व भेजनी होगी।

(2) जिन मामलों में निर्माता/निर्यातकर्ता उपर्युक्त विवरण-पत्र i और ii पेश नहीं कर सके उन मामलों में दावों का निपटान उपर्युक्त (ii) के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर किया जाएगा।

(3) उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित वस्त्र अन्तर्वस्तु का संकेत पोशाकों में प्रयुक्त मुख्य/ बाह्य वस्त्र मात्र से है और इसमें अस्तर, कालर, कफ, जेब आदि तथा अन्य सजावटों के लिए प्रयुक्त वस्त्र शामिल नहीं है।

विवरण-पत्र I

संविदा सं० दिनांक

तथा शिपिंग बिल सं० दिनांक

के अन्तर्गत निर्यात किये गये माल के निर्माण के लिए शुल्क अदा किये गये वस्त्र की प्राप्ति को दिखाने वाला विवरण-पत्र ।

क्र० सं०	वस्त्रों का विवरण (किस्म को सं० का उल्लेख)	वस्त्र सप्लाई करने वाली मिल का नाम और पता	गेट पास सं० और तारीख	लिनियर मीटर	चौड़ाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

वर्ग मीटर	प्रति कि० ग्रा० वर्ग मीटर की सं०	शुल्क की दर	शुल्क की कुल रकम	तन्तु की संरचना में ताना और बाना ताना/बाना	वस्त्रों की बनावट	
					ताना काउंट	बाना पिक काउंट रीड्स
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	

वस्त्र विरंजित, रंजित, मुद्रित हैं अथवा नहीं	इस वस्त्र से निर्मित पोशाकों का विवरण (विवरण–पत्र 11 की क्रम सं० दर्शायें)	विशेष
(13)	(14)	(15)

टिप्पणी.—उपर्यक्त विवरण-पत्र में दिये जाने वाले ब्यौरों का सम्बन्ध केवल निर्यात की पोशाकों में प्रयुक्त मुख्य वस्त्र से होना चाहिए और उनमें केवल वे वस्त्र ही होने चाहिएं जिनका इस्तेमाल वास्तव में उपर्यक्त शिपिंग बिल के अन्तर्गत आने वाले निर्यात माल में किया गया हो। जेब, अस्तर आदि के लिए प्रयुक्त वस्त्रों का ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है।

विवरण-पत्र II

क्र० सं०	तैयार शुदा पोशाकों का ब्यौरा	कालम 2 में उल्लिखित पोशाकों की कोड सं०	विवरण–पत्र–1 की क्रम सं० जिनमें उस वस्त्र का उल्लेख किया गया है जिस से पोशाकें बनाई गई हैं	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	2	3	4
28	फर्श के आवरण जिसमें कालीन शामिल हैं।		
	28 01 फर्श के आवरण जिनमें कालीन भी शामिल हैं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	ग्रेड की दरें निर्माता/निर्यातिकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी है।	
	28 02 मशीन से निर्मित गुच्छेदार ऊनी कालीनों से भिन्न ऊनी कालीन	1.10 रू० (केवल एक रूपया और दस पैसे) प्रति कि० ग्रा०	
	व्याख्या.—'ऊनी कालीन' का अर्थ उस कालीन से है जिसमें ऊनी धागा अन्तर्वस्तु का भार 50 प्रतिशत से कम नहीं हो।		

1	2	3	4
	2803.	कोयर और सिसल की चटाइयां अथवा मैटिस	जहां तक सिसल तन्तु अन्तर्वस्तु का सम्बन्ध है, उस क्रम सं० 2508 (ग) (i) के अन्तर्गत समुचित दर तथा पटसन उत्पाद अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, के लिए समुचित दर जो उपक्रम सं० 2622 के सामने उल्लिखित है ।
	2804.	ऐसी चाटाइयां तथा मैटिस जो पूर्णतया अथवा आंशिक रुप में सिसल तन्तु तथा/अथवा मनीला हैम्प तन्तु से निर्मित हों।	जहां तक सिसल तन्तु अन्तर्वस्तु का सम्बन्ध है, उप–क्रम सं० 2508(ग) (i)के अन्तर्गत समुचित दर तथा उप–क्रम सं० 2508 (ग) (ii) के अन्तर्गत मनीला हैम्प तन्तु अन्तर्वस्तु के लिए समुचित दरें।
	2805.	ऊनी दरियां जिनमें कोलम्स भी शामिल हैं, जिनका तानास सूती धागे अथवा लिनन धागे का तथा बाना ऊनी धागे का हो।	ऊनी दरियों/कैलिम्स के प्रति कि० ग्रा० पर रू० 0.25 (केवल पच्चीस पैसे)
29.	जूते और जूतों के हिस्से		
	2901.	जूते और जूतों के भाग, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हों।	अलग–अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर ब्रांड दरें निर्धारित की जाती हैं ।
	2902.	जूते और जूतों के उपांग (जिनमें कैनवस के जूते, प्लास्टिक के जूते, रबड़ के जूते, टायर के तले वाले जूते और कोल्हापुरी चप्पलें शामिल नहीं हैं) ।	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर मूल्य का 5.3 प्रतिशत (केवल पांच दशमलव तीन प्रतिशत) अथवा निम्नलिखित दरें, इनमें जो भी कम हों :—
			(क) चमड़े के मर्दाने जूते जिनमें रबड़ अथवा चमड़े का तला हो—रू० 1.06 (केवल एक रूपया और छः पैसे) प्रति जोड़ा।
			(ख) चमड़े के जनाने जूते अथवा सैंय सैण्डल रू० 0.33 (केवल तेतीस पैसे) प्रति जोड़ा।
			(ग) लड़कों के लिए चमड़े के जूते जिनमें रबड़ अथवा चमड़े के तले हों— रू० 0.80 (केवल अस्सी पैसे) प्रति जोड़ा।

1	2	3	4
			(घ) चमड़े के बचकाने जूते जिनमें रबड़ अथवा चमड़े के तले हों—रु० 0.80 (केवल अस्सी पैसे) प्रति जोड़ा।
			(ङ) चमड़े के मरदाने सैण्डल जिनमें रबड़ अथवा चमड़े के तले हों—रु० 0.64 (केवल चौसठ पैसे) प्रति जोड़ा।
			(च) लड़कों के लिए, चमड़े के सैण्डल जिनमें रबड़ अथवा चमड़े के तले हों—रु० 0.48 (केवल अड़तालीस पैसे) प्रति जोड़ा।
			(छ) चमड़े के बचकाने सैण्डल जिनमें रबड़ अथवा चमड़े के तले हों—रु० 0.48 (केवल अड़तालीस पैसे) प्रति जोड़ा।
			(ज) चप्पलें (जिनमें कोल्हापुरी चप्पलें शामिल नहीं हैं) जिनमें रबड़ अथवा चमड़े के तले हों— रु० 0.32 (केवल बत्तीस पैसे) प्रति जोड़ा।
	2903	कैनवस जूते,	
		(क) मर्दाने	रु० 359.75 (केवल तीन सौ उनसठ रुपये और पचहत्तर पैसे) प्रति एक हजार जोड़े।
		(ख) जनाने	रु० 301.74 (केवल तीन सौ एक रुपये चौहत्तर पैसे) प्रति एक हजार जोड़े।
		(ग) बचकाने	रु० 181.47 (केवल एक सौ इक्यासी रुपये और सतालीस पैसे) प्रति एक हजार जोड़े।
	30. छाते और छातों के उपांग		
	3001.	छाते और छातों के उपांग जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं हैं।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर ब्रांड दरें निर्धारित की जानी हैं।

1	2	3	4
3002.	छाते तथा छातों के हिस्से :—		
	(क) कमानी		
	(i) फलूटेड कमानियां		रु० 625.00 (केवल छः सौ पच्चीस रुपये साठ पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ii) दूसरे प्रकार की कमानियां अर्थात् ठोस कमानियां तथा लचीली कमानियां ।		रु० 317.60 (केवल तीन सौ सत्रह रुपये साठ पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ख) छातों के हैंडल तथा छड़ें—		
	(i) सी० आर० सी० ए० इस्पात की शीटों/पट्टियों से निर्मित		उप-क्रम सं० 3640(च) के अन्तर्गत देय दर पर प्रति अदायगी
	(ii) अन्य		जिस सामग्री से हैंडल तथा छड़ें बनाई जाती हैं उसके अनुसार प्रति-अदायगी की समुचित दर, यदि कोई हो ।
	(ग) छातों के फ्रेम—संयोजित अथवा असंयोजित		उपर्युक्त (क) पर उल्लिखित समुचित दर पर प्रति अदायगी तथा उपर्युक्त (ख) पर उल्लिखित समुचित दर पर प्रतिअदायगी ।
	(घ) छाते पूर्ण— संयोजित अथवा असंयोजित		(i) उपर्युक्त (ग) पर उल्लिखित समुचित दर पर प्रतिअदायगी तथा छातों की सूती वस्त्र अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में नीचे (ii) पर उल्लिखित प्रतिअदायगी की दर ।
		(ii) छाते की किस्म	प्रति दर्जन पर प्रतिअदायगी की दर
		15″ × 8	रु० 6.97 (केवल छः रुपये सत्तानवे पैसे)
		17″ × 8	रु० 9.05 (केवल नौ रुपये पांच पैसे)
		19″ × 8	रु० 10.09 (केवल दस रुपये नौ पैसे)

1	2	3	4
			20″ × 8 रु० 10.61 (केवल दस रुपये इकसठ पैसे)
			20″ × 10 रु० 11.70 (केवल ग्यारह रुपये सत्तर पैसे)
			21″ × 8 रु० 10.66 (केवल दस रुपये छियासठ पैसे)
			21″ × 10 रु० 11.96 (केवल ग्यारह रुपये छियानवे पैसे)
			23″ × 8 रु० 11.96 (केवल ग्यारह रुपये छियानवे पैसे)
			23″ × 10 रु० 13.00 (केवल तेरह रुपये)
			24′ × 8 रु० 12.85 (केवल बारह रुपये पचासी पैसे)
			25 × 8 रु० 13.31 (केवल तेरह रुपये इकतीस पैसे)
			25″ × 10 रु० 14.35 (केवल चौदह रुपये पैंतीस पैसे)
			25″ × 12 रु० 15.08 (केवल पन्द्रह रुपये आठ पैसे)
			25″ × 16 रु० 15.91 (केवल पन्द्रह रुपये इक्यानवे पैसे)
			27″ × 8 रु० 15.60 (केवल पन्द्रह रुपये साठ पैसे)

1	2	3	4
			27×10 रु० 16.22 (केवल सौलह रुपये बाईस पैसे)
			27×12 रु० 17.16 (केवल सत्रह रुपये सोलह पैसे)
			27″×16 रु० 18.72 (केवल अठारह रुपये बहत्तर पैसे)

उपर्युक्त दरों में पैकिंग सामग्री पर प्रतिअदायगी शामिल नहीं है जिसका दावा निर्धारित दरों पर अलग से किया जाये ।

31. **मनुष्य के बाल और उसके उत्पाद**

3101.	मनुष्य के बाल और उसके उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हो ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर ब्रांड दर निर्धारित की जानी है ।

32. **एस्बेस्टास, सीमेंट अथवा दोनों से निर्मित उत्पाद**

3201.	एस्बेस्टास, सीमेंट अथवा दोनों से निर्मित उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हों ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर ब्रांड दर निर्धारित की जानी है ।
3202.	एस्बेस्टास सीमेंट उत्पाद	एस्बेस्टास अन्तर्वस्तु के प्रति टन पर रु० 852.00 (केवल आठ सौ बावन रुपये) तथा सीमेंट अन्तर्वस्तु के प्रति टन पर रु० 41.50 (केवल इकतालीस रुपये पचास पैसे)

33. **चीनी मिट्टी के उत्पाद, उच्चतापसह (रिफ्रेक्टरीज) मिट्टी के बर्तन**

3301.	चीनी मिट्टी के उत्पाद, उच्चतम सह मिट्टी के बर्तन जो अन्यथा निर्दिष्ट नहीं हों ।	ब्रांड की दर निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी है ।

1	2	3	4

34. कांच और कांच के बर्तन जिसमें कांच के दर्पण और निर्यात फलास्क सम्मिलित हैं

3401	कांच और कांच के बर्तन जिसमें कांच के दर्पण और निर्वात फलास्क सम्मिलित हैं और जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हों ।		ब्रांड की दरें निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी है ।
3402	कांच और कांच के बर्तन		
	(क) शीट कांच और प्लेट कांच		20.45 रुपये (बीस रुपये पैंतालीस पैसे मात्र) प्रति टन ।
	(ख) प्रयोगशाला के काम का कांच का सामान		84.95 रुपये (चौरासी रुपये पचानवे पैसे) प्रति टन ।
	(ग) विद्युत रोशनी के बल्बों और फ्लोरोसेन्ट विद्युत ट्यूबों के लिए कांच के खोल		25.90 रुपये (पच्चीस रुपये नब्बे पैसे मात्र) प्रति टन ।
	(घ) लैम्प और लालटेन के लिए कांच के खोल, कांच के ग्लोब और कांच की चिमनी जो ऊपर (ग) पर उल्लिखित से भिन्न हो		25.90 रुपये (पच्चीस रुपये नब्बे पैसे मात्र) प्रति टन ।
	(ङ) कांच की बोतलें :		
	(i) जब इसी रुप में जब निर्यात किया गया हो		25.90 रुपये (पच्चीस रुपये नब्बे पैसे मात्र) प्रति टन ।
	(ii) जब अन्य निर्यात माल के पैकिंग के लिए प्रयुक्त किया गया हो ।		140.60 रुपये (एक सौ चालीस रुपये साठ पैसे मात्र) प्रति टन ।
	(च) कांच की बोतल/छोटी सीसी/इंजैक्शन की सीसी जब इनका अन्य निर्यात माल को पैकिंग करने के लिए प्रयुक्त किया गया हो ।		
	(i) 5 सी सी /5 एम एल माप की और उससे ऊपर किन्तु 7.5 सी० सी०/7.5 एम०एल० के नीचे		7.36 रुपये (सात रु० छतीस पैसे मात्र) प्रति हजार नग ।

1	2	3	4
		(ii) 7.5 सी०सी०/7.5 मिलि० तथा उससे अधिक क्षमता वाली परन्तु 10 सी सी/10 मिलि० से कम क्षमता वाली	8.45 रु० (केवल आठ रुपये पैंतालीस पैसे) प्रति एक एक हजार नग ।
		(iii) 10 सी सी/10 मिलि० तथा उससे अधिक क्षमता वाली परन्तु 15 सी सी/15 मिलि० से कम क्षमता वाली	10.60 रु० (केवल दस रुपये और साठ पैसे) प्रति एक हजार नग ।
		(iv) 15 सी सी/15 मिलि० तथा उससे अधिक क्षमता वाली परन्तु 20 सी सी/20 मिलि० से कम क्षमता वाली	11.35 रु० (केवल ग्यारह रुपये पैंतीस पैसे) प्रति एक हजार नग ।
		(v) 20 सी सी/20 मिलि० क्षमता वाली	12.20 रु० (केवल बारह रुपये बीस पैसे) प्रति एक हजार नग ।
		(छ) अन्य सभी प्रकार के कांच तथा कांच के बर्तन जिनमें तार-कांच और चित्रित कांच शामिल है	20.45 रु० (केवल बीस रुपये पैंतालीस पैसे) प्रति टन ।
	3403	रिक्त	
	3404	सभी किस्म के वैक्यूम फ्लास्क	पोत पर्यन्त खर्च छोड़कर निर्यात मूल्य का 9 प्र०श० (केवल नौ प्रतिशत) ।
	3405	सभी किस्म के वैक्यूम फ्लास्क के रिफिल	पोत पर्यन्त खर्च छोड़ कर निर्यात मूल्य का 1.2 प्र०श० (केवल एक दशमलव दो प्रतिशत) ।
35	**परिष्कृत कलचर्ड मोती**		
	3501	परिष्कृत कलचर्ड मोती अर्थात ऐसे कलचर्ड मोती जो सूराख करके, विरंजित, करके पालिश करके तैयार किये गये हों अथवा कच्चे कलचर्ड मोतियों या बिवाको मोतियों की प्रक्रिया करने से तैयारी किये गये हों ।	बिवाको मोती अन्तर्वस्तु का 1.39 रु० (केवल एक रुपया उनतालीस पैसे) प्रति ग्राम तथा बिवाको से भिन्न कलचर्ड मोतियों की अन्तर्वस्तु का 0.82 रु० (केवल बयासी पैसे) प्रति ग्राम ।
		परन्तु यह तब जब कि परिष्कृत कलचर्ड मोतियों का निर्यात करते समय निर्यात-कर्ता सीमाशुल्क समाहर्ता के इतमीनान का साक्ष्य प्रस्तुत करता है और विनिर्माता से यह प्रमाण-पत्र लेकर भी प्रस्तुत करता है कि 105 ग्राम मात्रा	

1	2	3	4

के विवाकों अथवा विवाकों से भिन्न किस्म के कलचर्ड मोतियों का, यथा-स्थिति, विनिर्माता अथवा निर्यातकर्ता इस द्वारा आयात किया गया है तथा उनका इस्तेमाल निर्यात किये गये उत्पाद के प्रति 100 ग्राम के विनिर्माण के लिये ऐसे निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि के भीतर किया गया है और आयात किये गये विवाकों अथवा विवाकों से भिन्न किस्म के कलचर्ड मोतियों की मात्रा :

(i) परिष्कृत कलचर्ड मोतियों के किसी पिछले निर्यातों के प्रति उसी प्रकार सह सम्बन्धित नहीं किया गया है और उन्हें हिसाब में नहीं लिया गया है, अथवा

(ii) उन्हें इसी प्रकार अथवा किसी अन्य रूप में प्रतिग्रदायगी के दावे सहित अथवा दावे के बिना इससे पूर्व पुननिर्यात नहीं किया गया है ।

36 लोहे और इस्पात के ढलौं तथा अन्य प्राथमिक रूपों के सिवाय (जिसमें ट्यूबों और पाइपों के लिए ब्लैंक सम्मिलित हैं) लोहा और इस्पात ।

3601.	लोहे और इस्पात के ढले तथा अन्य प्राथमिक रूप (जिनमें ट्यूबों और पाइपों के लिए ब्लैंक शामिल हैं) को छोड़कर लोहा और इस्पात जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हो ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर बांड दरें निर्धारित की जानी हैं ।
3602.	मुद्रित कलईदार प्लेटें/कलईदार चादरें	रु० 795.50 (केवल सात सौ पंचानवे रुपये पचास पैसे) प्रति टन

परन्तु यह तब, जब कि मुद्रित कलईदार प्लेटों/कलईदार चादरों के निर्माण में इस्तेमाल की गई कलईदार प्लेटों/कलईदार चादरों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट का दावा निर्यातकर्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अधीन अलग से नहीं किया गया है तथा निर्यात वस्तुएं शुल्क अदा की गई कलईदार प्लेटों अथवा कलईदार चादरों में बनाई जाती है ।

3603.	बांलिंग हूप्स	रु० 393.75 (केवल तीन सौ तिरानवे रुपये पहहत्तर पैसे) प्रति टन
3604.	बाक्स स्ट्रेपिंग्स, इस्पात के हूप्स	रु० 393.75 (केवल तीन सौ तिरानवे रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति टन ।

टिप्पणी .—क्रम सं० 3603 तथा 3604 पर दी गई दरें तब लागू होंगी जब उनका इस्तेमाल केवल निर्यात उत्पादों को पैक करने के लिये किया जाता है ।

1	2	3	4
	3605.	विस्तारित धातु (ढलवां से भिन्न)	
		(*i*) अजस्तीकृत	413.40 रु० (केवल चार सौ तेरह रुपये और चालीस पैसे) प्रति टन ।
		(*ii*) जस्तीकृत	570.00 रु० (केवल पांच सौ सत्तर रुपये) प्रति टन ।
	3606.	नलिकाकार इस्पात संरचनाओं से भिन्न अन्यत्र अविनिर्दिष्ट रचित इस्पात संरचनाएं	
		(*i*) अजस्तीकृत	303.15 रु० (केवल तीन सौ तीन रुपये और पन्द्रह पैसे) प्रति टन ।
		(*ii*) जस्तीकृत	397.00 रु० (केवल तीन सौ सत्तानवे रुपये) प्रति टन ।
	3607.	स्टील आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स	303.15 रु० (केवल तीन सौ तीन रुपये और पन्द्रह पैसे) प्रति टन ।
	3608.	इस्पात के सभी प्रकार के पाइप और ट्यूब जिनमें पूर्णतया इस्पात के ऐसे पाइपों और ट्यूबों से बनी विद्युत तारनाली, पाइप, नलिकाकार इस्पात फर्नीचर, नलिकाकार इस्पात संरचनाए, नलिकाकार खम्भे तथा पूर्णत: इस्पात पाइप तथा ट्यूबों से निर्मित अन्य उत्पाद जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है, जिनमें फर्नीचर ट्यूब, गैस ट्यूब और उनकी फिटिंग्ज शामिल हैं—	
		(क) सीविनहीन पाइप और ट्यूब—	
		(*i*) अजस्तीकृत	303.15 रु० (केवल तीन सौ तीन रुपये और पन्द्रह पैसे) प्रति टन ।
		(*ii*) जस्तीकृत	467.45 रु० (केवल चार सौ सतासठ रुपये और पतालीस पैसे) प्रति टन ।

1	2	3	4
		(ख) सीवनहीन तथा स्केल्प से बने पाइपों और ट्यूबों से भिन्न, 5 मि० मी० से अधिक भित्ति मोटाई के पाइप और ट्यूब—	
		(*i*) अजस्तीकृत	321.50 रु० (केवल तीन सौ इक्कीस रुपये और पचास पैसे) प्रति टन ।
		(*ii*) जस्तीकृत	438.00 रु० (केवल चार सौ अड़तीस रुपये) प्रति टन ।
		(ग) (*i*) स्केल्प से बने पाइप और ट्यूब—	
		(क) अजस्तीकृत	511.85 रु० (केवल पांच सौ ग्यारह रुपये और पचासी पैसे) प्रति टन ।
		(*i*) जस्तीकृत	661.50 रु० (केवल छः सौ इकसठ रुपये पचास पैसे) प्रति टन ।
		(*ii*) सी० आर० चादरों/पट्टियों से बने पाइप और ट्यूबें—	
		(क) अजस्तीकृत	597.15 रु० (केवल पांच सौ सत्तानवे रुपये और पन्द्रह पैसे) प्रति टन ।
		(ख) जस्तीकृत	740.90 रु० (केवल सात सौ चालीस रुपये और नब्बे पैसे) प्रति टन ।

परन्तु उपर्युक्त उप-मद (ग) में दी गई दरों पर प्रति अदायगी तभी लागू होगी जब निर्यात के समय निर्यातकर्ता सीमाशुल्क सहायक समाहर्ता के समाधान प्रद रूप में यह साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है कि माल का विनिर्माण, तथास्थिति, स्केल्प अथवा सी० आर० चादरों अथवा सी० आर० पट्टियों से किया गया है और इस प्रकार के, यथास्थिति, स्केल्प/सी० आर० चादरों/सी० आर० पट्टियों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26 कक के अन्तर्गत स्केल्प/सी० आर० चादरों/सी० आर० पट्टियों पर लागू दर पर समुचित शुल्क अदा किया गया है ।

		(घ) बेजोड़ पाइपों और ट्यूबों से भिन्न 5 मि० मी० से कम भित्ति मोटाई के पाइप और ट्यूब जिनमें उपर्युक्त	

1	2	3	4
		(ग) में उल्लिखित पाइप और ट्यूब शामिल नहीं है–	
		(i) अजस्तीकृत	413.40 रु० (केवल चार सौ तेरह रुपये और चालीस पैसे) प्रति टन।
		(ii) जस्तीकृत	570.00 रु० (केवल पांच सौ सत्तर रुपये) प्रति टन।
		(क) इस्पात के पाइपों और ट्यूबों के लिये फिटिंग	
		(i) (ढले हुए इस्पात से भिन्न) इस्पात से निर्मित (।) 5 मि० मी० से कम भित्ति-मोटाई के	
		(क) अजस्तीकृत	413.40 रु० (केवल चार सौ तेरह रुपये और चालीस पैसे) प्रति टन।
		(ख) जस्तीकृत	570.00 रु० (केवल पांच सौ सत्तर रुपये) प्रति टन।
		(ii) 5 मि० मी० की अथवा उससे अधिक भित्ति-मोटाई के	
		(क) अजस्तीकृत	321.50 रु० (केवल तीन सौ इक्कीस रुपये और पचास पैसे) प्रति टन।
		(ख) जस्तीकृत	438.00 रु० (केवल चार सौ अड़तीस रुपये) प्रति टन।
		(2) धातवकर्म लोहे की पाइप की फिटिंग	
		(i) अजस्तीकृत	50.00 रु० (केवल पचास रुपये) प्रति टन।
		(ii) जस्तीकृत	232.00 रुपये (केवल दो सौबत्तीस रुपये) प्रति टन।

परन्तु यह तब, जबकि पाइपों तथा ट्यूबों आदि के विनिर्माण में प्रयुक्त इस्पात खण्डों पर अथवा किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट केन्द्रीय उत्पादन, शुल्क नियमावली के अन्तर्गत नहीं प्राप्त की गयी हो अथवा निर्यात बन्धपत्र के अन्तर्गत नहीं किया जा रहा हो।

1	2	3	4
	3609	(क) पटिरियां और स्लीपर बार	अलग अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर ग्राण्ड दर नियत की जानी है ।
		(ख) रेल पथ-सामग्री, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है और (ढलवां इस्पात से भिन्न) इस्पात से बनी है—	
		(i) अजस्तीकृत	311.85 (केवल तीन सौ ग्यारह रुपये पचासी पैसे) प्रति टन ।
		(ii) जस्तीकृत	475.50 रुपये (केवल चार सौ पचहत्तर रुपये पचास पैसे) प्रति टन ।
	3610	स्प्रिंग इस्पात छड़ें	288.75 रुपये (केवल दो सौ अठासी रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति टन ।
	3611	इस्पात की छड़ें, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है (गोल, चौकोर और चपटे)	—यथोपरि—
	3612	इस्पात कास्टिंग, गैर-मशीनीकृत तथा मशीनीकृत दोनों, जिन में ढले हुए इस्पात से बने इंजीनियरी सामान के सघटक शामिल हैं ।	175.00 रुपये (केवल एक सौ पचहत्तर रुपये) प्रति टन ।
	3613	इस्पात की हलकी और भारी संरचनाएं-अनगढ़	
		(i) अजस्तीकृत	288.75 रु० (केवल दो सौ अठासी रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति टन ।
		(ii) जस्तीकृत	383.20 रुपये (केवल तीन सौ तिरासी रुपये बीस पैसे) प्रति टन ।
	3614	नर्म इस्पात से बनी चमकीली छड़ें और शाफ्ट ।	311.85 रुपये (केवल तीन सौ ग्यारह रुपये पचासी पैसे) प्रति टन ।

परन्तु यह तब जबकि उप क्रम सं० 3610 से 3614 तक उल्लिखित उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त इस्पात खण्डों पर अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

1	2	3	4

नियमावली के अन्तर्गत प्राप्त नहीं की गयी हो अथवा बन्ध पत्र के अन्तर्गत निर्यात नहीं किया जा रहा हो ।

3615	इस्पात की लचीली ट्यूबें—		
	(i) अजस्तीकृत		614.25 रुपये (केवल छः सौ चौदह रुपये पच्चीस पैसे) प्रति टन ।
	(ii) जस्तीकृत		756.75 रुपये (केवल सात सौ छप्पन रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति टन ।
3616	लोहे की बनी सभी प्रकार की वस्तुएं, जिनमें ढला लोहा–अमशीनीकृत तथा मशीनीकृत दोनों तथा इंजीनियरी सामान के ढले लोहे संघटक शामिल हैं और जिनमें सभी प्रकार की लोहे की पाइपें एवं ट्यूबें और लोहे से बनी ऐसी पाइप एवं ट्यूबों के लिए फिटिंग शामिल हैं–		
	(i) अजस्तीकृत		50.00 रुपये (केवल पचास रुपये) प्रति टन ।
	(ii) जस्तीकृत		232.00 रुपये (केवल दो सौ बत्तीस रुपये) प्रति टन ।
3617	इस्पात तार उत्पाद जैसे, तार गेज, गैप जाली, चेन लिंक बाड़, इस्पात की बेलदार तारें, पैनल पिनें इस्पात की तार तथा प्लेट कीलें, सभी प्रकार की; इस्पात की कटीली तार तथा तार के ब्रुश—		
	(i) अजस्तीकृत		303.15 रुपये (केवल तीन सौ तीन रुपये पन्द्रह पैसे) प्रति टन ।
	(ii) जस्तीकृत		467.45 रुपये (केवल चार सौ सड़सठ रुपये चालीस पैसे) प्रति टन ।

1	2	3	4
	3618	टिन प्लेट उत्पाद, जिनमें ये शामिल टिन प्लेट आधान (खाली, सयोजित अथवा असंयोजित), आधानों के टिन प्लेट सघटक; टिन प्लेट वाशर अथवा टिन प्लेट से बन गणितीय यन्त्र, डिब्बे, टिन प्लेट से बनी गणितीय विज्ञापन टिकियां, ट्रे, दियासलाई के कवर, स्क्रू केप एवं नैक्स, स्टोव साफ करने की पिन और डैस्क पैड।	842.40 रुपये (केवल आठ सौ बयालीस रुपये चालीस पैसे) प्रति टन।
	3619	हरीकेन लालटेनें (कांच के ग्लोबों/शैलों को छोड़कर)	796.25 रुपये (केवल सात सौ छियानवे रुपये पच्चीस पैसे) प्रति टन।
	3620	पट्टा कसने के यन्त्र जो ढलवां इस्पात से भिन्न इस्पात से बन हों।	425.25 रुपये (केवल चार सौ पच्चीस रुपये पच्चीस पैसे) प्रति टन।
	3621	बोल्ट, ठिबरियां, रिपटें तथा दरवाजों के हुक और कुन्दे, इस्पात के पेच, मशीन के पेच और रिपट—	
		i) अजस्तीकृत	311.85 रुपये (केवल तीन सौ ग्यारह रुपये पचासी पैसे) प्रति टन।
		(ii) जस्तीकृत	475.50 रुपये (केवल चार सौ पचहत्तर रुपये पचास पैसे) प्रति टन।
	3622	अन्यत्र अनिर्दिष्ट इस्पात से बने बिल्डर्स हार्डवेयर जिनमें कब्जे, कुण्डे, स्टेपल्स, टावर बोल्ट्स तथा पैडलाक्स शामिल हैं।	
		(क) 5 मि० मी० (मोटी) से कम चादरों पट्टियों से निर्मित	413.40 रुपये (केवल चार सौ तेरह रुपये और चालीस पैसे) प्रति टन।
		(ख) अन्य	303.15 रु० (केवल तीन सौ तीन रुपये और पन्द्रह पैसे) प्रति टन।
	3623	इस्पात से निर्मित ट्रेडदारव खाजे (कार्बोप्सिणल गेट्स)	311.85 रु० (केवल तीन सौ ग्यारह रुपये और पचासी पैसे) प्रति टन।

1	2	3	4
	3624	एनेमल वेयर	614.25 रु० (केवल छः सौ चौदह रुपये और पच्चीस पैसे) प्रति टन।
	3625	जस्तीकृत इस्पात की बाल्टियां	581.00 (केवल पांच सौ इक्यासी रुपये) प्रति टन।
	3626	जस्तीकृत इस्पात की बाथ टब	—यथोपरि—
	3627	जस्तीकृत इस्पात की पानी रखने की बोतल	—यथोपरि—
	3628	ढले हुए इस्पात से भिन्न इस्पात से निर्मित विविध हार्डवेयर	303.15 रु० केवल तीन सौ तीन रुपये पन्द्रह पैसे) प्रति टन।
	3629	नरम इस्पात के वाशर्ज—	
		(i) अजस्तीकृत	425.25 रु० (केवल चार सौ पच्चीस रुपये पच्चीस पैसे) प्रति टन।
		(ii) जस्तीकृत	581.00 रू० (केवल पांच सौ इक्यासी रूपये) प्रति टन।
	3630	रालिंग शटर्स	425.25रू० (केवल चार सौ पच्चीस रुपये पच्चीस पैसे) प्रति टन।
	3631	संयोजित अथवा असंयोजित इस्पात के ड्रम, जस्तीकृत अथवा काले-काली होने पर	
		(i) अजस्तीकृत	425.25 रू० (केवल चार सौ पच्चीस रूपये पच्चीस पैसे) प्रति टन।
		(ii) जस्तीकृत	581.00रू० (केवल पांच सौ इक्यासी रूपये) प्रति टन।
	3632	गमलों और कड़ाह के गमले/पक्के	614.25रू० (केवल छः सौ चौदह रूपये पच्चीस पैसे) प्रति टन।
		परन्तु यह तब जब कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के अन्तर्गत चक्कों के निर्यात पर अदा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में कोई छूट नहीं ली गई हो और बन्ध पत्र के अन्तर्गत निर्यात नहीं किया जा रहा हो।	
	3633	रटील रैक मल्टीपांग	311.85 रू० (केवल तीन सौ ग्यारह रूपये पच्चीस पैसे) प्रति टन।
	3634	इस्पात की चूल्हेदानी के इस्पात के पुर्जे	311.85रू० (केवल तीन सौ ग्यारह रूपया पचासी पैसे) प्रति टन।

1	2	3	4
3635		स्टील सेफ्स, काफर्स तथा कैश बक्से	425.25रू० (केवल चार सौ पच्चीस रुपये पच्चीस पैसे) प्रति टन।
3636		इस्पात के टैंक संयोजित अथवा असंयोजित	321.50रू० (केवल तीन सौ इक्कीस रुपये पचास पसे) प्रति टन।
3637		इस्पात के ट्रंक	425.25रू० (केवल चार सौ पच्चीस रुपये पच्चीस पैसे) प्रति टन।
3638		टिपिंग वेगन्स	330.75 रुपये (केवल तीन सौ तीस रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति टन।
3639		वाटरिंग केन्स	425.25रू० (केवल चार सौ पचीस रुपये पच्चीस पैसे) प्रति टन।
3640		इस्पात के उत्पाद जो अन्यथा निर्दिष्ट नहीं हैं परन्तु जिनमें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26 तथा 26 कक के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद शामिल नहीं है —	
	(क)	इस्पात के ढलों से निर्मित	
	(i)	अजस्तीकृत	183.75रू (केवल एक सौ तिरासी रुपये पिचहत्तर पैसे) प्रति टन।
	(ii)	जस्तीकृत	282.40 रू० (केवल दो सौ बयासी रुपये चालीस पैसे) प्रति टन।
	(ख)	अर्ध परिष्कृत इस्पात से निर्मित जिसमें ब्लूम बिलेट स्लेब शीट बार तथा टिन बार और हो बार शामिल है :	
	(i)	अजस्तीकृत	303.15 रू० (केवल तीन सौ तीन रुपये पन्द्रह पैसे) प्रति टन।
	(ii)	जस्तीकृत	397.00रू० (केवल तीन सौ सतानबे रुपये प्रति टन)।
	(ग)	10 मि० मी० से अधिक मोटाई के काइलों, तारों, जाएण्टों, गर्डरों, स्लाटिड ऐंगलों, से भिन्न एंगलों, स्लाटिड चैनलों से भिन्न चैनलों, टी	

1	2	3	4
		बीम, जैडों ट्रफ पाइलिंग और फ्लैट्स से निर्मित	
		(i) अजस्तीकृत	303.15 रु० (केवल तीन सौ तीन रूपये पन्द्रह पैसे) प्रति टन।
		(ii) जस्तीकृत	397.00 रु० (केवल तीन सौ सतानवे रुपये प्रति टन)।
		(ब) छड़ों और डंडों से निर्मित—	
		(i) अजस्तीकृत	303.15 रु० (केवल तीन सौ तीन रुपये पन्द्रह पैसे) प्रति टन।
		(ii) जस्तीकृत	397.00 रु० (केवल तीन सौ सतानवें रुपये) प्रति टन।
		(ङ) 5 मि० मी० से अधिक परन्तु 10 मि० मी० से अनधिक मोटाई के फ्लेटों अथवा प्लेटों से निर्मित—	
		(i) अजस्तीकृत	321.50 रु० (केवल तीन सौ इक्कीस रुपये पचास पैसे) प्रति टन।
		(ii) जस्तीकृत	414.70 रु० (केवल चार सौ चौदह रुपये सत्तर पैसे) प्रति टन।
		(च) कोल्ड रौल्ड शीटों तथा कोल्ड रौल्ड स्ट्रिपों से निर्मित—	
		(i) अजस्तीकृत	597.15 रु० (केवल पांच सौ सत्तानवे रुपये पन्द्रह पैसे) प्रति टन।
		(ii) जस्तीकृत	679.30 रु० (केवल छः सौ उनासी रुपये तीस पैसे) प्रति टन।
		(छ) रिक्त	
		(ज) 5 मि० मी० से अनधिक मोटाई वाली गर्म रोल्ड शीटों और स्ट्रिप्स फ्लैट्स तथा हूप्स से निर्मित—	
		(i) अजस्तीकृत	413.40 रु० (केवल चार सौ तेरह रुपये चालीस पैसे) प्रति टन।
		(ii) जस्तीकृत	502.90 रु० (केवल पांच सौ दो रुपये नब्बे पैसे) प्रति टन।
		(झ) स्केल्प से निर्मित—	
		(i) अजस्तीकृत	511.90 रु० (केवल पांच सौ ग्यारह रुपये नब्बे पैसे) प्रति टन।

1	2	3	4
		(ii) जस्तीकृत	597.40 रु० (केवल पांच सौ सतानवे रुपये चालीस पैसे) प्रति टन ।
	3641	बाल/टैपर्ड रौलर बैयरिंग	475.00 रु० (केवल चार सौ पचहत्तर रुपये) प्रति टन।
37		अलौह धातु और धातु मिश्रण	
	3701	अलौह धातु और धातु मिश्रण जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हों	अलग अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किए जाने पर ब्रांड दर निर्धारित की जानी है।
	3702	जिंक उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हों	2.65 रु० (केवल दो रुपये पैंसठ पैसे) प्रति कि० ग्रा०।

परन्तु यह तब, जब कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अधीन छूट का दावा नहीं किया गया है अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के उपबन्धों के अन्तर्गत बन्ध पत्र के अधीन निर्यात नहीं किया गया हो।

	3703	एल्यूमीनियम मिश्र धातु के ढले तथा ढली हुई वस्तुएं	एल्यूमीनियम अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उप-क्रम सं० 3803 (iii) के अन्तर्गत लागू दर पर।

परन्तु यह तब, जब कि निर्माता/नियातकर्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 के अन्तर्गत छूट नहीं ली गई हो अथवा नियम 13 के अधीन कोई लाभ नहीं उठाया गया हो।

	3704.	रिक्त	
	3705	रिक्त	
	3706	मोजक से निर्मित वस्तुएं	2.60 रु० (केवल दो रुपये साठ पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
	3707	ब्राम सेमिस, सर्किल्स, शीट्स तथा एक्लट्रूजन्स	उप-क्रम सं० 3801 (ख) के अन्तर्गत लागू दर पर ।

परन्तु यह तब, जब कि माल और वस्तुओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56क अथवा नियम 191क अथवा 191ख में की गई व्यवस्था का लाभ नहीं उठाया गया हो ।

	3708	रिक्त	
	3709	अन्यथा अविनिर्दिष्ट धातु मिश्र तथा उससे निर्मित वस्तुएं जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हों।	तांबा अन्तर्वस्तु यदि कोई हो तो उसके सम्बन्ध में उपक्रम सं० 3808 (ख) के अन्तर्गत लागू दर पर प्रति अदायगी तथा जिंक अन्तर्वस्तु यदि कोई हो तो उसके सम्बन्ध में उपक्रम सं० 3702 के अन्तर्गत लागू दर पर प्रति अदायगी तथा सीसा अन्तर्वस्तु,

1	2	3	4
			यदि कोई हो तो, उसके सम्बन्ध में उपक्रम सं० 3822 के अन्तर्गत लागू दर पर प्रतिअदायगी तथा टिन अन्तर्वस्तु यदि कोई हो तो उसके सम्बन्ध में 12.70 रु० (केवल बारह रुपये सत्तर पैसे) प्रति कि० ग्रा० की दर पर प्रति अदायगी तथा लोहा अन्तर्वस्तु यदि कोई हो, तो उसके सम्बन्ध में उपक्रम सं० 3616 (i) के अन्तर्गत लागू दर पर प्रति अदायगी तथा एल्यूमीनियम अन्तर्वस्तु यदि कोई हो, तो उसके सम्बन्ध में उपक्रम सं० 3803 (iii) के अन्तर्गत लागू दर पर प्रति अदायगी तथा निकल अन्तर्वस्तु यदि कोई हो तो उसके सम्बन्ध में 9.80 रु० (केवल नौ रूपये अस्सी पैसे) प्रति कि० ग्रा० की दर पर प्रति अदायगी।

परन्तु यह तब जब कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के किसी भी नियम के अन्तर्गत छूट का दावा नहीं किया गया हो तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के उपबन्धों के अधीन बंध पत्र के अधीन निर्यात नहीं किया गया हो।

	38	**अन्यत्र अविनिर्दिष्ट धातुओं की निर्मितियां**	
	3801	पीतल की निर्मितियां जिनमें ब्रास बिल्डर्स, बर्तन तथा नीकाशी दार बर्तन शामिल है :—	
		(क) (i) चादरों/स्ट्रिपों से निर्मित बर्तन तथा अन्य वस्तुएं	4.87 (केवल चार रुपये सतासी पैसे) प्रति कि० ग्रा०
		(ii) पीतल के नक्काशीदार बर्तन	3.25 रु० (केवल तीन रुपये पच्चीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०
		(ख) अन्य	4.00 रु० (केवल चार रुपये) प्रति कि० ग्रा०

परन्तु यह तब. जब कि माल और वस्तुओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56क अथवा नियम 191क अथवा 191ख की व्यवस्थाओं का लाभ नहीं उठाया गया हो।

1	2	3	4
	3802	नये इस्पात के आगज पिन तथा क्लिपें	
		(क) तांबा विलेपित	500.00 रु० (केवल पांच सौ रुपये प्रति टन।]
		(ख) तांबा विलेपित से भिन्न	303.15 रु० (केवल तीन सौ तीन रुपये पन्द्रह पैसे) प्रति टन]
	3803	(i) एल्यूमिनियम की 0.56 मि० मी० तथा 1.22 मि० मी० के बीच की मोटाई की वृत्ताकार तथा अंडाकार आकृति की वस्तुएं।	1.64 रु० (केवल एक रुपया चौंसठ पैसे) प्रति कि० ग्रा०
		(ii) एल्यूमिनियम की वस्तुएं जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट शीट्स, सर्किल्स तथा स्ट्रिप्स से विनिर्मित हों, अर्थात् जिनमें ऊपर (i) में उल्लिखित वस्तुएं शामिल नहीं हों।	2.32 रुपये (केवल दो रुपये बत्तीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०
		(iii) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद (i) एवं (ii) में उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न एल्यूमिनियम की वस्तुएं जो अन्यथा अविनिर्दिष्ट हों।	1.53 रुपये (केवल एक रुपया तिरपन पैसे) प्रति कि० ग्रा०
	3804	स्टैनलेस स्टील से बनी वस्तुएं—	
		(क) पूर्णतया स्टेनलैस स्टील शीट्स से बने बर्तन	20.40 रुपये (केवल बीस रु० चालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०
		(ख) पूर्णतया स्टेनलैस शीट्स से बना, अस्पताल में उपयोग में लाया जाने वाला सामान, जैसे किडनी ट्रे, बैडपैन्स थूकदान आदि	20.40 रुपये (केवल बीस रुपये चालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०
		(ग) स्टेनलैस स्टील शीट्स तथा तांबे के बने वे बर्तन जिनके तले तांबे के हों।	18.00 रु० (केवल अठारह रु०) प्रति कि० ग्रा०
		(घ) घड़ियों के फीते	10.40 रुपये (केवल दस रु० चालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०
		(ङ) शल्य चिकित्सा के उपकरण	0.50 रुपये (केवल पचास पैसे) प्रति कि० ग्रा०
		(च) चाकुओं को छोड़ कर स्टैनलेस स्टील शीट्स से बनी अन्य कतरिकाए	4.60 रुपये (केवल चार रुपये साठ पैसे) प्रति कि० ग्रा०

1	2	3	4
		(छ) स्टेनलेस स्टील की छड़ों/शलाकाओं/प्लेटों से बनी कर्तरिकाएं ।	0.45 रुपये (केवल पैंतालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
		(ज) चाकू	0.45 रुपये (केवल पैंतालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
		(झ) स्टेनलैस स्टील की अन्यथा अविनिर्दिष्ट वस्तुएं—	
		(i) शीट्स से बनी—	
		(क) अचुम्बकीय	20.40 रुपये (केवल बीस रुपये चालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०
		(ख) चुम्बकीय	4.10 रु० (केवल चार रुपये दस पैसे) प्रति कि० ग्रा०
		(ii) अन्य	0.40 रु० (केवल चालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
	3805	रिक्त	
	3806	रिक्त	
	3807	रिक्त	
	3808	तांबे से बनी वस्तुएं, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हों—	
		(क) शीट्स/स्ट्रिप्स से बने बर्तन तथा अन्य वस्तुएं	7.75 रुपये (केवल सात रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति कि० ग्रा०
		(ख) ऊपर (क) से भिन्न	6.90 रुपये (केवल छह रुपये नब्बे पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
		परन्तु यह तब, जब कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अधीन छूट का दावा नहीं किया गया हो अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के उपबन्धों के अन्तर्गत, अन्यथा के अधीन निर्यात नहीं किया गया हो ।	
	3809	11.34 कि० ग्रा० की क्षमता वाले टिन प्लेट के आधान, जिनमें काजू की गिरियों हों जिनके परिरक्षण के लिए कार्बन-डाइआक्साइड का उपयोग किया जाता है ।	(क) (i) प्रति आधान पर 12.5 ग्राम कम करके खाली आधानों के शुद्ध भार के प्रति टन पर 842.40 रुपये (केवल आठ सौ बयालिस रुपये चालीस पैसे) तथा (ii) 25.00 रुपये (केवल पच्चीस रुपये) प्रति 1,000 आधान, तथा (iii) 90.00 रुपयें (केवल नब्बे रुपये) प्रति 1,000 आधान, तथा

1	2	3	4
			(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 46 के अन्तर्गत अदा किया गया सम्पूर्ण शुल्क ।

परन्तु यह तब, जब कि—

(i) खंड (क) के उप-खंड (ii) में विनिर्दिष्ट प्रति अदायगी तभी मंजूर की जाएगी जबकि इस मंत्रालय की अधिसूचना स० 7/65के० उ० शु०, दिनांक 30 जनवरी, 1965 के अन्तर्गत छूट का लाभ नहीं उठाया गया हो ;

(ii) मद (ख) में विनिर्दिष्ट दर पर प्रति अदायगी तभी मंजूर की जाएगी जबकि निर्यातकर्ता धातु आधानों पर अदा किये गये शुल्क की रकम के बारे में सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करे, तथा यह भी कि निर्यातकर्ता ने केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 अथवा नियम 191क के अधीन कार्यविधि का लाभ नहीं उठाया हो ।

3810	सेनेटरी केन डिगले केन (जिसमें उनके हिस्से सम्मिलित हैं), जब चपटे आकार में तथा अन्यथा निर्यात किये गये हों अथवा जब निम्नलिखित के निर्यात के लिए आधानों के रूप में उपयोग किए गये हों—	(क) यदि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 46 के अन्तर्गत कोई शुल्क अदा किया गया हो तो वह सम्पूर्ण शुल्क तथा	
	(1) मछली और मछली उत्पाद	(ख) 1185.00 रुपये (केवल एक हजार एक सौ पचासी रुपये)	
	(2) फल और सब्जी उत्पाद तथा	प्रति टन; परन्तु जहां निर्यातकर्ता ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली	
	(3) संघनित दुग्ध	1944 के नियम 12 अथवा नियम 191क के अन्तर्गत कार्यविधि का लाभ नहीं उठाया हो, वहां मद (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट दर पर प्रति अदायगी पूर्णरूपेण लागू होगी ; और जहां निर्यातकर्ता ने उपरोक्त नियमों में से किसी एक नियम के अन्तर्गत कार्यविधि का लाभ उठाया हो अथवा जहां केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 46 के अन्तर्गत	

1	2	3	4
			कोई शुल्क अदा नहीं किया गया हो वहां उपरोक्त मद (ख) में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रति अदायगी की दर लागू होगी ।
	3811.	जैरी केन	425.25 रुपये (केवल चार सौ पच्चीस रुपये पच्चीस पैसे) प्रति टन
	3812.	इस्पात तार के रस्से, सभी प्रकार के (जिनमें सभी प्रकार के लाक्ड कायल तार के रस्से सम्मिलित हैं), जो तन्तु कोर के सहित हों अथवा उसके बिना हों—	
		(क) अजस्तीकृत	अजस्तीकृत इस्पात अन्तर्वस्तु का 303.00 रु० (केवल तीन सौ तीन रुपये) प्रति टन तथा सीसल तन्तु अन्तर्वस्तु तथा अथवा मनीला हेम्प तन्तु अन्तर्वस्तु यदि कोई हो तो उसके संबंध में उपक्रम स० 2508 (ग) के अन्तर्गत देय प्रति अदायगी, तथा उप-क्रम सं. 2506 के अन्तर्गत पटसन तन्तु अन्तर्ग्रस्त पर देय प्रति अदायगी ।
		(ख) जस्तीकृत	जस्तीकृत इस्पात अन्तर्वस्तु का 467.50 रूपये (केवल चार सौ सड़सठ रुपये पचास पैसे) प्रति टन तथा यदि कोई सीसल तन्तु अन्तर्वस्तु हो अथवा यदि कोई मनीला तन्तु अन्तर्वस्तु, हो तो उसके संबंध में उप-क्रम स० 2508 (ग) के अन्तर्गत देय प्रति अदायगी तथा पटसन तन्तु अन्तर्वस्तु के संबंध में उप-क्रम स० 2506 के अन्तर्गत देय प्रति अदायगी ।
	3813.	सभी आकारों की इस्पात की रेतियों	800.00 रुपये (केवल आठ सौ रुपये) प्रति टन ।
	3814.	रिक्त	

1	2	3	4
	3815.	इलैक्ट्रोप्लेटेड निकिल सिलवर (ई० पी० एन० एस०) के बर्तन और वस्तुएं	3.25 रुपये (केवल तीन रुपये पचीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०
	3816.	पीतल से बने प्रेशर स्टोव, प्रेशर लैम्प/लालटेन और ब्लो लैप और उनके धातु के संघटक ।	पोत पर्यन्त निष्प्रभार मूल्य का 22 प्रतिशत (केवल बाईस प्रतिशत)
	3817.	सभी प्रकार के गन मटल वाल्व और उनके पुर्जे ।	(क) गन मैटल में होने वाली विभिन्न धातुओं के संबंध में उप-क्रम स० 3709 के अन्तर्गत स्वीकार्य दर, तथा (ख) लौह अन्तर्वस्तु के संबंध में उप-क्रम स० 3616 (i) अथवा 3616 (ii) जैसा भी मामला हो के अन्तर्गत स्वीकार्य दर, तथा (ग) बोल्ट और नट के संबंध में उप-क्रम स० 3621 (i) अथवा 3621 (ii) जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत स्वीकार्य दर ।
	3818.	नाइलान इन्सर्ट के साथ लगी स्वतः जुड़ जाने वाली ढिबरियां	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर ब्राण्ड दर निश्चित की जानी है ।
	3819.	इस्पात के ड्रम जब उनमें एसफाल्ट भरा हो ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर ब्राण्ड दर निश्चित की जानी है ।
	3820.	सेफ्टी रेजर ब्लेड—	
		(i) कार्बन इस्पात से बने ।	7.65 (केवल सात रुपये पैंसठ पैसे) प्रति 1000 ब्लेड ।
		(ii) स्टेनलेस इस्पात स्ट्रिपों से बने ।	14.45 रुपये (केवल चौदह रुपये पैंतालीस पैसे) प्रति 1000 ब्लेड ।

टिप्पणी:— प्रति अदायगी की उपर्युक्त दर में पैकिंग सामग्री पर प्रति अदायगी शामिल है, अर्थात् प्रत्येक ब्लेड के लिए मोम का कागज और आवरण; लुगदी बोर्ड की तहें और दफ्ती डब्बा और सेलोफेन । यदि उपर्युक्त पैकिंग सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है तो उपर्युक्त दरों में प्रति 1000 ब्लेडों पर 0.60 रुपये (साठ पैसे मात्र) कमी की जाएगी तथापि वास्तविक रूप से इस्तेमाल की गई पैकिंग सामग्री पर समुचित 'सर्व उद्योग' दरों पर प्रति अदायगी स्वीकार्य होगी ।

1	2	3	4
3821	लपेटने का इनेमलशुदा ताम्बे का तार—		
	(i) 23 गैज एवं 23 गैज से मोटा	8.53 रुपये	(केवल आठ रुपये तिरपन पैसे) प्रति कि० ग्रा०
	(ii) 23 गैज से महीन और 35 गैज तक महीन ।	8.43 रुपये	(केवल आठ रुपये रुपये तेतालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०
	(iii) 35 गेज से महीन और 44 गैज तक महीन	8.32 रुपये	(आठ रुपये बत्तीस पैसे) मात्र प्रति कि० ग्रा०
3822	सीसे से बनी वस्तुएं, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हों ।	1950.00 रुपये	(केवल एक हजार नौ सौ पचास रुपये) प्रति टन ।

परन्तु यह तब जब कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अन्तर्गत किसी छूट का दावा नहीं किया गया हो अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 की धाराओं के अन्तर्गत बन्ध-पत्र के अधीन कोई निर्यात नहीं किया गया हो ।

3823	(i) एल्युमीनियम से बने सम्पूर्ण प्रेशर कुकर	1.80 रुपये	(केवल एक रुपया अस्सी पैसे) प्रति कि० ग्रा०
	(ii) प्रेशर कुकर के लिए गास्केट ।	0.30 रुपये	(केवल तीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०
	(iii) पिटरुस सहित सेफ्टी प्लग	0.30 रुपये	(केवल तीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०
	(iv) फिनोल फार्मलडिहाइड मोल्डिंग पाउडर से बने, प्रेशर कुकर के हैंडल जिनका निर्यात स्क्रू सहित अथवा बिना स्क्रू के किया गया हो ।	फिनोल फार्मलडिहाइड मोल्डिंग पाउडर के सम्बन्ध में उप-क्रम सं० 1910 के अन्तर्गत स्वीकार्य दर पर प्रतिअदायगी ; तथा एल्यूमीनियम स्क्रू के सम्बन्ध में यदि कोई हो, उप-क्रम सं० 3803 (iii) के अन्तर्गत स्वीकार्य प्रतिअदायगी तथा इस्पात स्क्रू के सम्बन्ध में, यदि कोई हो, उप-क्रम सं० 3621 के अन्तर्गत स्वीकार्य प्रतिअदायगी ।	
3824	सभी प्रकार के धातु-आधान (एल्यूमीनियम से बने हुए आधानों से भिन्न), जो साधारणतया विक्रय-योग्य माल की पैकिंग के लिए अभिप्रेत होते हैं ; जिनमें निर्यात के माल	(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 46 के अन्तर्गत अदा किया गया सम्पूर्ण शुल्क तथा	

1	2	3	4
		से भरे कास्क, ड्रम, कैन, बक्से, गैस सिलिंडर तथा प्रेशर आधान शामिल हैं (किन्तु जिनमें आपेन-टान सैनेटरी कैन एवं काजू की गिरी के निर्यात के लिए प्रयुक्त 11.34 कि० ग्रा० क्षमता के टिन आधान शामिल नहीं है)।	(ख) जिन सामग्री से आधान बना हो, उस सामग्री के सम्बन्ध में समुचित दर पर यदि कोई हो, प्रति अदायगी।

परन्तु—

(i) मद (क) में विनिर्दिष्ट दर पर प्रति अदायगी वहां दी जायगी जहां निर्यातकर्ता सीमाशुल्क सहायक समाहर्ता के समाधान-प्रद रूप में इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करे कि उसने धातु आधानों पर शुल्क अदा कर दिया है ;

(ii) जहां निर्यातकर्ता ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 अथवा नियम 191क के अन्तर्गत कार्यविधि का लाभ नहीं उठाया हो, वहां मद (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट दर पर प्रति अदायगी पूर्णरूपेण लागू होती है और जहां निर्यातकर्ता ने उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्यविधि का लाभ उठाया हो वहां उक्त मद (ख) में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिअदायगी दर लागू होगी।

3825	सेनिटरी तथा स्नानागार के जल सम्बन्धी सामान—	
	(क) गन मेटल से निर्मित क्रोमियम चढ़ा।	उप-क्रम सं० 3709 के अन्तर्गत गन मेटल में निहित विभिन्न धातुओं के सम्बन्ध लागू दर पर।
	(ख) पीतल से निर्मित क्रोमियम चढ़ा हुआ।	उप-क्रम सं० 3801 (ख) के अन्तर्गत लागू दर पर।
3826	(i) 2 मि० मी० तथा उससे कम मोटाई की इस्पात की चादरों से निर्मित झिरी दार एगल, पेनल, पेनल प्लेटें, पेनल डिबाइडर तथा अन्य उपांग।	रु० 614.25 (केवल छः सौ चौदह रुपये पच्चीस पैसे) प्रति टन।
	(ii) इस्पात की चादरों से निर्मित झिरीदार एगल, पेनल, पेनल प्लेटें पेनल डिवाइडर तथा अन्य उपांग जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हो।	रु० 425.25 (केवल चार सौ पच्चीस रुपये पच्चीस पैसे) प्रति टन।

1	2	3	4
	3827	कागज/पोलिथीन की परत चढ़ी अथवा कागज के साथ परस्पर मिली हुई एल्यूमिनियम की पन्नी ।	जहां तक कागज अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, का सम्बन्ध है उप-क्रम सं० 2407 अथवा 2409 अथवा 2410 के अन्तर्गत लागू उचित दर पर तथा पोलिथीन अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में उप-क्रम सं० 1914 के अन्तर्गत लागू दर पर ।
	3828	टायर बीड तार	रु० 301.200 (केवल तीन सौ एक रुपये) प्रति टन ।
39	**हाथ के अथवा मशीन में इस्तेमाल के लिए औजार**		
	3901	हाथ के या मशीन में इस्तेमाल के लिए औजार जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर बांड दर निर्धारित की जानी है ।
	3902	ढलवां से भिन्न अन्यथा अविनिर्दिष्ट, इस्पात से निर्मित हाथ के औजार	रु० 311.85 (केवल तीन सौ ग्यारह ० पचासी पैसे) प्रति टन ।
	3903	रिक्त	
	3904	गियर काटने के सभी प्रकार के औजार ।	पोत पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य का 9 प्रतिशत (नौ प्रतिशत) ।
	3905	आरे, सैगमैंट और आरा ब्लेड	पोत पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य का 9 प्रतिशत (नौ प्रतिशत) ।
	3906	हीरा काटने के औजार जिसमें सभी किस्मों के ड्रैसर तथा व्हील शामिल हैं परन्तु जिसमें फिर से दुरुस्त किये गये हीरों के औजार शामिल नहीं हैं ।	पोत पर्यन्त खर्च छोड़ कर मूल्य का 9 (नौ) प्रतिशत ।
	3907	सभी प्रकार के बर में जिनमें पेचदार बरमें शामिल हैं ।	पोत पर्यन्त खर्च छोड़ कर मूल्य का 9 (नौ) प्रतिशत ।
	3908	सभी प्रकार की खराद मशीनों, शेयरों और पलेनरों के औजार ।	पोत पर्यन्त खर्च छोड़ कर मूल्य का 9 (नौ) प्रतिशत ।
	3909	एण्ड मिलों के सभी प्रकार के मिलिंग कटर	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर मूल्य का 9 प्रतिशत (केवल नौ प्रतिशत)।
	3910	रीमर	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर मूल्य का 9 प्रतिशत (केवल नौ प्रतिशत)।

1	2	3	4
	3911	थ्रेडिंग टोटियां, थ्रेडिंग डाइयां और चेजर ।	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर मूल्य का 9 प्रतिशत (केवल नौ प्रतिशत)।
	3912	ब्रोचेस डाइयों, जिगों और फिक्सचरों को छोड़कर लघु और कटिंग औजार जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हों :—	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर मूल्य का 9 प्रतिशत (केवल नौ प्रतिशत) ।
	3913	(क) हाथ के औजार (ढलाई द्वारा निर्मित से भिन्न), अर्थात् एलेन रैंच कुंजी, सभी प्रकार के प्लायर्स, स्पैनर्स, रिंचें, पेंच और सभी प्रकार के नट-ड्राइवर, सभी प्रकार के साकेट और रेंचिज क्लेम्प और नेल पुलर ।	रु० 433.00 (केवल चार सौ तैंतीस रुपये) प्रति टन ।
		(ख) उपर्युक्त (क) पर वर्णित हाथ-औजार जब उन पर निकल का अथवा क्रोम का मुलम्मा लगा हो ।	रु० 486.00 (केवल चार सौ छियासी रुपये) प्रति टन ।
	3914	(1) सेंटर खरादें, केन्सटन खरादें और टरेट खरादें चाहे उनका निर्यात उप-साधनों सहित किया गया हो अथवा उनके बिना ।	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर निर्यात मूल्य का 3.6 प्रतिशत (केवल तीन दशमलव छः प्रतिशत) ।
		(2) एकल तकली वाले स्वचालित खरादें, जिनका निर्यात उपसाधनों अथवा उनके बिना किया गया हो ।	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर मूल्य का 6 प्रतिशत (केवल छह प्रतिशत) ।
		(3) बहु तकुओं वाले स्वचालित खरादें जिनमें पूर्व-संवरक खरादें शामिल हैं, जिनका निर्यात उप-साधनों सहित किया गया हो अथवा उनके बिना ।	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर मूल्य का 7.5 प्रतिशत (केवल सात दशमलव पांच प्रतिशत) ।
		(4) ग्राइन्डर्स, रेडियल ड्रिल्स तथा सभी अन्य मशीनी औजार, जिनका निर्यात उपसाधनों सहित अथवा उनके बिना किया गया हो ।	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर मूल्य का 2 प्रतिशत (केवल दो प्रतिशत) ।

1	2	3	4
40	**शक्ति जनित मशीनरी, उनके पुर्जे**		
	4001	शक्ति जनित मशीनरी उनके पुर्जे जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर ब्रांड दरनिर्धारित की जानी है ।
	4002	(क) 40 अश्वशक्ति तक के खड़े और पड़े डीजल इंजिन (मैरीन डीजल इंजिनों से भिन्न)	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर निर्यात मूल्य का 1.5 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पांच प्रतिशत)
		(ख) वाहनों की किस्म के डीजल इंजनों के निर्माणक हिस्सों को छोड़कर सभी प्रकार के डीजल इंजनों के निर्माणक हिस्से—	
		(i) ढलवां लोहे से बनी वस्तुएं अथवा पुर्जे	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर निर्यात मूल्य का 0.5 प्रतिशत (केवल दशमलव पांच प्रतिशत)
		(ii) इस्पात खण्डों, चादरों तथा पाइपों से निर्मित वस्तुएं अथवा पुर्जे	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर निर्यात मूल्य का 3 प्रतिशत (केवल तीन प्रतिशत) ।
		(iii) अन्य जो उपर्युक्त उप-क्रम सं० (i) तथा (ii) के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर निर्यात मूल्य का 3 प्रतिशत (केवल तीन प्रतिशत) ।
	4003	ई० ओ० टी० क्रेन	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से आवेदन प्राप्त होने पर ब्रांड दर निर्धारित की जानी चाहिए ।
41	**कृषि मशिनरी और औजार तथा उनके पुर्जे**		
	4101	कृषि मशीनरी और औजार, उनके पुर्जे जो अन्य विनिर्दिष्ट नहीं है ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर ब्रांड दर निर्धारित की जानी है ।
	4102	ढलवों से भिन्न इस्पात से निर्मित कृषि औजार जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हों ।	रु० 311.85 (केवल तीन सौ ग्यारह रुपये पचासी पैसे) प्रति टन ।
42	**कार्यालय संबंधी मशीनें उनके पुर्जे**		
	4201	कार्यालय संबंधी मशीने तथा उनके पुर्जे जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर ब्रांड दर निर्धारित की जानी है ।

1	2	3	4
43	धातु कार्य मशीनरी, उनके पुर्जे		
	4301	धातु कार्य मशीनरी, उनके पुर्जे जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।	ब्राण्ड दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी है ।
44	टैक्सटाइल मशीनरी, उनके पुर्जे		
	4401	टैक्सटाइल मशीनरी, उनके पुर्जे जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।	ब्राण्ड दर, अलग-अलग निर्माता निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी है ।
45	अन्य प्रयोजनों एवं उद्योगों के लिए मशीनरी उपस्कर साधित्र (बैद्युत से भिन्न)		
	4501	अन्य प्रयोजनों एवं उद्योगों के लिए मशीनरी, उपस्कर, साधित्र (बैद्युत से भिन्न), और उनके पुर्जे जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हैं ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर ब्राण्ड दर नियत की जानी है ।
	4502	तेल मिल की मशीनरी और उसके संघटक पुर्जे	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़कर निर्यात मूल्य का 6 प्रतिशत (केवल छः प्रतिशत) ।
	4503.	(1) अपकेन्द्री तथा गैर अपकेन्द्री पम्प	110.00 रु० (केवल एक सौ दस रुपये) प्रति टन ।
		2. अपकेन्द्री (सेन्ट्रीफ्यूगल तथा गैर-अपकेन्द्री (नान सेन्ट्रीफ्यूगल) पम्प, जिनमें डीजल इंजिन लगे हों ।	पोत पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य का 1.5 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पांच प्रतिशत) तथा पम्पों अथवा डीजल इंजिनों पर अदा किया गया केन्द्रीय उत्पादन शुल्क बशर्ते कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के अधीन छूट अथवा वापसी के रूप में उसका दावा उसे प्राप्त नहीं किया गया हो और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों से एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया हो ।
		3. अपकेन्द्री तथा गैर-अपकेन्द्री पम्प, जिनमें बिजली के मोटर लगे हों ।	पोत पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य का 4 प्रतिशत (केवल चार प्रतिशत) तथा पम्पों अथवा बिजली के मोटरों पर अदा किया गया केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बशर्ते कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के अधीन छूट

1	2	3	4
			अथवा वापसी के रूप में उसका दावा/ उसे प्राप्त किया गया हो और सम्बन्धित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों से इस सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया गया हों।
	4504	सभी किस्म की सिलाई मशीनें, जो हैंड अटैचमेंट, बेस, कवर स्टैंड, मेज, हत्थी, बेड युक्त हों अथवा उनके बिना हों, जिनमें सी० के० डी०/ एस० के० डी० की हालत में सिलाई मशीनें, उनके पुर्जे तथा उपांग भी शामिल है।	पोत पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य का 2.5 प्रतिशत (केवर दो दशमलव पांच प्रतिशत)
	46	वैद्युत-शक्ति मशीनरी, विद्युत वितरण के लिए उपस्कर, स्विच गियर, उनके पुर्जे :	
	4601	वैद्युत शक्ति मशीनरी वितरण के लिए उपस्कर स्विचगीयर, उनके पुर्जे जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है।	अलग-अलग निर्माता/नियातकर्ता से प्रार्थना-पत्र होने पर आध्य दर तय की जानी है।
	4602	तांबे के सभी प्रकार के केबल और कण्डक्टर	सार्वा अन्तर्वस्तु के प्रति किलों ग्राम पर रु० 8.60 (केवल आठ रुपये साठ पैसे)

बशर्ते कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 26-क के अधीन अदा किए गए प्रति सन्तुलन-कारी शुल्क/ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट का, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली 1944 के अन्तर्गत कोई दावा/ प्रणित नहीं की गयी हो अथवा टैरिफ की उपर्युक्त मद के अन्तर्गत देय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में बंध पत्र के अधीन निर्यात नहीं किया गया हो।

	4603	समस्त एल्यूमिनियम संवाहक	एल्यूमिनियम अन्तर्वस्तु के प्रति कि० ग्रा० पर रु० 1.74 (केवल एक रुपया चौहत्तर पैसे)।

बशर्ते कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क टैरिफ की मद 27 के अधीन अदा किए गए प्रति सतुलनकारी शुल्क केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली 1944 के अन्तर्गत दावा प्राप्ति नहीं की गई हो अथवा टैरिफ की उपयुक्त मद के अन्तर्गत देय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में बंध पत्र के अधीन निर्यात नहीं किया गया हो।

1	2	3	4
4604	विसंवाहक एल्यूमिनियम केबल अथवा संवाहक		(1) एल्युमिनियम अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उप-क्रम सं० 4603 के अन्तर्गत स्वीकार्य दर।
			(2) पी० वी० सी० संघटक अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उप-क्रम सं० 1918 (क) के अन्तर्गत स्वीकार्य दर।
			(3) पोलिथीन अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उप-क्रम सं० 1914 के अन्तर्गत स्वीकार्य दर।
4605	इस्पात प्रबलित एल्यूमिनियम संवाहक		एल्यूमिनियम अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उप-क्रम सं० 4603 के अन्तर्गत लागू प्रति अदायगी की दर, तथा स्टील कोर अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उप-क्रम सं० 3617 (i) अथवा 3617 (ii) के अन्तर्गत जैसा भी मामला हो, प्रति-अदायगी की दर।
4606	पेपर इन्सूलेटेड मास इम्प्रेगनेटेड लैड शीटेड पावर केबल, जिनमें पायलट केबल, टेलीफोन केबल तथा इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपिटेटर केबल (डी०सी०) शामिल नहीं है।		
	(i) ताम्र-संवाहक युक्त		पोत पर्यन्त खर्च छोड़कर निर्यात मूल्य का 32 प्रतिशत (केवल बतीस प्रतिशत)
	(ii) एल्यूमिनियम संवाहकों से युक्त		पोत-पर्यन्त खर्च छोड़कर निर्यात मूल्य का 27 प्रतिशत (केवल सताइस प्रतिशत)
4607	पी० वी० सी० इन्सूलेटेड तांबे के केबल		(i) पी० वी० सी० यौगिक अन्तर्वस्तु के लिए उपक्रम सं० 1918 (क) के अन्तर्गत स्वीकार्य प्रति अदायगी की दर।
			(ii) तांबा अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उप-क्रम सं० 4602 के अन्तर्गत स्वीकार्य प्रति अदायगी की दर।

1	2	3	4
	4608	सभी किस्मों की केवल निम्नलिखित रेटिंग की बिजली मोटरें —	
		(i) 1 अश्व शक्ति तक	रु० 26.55 (केवल छब्बीस रुपये पचपन पैसे) प्रति अश्व शक्ति।
		(ii) 1 अश्व शक्ति से ऊपर तथा 3 अश्व शक्ति तक जिसमें 3 अश्व शक्ति भी शामिल है।	रु० 18.35 (केवल अठारह रुपये पैंतीस पैसे) प्रति अश्व शक्ति।
		(iii) 3 अश्व शक्ति से ऊपर तथा 5 अश्व शक्ति तक जिसमें 5 अश्व शक्ति भी शामिल है।	रु० 14.85 (केवल चौदह रुपये पचासी पैसे) प्रति अश्व शक्ति।
		(iv) 5 अश्व शक्ति से ऊपर तथा 25 अश्व शक्ति तक जिसमें 25 अश्व शक्ति भी शामिल है।	रु० 13.70 (केवल तेरह रुपये सत्तर पैसे प्रति अश्व शक्ति।
		(v) 25 अश्व शक्ति से ऊपर तथा 100 अश्व शक्ति तक जिसमें 100 अश्व शक्ति भी शामिल है।	रु० 11.55 (केवल ग्यारह रुपये पचपन पैसे) प्रति अश्व शक्ति।
	4609	30 अश्व शक्ति तक बिजली के मोटरों के लिये डायरेक्ट–आन–लाइन स्टार्टर तथा 50 अश्व शक्ति तक के बिजली के मोटरों के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर	पोत पर्वन्तव्य को छोड़ कर मूल्य 4.6 प्रतिशत (केवल चार दशमलव छ प्रतिशत)
	4610	सभी प्रकार के अन्सुलेटेड अथवा अन्यथा केबल तथा कण्डक्टर्स, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हों।	(i) उप क्रम सं० 4602 के अन्तर्गत तांबा अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में लागू प्रति अदायगी की दर ; तथा
			(ii) उप–क्रम सं० 4603 के अन्तर्गत एल्यूमीनियम अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में लागू प्रति अदायगी की दर ; तथा
			(iii) उपक्रम सं० 3709 के अन्तर्गत टिन अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में लागू प्रतिअदायगी की दर; तथा
			(iv) उप–क्रम सं० 3822 के अन्तर्गत सीसा अन्तर्वस्तु के लिए लागू प्रति अदायगी की दर ; तथा

1	2	3	4
			(v) उप-क्रम सं० 3702 के अन्तर्गत जिंक अन्तर्वस्तु के लिए लागू प्रतिअदायगी की दर ; तथा
			(vi) इस्पात टेप अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, के प्रति टन पर 393.75 रुपये (केवल तीन सौ तिरानवे रुपये पचहत्तर पैसे) ; तथा
			(vii) उप-क्रम सं० 1918 (क) के अन्तर्गत पी० वी० सी० यौगिक अन्तर्वस्तु के लिए लागू प्रति अदायगी की दर ; तथा
			(viii) उप क्रम सं० 1914 के अन्तर्गत पोलीथीन अन्तर्वस्तु के संबंध में लागू प्रति अदायगी दर; तथा
			(ix) उप क्रम सं० 2722 के अन्तर्गत पटसन अन्तर्वस्तु के संबंध में लागू प्रति अदायगी की दर; तथा
			(x) उप क्रम सं० 1911 के अन्तर्गत पोलियामाइड अन्तर्वस्तु के संबंध में लागू प्रति अदायगी की दर; तथा
			(xi) उप-क्रम सं० 3617 (i) अथवा 3617 (i) के अन्तर्गत यथास्थिति, इस्पात कोर तथा तार अन्तर्वस्तु के संबंध में लागू प्रति अदायगी की दर; तथा
			(xii) इन्सुलेशन कागज अन्तर्वस्तु यदि कोई हो, के प्रति किलोग्राम पर 5.00 रुपये (केवल पांच रुपये); तथा

1	2	3	4
			(xiii) संवेचन यौगिक, यदि कोई हो, के प्रति कि० गा० पर 2.35 रु० (केवल दो रुपये पैंतीस पैसे)।
			(xiv) उप-क्र० सं० 2513 के अन्तर्गत हाथ के बने हुए संश्लिष्ट तन्तु धागा अन्तर्वस्तु के संबंध में लागू प्रति अदायगी की दर।
4611	प्लास्टिक वैद्युत्—		
	उप-साधन—		
	(क) प्लास्टिक अन्तर्वस्तु		उप-क्र० सं० 1906 से 1922 के अन्तर्गत लागू दर।
	(ख) पीतल अन्तर्वस्तु		उप-क्र० सं० 3801 (ii) के अन्तर्गत लागू दर।
4612	(1) पोटेंशियल तथा करंट ट्रांसफार्मरों से भिन्न निम्नलिखित वोल्टेज और श्रेणियों के शक्ति तथा वितरण ट्रांसफार्मर, जब ट्रांसफार्मर तेल के प्रथम भरण के साथ निर्यात किये गये हों—		
	(क) 22 के० वी० से कम—		
	(i) 50 के० वी० ए० तक		22.20 रुपये (केवल बाइस रुपये बीस पैसे) प्रति के० वी० ए०।
	(ii) 50 के० वी० ए० से ऊपर तथा 100 के० वी० ए० तक।		18.70 रुपये (केवल अठारह रुपये सत्तर पैसे) प्रति के० वी० ए०।
	(iii) 100 के० वी० ए० से ऊपर तथा 300 के० वी० ए० तक।		14.86 रुपए (केवल चौदह रुपये छियासी पैसे) प्रति के० वी०
	(iv) 300 के० वी० ए० से ऊपर ऊपर तथा 750 के० वी० ए० तक।		11.14 रुपये (केवल ग्यारह रुपये चौदह 14 पैसे) नति के० वी० ए०
	(v) 750 के० वी० ए० से ऊपर तथा 1000 के० वी० ए० से नीचे।		9.28 रुपये (केवल नौ रुपये अट्ठाइस. पैसे) प्रति के० वी० ए०।
	(vi) 1000 के० वी० ए० और उससे ऊपर तथा 1600 के० वी० ए० तक।		9.76 रुपये (केवल नौ रुपये छिहत्तर पैसे प्रति के० वी० ए०।

1	2	3	4
		(ख) 22 के० वी० से 33 के० वी० ।	
		(i) 300 के० वी० ए० तक	16.34 रुपये (केवल सोलह रुपये चौंतीस पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
		(ii) 300 के० वी० ए० से ऊपर तथा 750 के० वी० ए० तक।	12.19 रु० (केवल बारह रुपये उन्नीस पैसे) पति के० वी० ए० ।
		(iii) 750 के० वी० ए० से ऊपर और 1000 के० वी० ए० से नीचे	10.68 रुपये (केवल दस रुपये अड़सठ पैसे) प्रति के0 वी० ए० ।
		(iv) 1000 के० वी० ए० और उससे ऊपर तथा 1600 के० वी० ए० तक ।	11.21 रुपये (केवल ग्यारह रुपये इक्कीस पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
		2 पोटेंशियल तथा करेंट ट्रांसफार्मरों से भिन्न, निम्नलिखित वोल्टेज एवं श्रेणियों के शक्ति तथा वितरण ट्रांसफार्मर, जब ट्रांसफार्मर तेल के प्रथम भरण के बिना निर्यात किये गये हों।	
		(क) 22 के० वी० से कम—	
		(v) 50 के० वी० ए० तक	22.01 रु० (केवल बाईस रुपये एक पैसा) प्रति के० वी० ए० ।
		(vi) 50 के० वी० ए० से ऊपर तथा 100 के० वी० ए० तक	18.57 रुपये (केवल अठारह रुपये सत्तावन पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
		(iii) 100 के० वी० ए० से ऊपर तथा 300 के० वी० ए० तक।	14.77 रुपये (केवल चौदह रुपये सतहत्तर पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
		(iv) 300 के० वी० ए० तक ।	11.08 रुपए (केवल ग्यारह रुपए आठ पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
		(v) 750 के० वी० ए० से ऊपर तथा 1000 के० वी० ए० से नीचे ।	9.21 रुपये (केवल नौ रुपये इक्कीस पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
		(vi) 1000 के० वी० ए० और उससे ऊपर तथा 1600 के० वी० ए० तक ।	9.69 रुपये (केवल नौ रुपये उनहत्तर पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
		(ख) 22 के० वी० से 33, के० वी०—	
		(i) 300 के० वी० ए० तक ।	16.21 रुपये (केवल सोलह रुपये इक्कीस पैसे) प्रति के० वी० ए० ।

1	2	3	4
		(ii) 300 के० वी० ए० से ऊपर तथा 750 के० वी० ए० तक ।	12.09 रुपए (केवल बारह रुपए नौ पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
		(iii) 750 के० वी० ए० से ऊपर तथा 1000 के० वी० ए० से नीचे ।	10.62 रुपए (केवल दस रुपए बासठ पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
		(iv) 1000 के० वी० ए० और उससे ऊपर तथा 1600 के० वी० ए० तक ।	11.15 रुपए (केवल ग्यारह रुपए पन्द्रह पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
	4613 बिजली के पंखे—		
		(i) छत के पंखे (सम्पूर्ण)—	
		(क) 56 तथा 60" फैलाव	26.50 रुपए (केवल छब्बीस रुपए पचास पैसे) प्रति पंखा
		(ख) 48" फैलाव	22.00 रुपए (केवल बाइस रुपए) प्रति पंखा ।
		(ग) 36" और 42" फैलाव ।	18.25 रुपए (केवल अट्ठारह रुपए पच्चीस पैसे) प्रति पंखा ।
		(ii) मेज के पंखे (सम्पूर्ण)	पोत-पर्यन्त खर्च छोड़कर निर्यात के मूल्य का 7.5 प्रतिशत (केवल सात दशमलव पांच प्रतिशत) ।
	4614 पंखे के रेगुलेटर, सभी प्रकार के ।		2.16 रुपए (केवल दो रुपए सोलह पैसे) प्रति यूनिट ।
	4615 छत के विद्युत पंखों के लिए अधोगामी छड़े ।		1.6 कि० ग्रा० शुद्ध भार वाली छड़ पर 0.55 रु० (केवल पचपन पैसे) प्रति यूनिट ।
	4616 छत के विद्युत पंखों के लिए पंख		1.6 कि० ग्रा० शुद्ध भार वाले 3 पंखे के प्रति सैट के लिए 3.12 रु० (केवल तीन रुपए बारह पैसे) ।

टिप्पणी.—(1) उपक्रम सं० 4615 तथा 4616 के संबंध में प्रतिअदायगी की दरों में वैरिंग सामग्री भी शामिल है ।

(2) 'छत के विद्युत पंखों के लिए अधोगामी छड़' अथवा 'छत के विद्युत पंखों के लिए, पंख' के लिए, जिनका भारत उपक्रम सं० 4615 तथा 4616 के सामने उल्लिखित भार से भिन्न हो, प्रति अदायगी की दरें निश्चित किए गए भार के अनुसार अगल-अगल उपक्रम संख्याओं के सामने अंकित दरों से आनुपातिक रूप में उच्चतर अथवा निम्नतर होंगी ।

1	2	3	4
47	**दूर-संचार उपस्कर और उपकरण उनके पुर्जे :—**		
	4701	दूर-संचार उपस्कर और उपकरण— उनके पुर्जे, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हैं ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर ग्राण्ड-दर नियत की जानी है ।
	4702	इलेक्ट्रानिक वाल्व/ट्यूब/ट्रांजिस्टर/ रेडियो/वायरलैस रिसीविंग सैट के लिए डायोड्स ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर ग्राण्ड-दर नियत की जानी है ।
	4703	(i) ट्रांजिस्टर रेडियो	पोत पर्यन्त खर्च छोड़कर निर्यात के मूल्य का 11 प्रतिशत (केवल ग्यारह प्रतिशत) ।
		(ii) रेडियो के वाल्व सहित ।	पोत-पर्यन्त खर्च छोड़कर निर्यात के मूल्य का 15 प्रतिशत (केवल पन्द्रह प्रतिशत) ।
	4704	रिक्त	
48	**घरेलू विद्युत उपकरण, चिकित्सा प्रयोजनों के लिए विद्युत-उपकरण, विकिरण-विज्ञान संबंधी उपकरण, अन्य विद्युत मशीनरी और उपकरण, उनके पुर्जे ।**		
	4801	घरेलू विद्युत उपकरण, चिकित्सा प्रयोजनों के लिए विद्युत उपकरण, विकिरण-विज्ञान संबंधी उपकरण, अन्य विद्युत मशीनरी और उपकरण, उनके पुर्जे जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हों ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर ग्राण्ड-दर नियत की जानी है ।
	4802	घरेलू रेफिजिरेटर और घरेलू रेफिजिरेटरों के संघटक पुर्जे ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर ग्राण्ड-दर नियत की जानी है ।
	4803	निम्नलिखित किस्मों की सीसा एसिड स्टोरेज बेटरियां—	पूर्णतः सज्जित बैटरियों के शुद्ध भार के प्रति कि० ग्रा० पर 1.57 रु० (केवल एक रुपया सत्तावन पैसे) ।
		(1) आटोमोवाइल बैटरियां	
		(2) टैक्शन बैटरियां	
		(3) रेलगाड़ी में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली बैटरियां ।	

1	2	3	4
		(4) स्थिर बैटरियां ।	
	4804	निम्नलिखित किस्मों की सीसा एसिड स्टौरैज बैटरियों के लिए प्लेटें—	2.06 रु० (केवल दो रुपये छः पैसे) प्रति कि० ग्रा०
		(1) आटोमोबाइल बैटरियां	
		(2) टेक्शन बैटरियां	
		(3) रेलगाड़ी में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली बैटरियां	
		(4) स्थिर बैटरियां ।	
49		**रेलइंजिन बैगन, डिब्बे, रेल-पथ और फिटिंग, सब प्रकार के यातायात सिगनल उपस्कर, उनके पर्जे**	
	4901	रेल-इंजिन, वैगन, डिब्बे, रेल-पथ स्थायक और फिटिंग, सब प्रकार के यातायात सिगनल उपस्कर, उनके पुर्जे जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हों ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बांड दर नियत की जानी है ।
	5000	वाहन (रेल से भिन्न) वायुयान, पोत, नौका और सब प्रकार की फ्लोटिंग संरचनाएं, उनके पुर्ज और उपसाधन जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हों	
	5001	वाहने (रेल से भिन्न) वायुयान, पोत, नौका और सब प्रकार की फ्लोटिंग संरचनायें, उनके पुर्जे और उपसाधन, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हों।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बांड-दर नियत की जानी है
	5002	मोटर गाड़ियों के संगठन पुर्जे (गास्केट से भिन्न), जो अन्यथा अविनिर्दिष्ट हों जिनमें वाहनें - किस्मों के डीजल इंजिनों के संघटक पुर्जे भी शामिल है :	
		(i) ढले हुए लोहे से बनी वस्तुयें अथवा संघटक ।	पोत-पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य का 0.5 प्रतिशत (केवल दशमलव पांच प्रतिशत)
		(ii) ढले हुए इस्पात सेक्शन शीटों और पाइपों से निर्मित वस्तुयें अथवा संघटक	पोत-पर्यन्त खर्च छोड़ कर निर्यात मूल्य का 3 प्रतिशत (केवल तीन प्रतिशत) ।

1	2	3	4
		(iii) एल्युमीनियम मिश्रण से बनी वस्तुयें अथवा संघटक, जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक एल्युमीनियम हो ।	पोत-पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य का 15 प्रतिशत (केवल पन्द्रह प्रतिशत) ।
		(iv) रेडिएटर संयोजन तथा मोटर गाड़ियों के लिए कोर जिनमें ट्रैक्टर शामिल हैं परन्तु आयल कलर और एयर कूल्ड आयल रेडिएटर शामिल नहीं हैं अर्थात	
		(क) तांबा/पीतल संरचना के रेडिएटर संयोजन ।	4.13 रुपए (केवल चार रुपए तेरह पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(ख) इस्पात/पीतल संरचना के रेडिएटर संयोजन ।	3.21 रुपए (केवल तीन रुपए इक्कीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(ग) तांबा/पीतल संरचना के रेडिएटर कोर ।	5.17 रुपए (केवल पांच रुपए सत्रह पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(v) प्रज्वलन कायल, प्रज्वलन वितरक संयोजन बिजली के हार्न, डाइनेमों अथवा अल्टरनेटस वोल्टेज रेगुलेटर्स तथा सोलेनाइड ?	पोत-पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य का 10 प्रतिशत (केवल दस प्रतिशत) :
		(vi) स्टार्टर मोटर	पोत-पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य का 5 प्रतिशत (केवल पांच प्रतिशत) ।
		(vii) स्पार्क प्लग	पोत-पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य का 7.5 प्रतिशत (केवल सात दशमलव पांच प्रतिशत) ।
		(viii) कोमटेटर्स	पोत-पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य का 14 प्रतिशत (केवल चौदह प्रतिशत) ।
		(ix) वाणिज्यक वाहनों के लिए इस्पात के पहिए ;	पोत-पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य का 10 प्रतिशत (केवल दस प्रतिशत) ।
		(x) थिन वाल बियरिंग	पोत-पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य 10 प्रतिशत (केवल दस प्रतिशत)
		(xi) शाक एब्जार्बर	पोत-पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य का 10 प्रतिशत (केवल दस प्रतिशत)

1	2	3	4
		(xii) ब्रेक लाइनिंग	पोत-पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य का 9 प्रतिशत (केवल नौ प्रतिशत)।
		(xiii) इंजिन वाल्व	पोत-पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य का 7.5 प्रतिशत (केवल सात दशमलव पांच प्रतिशत)।
		(xiv) रिक्त	
		(xv) आटोमोबाइलों में प्रयुक्त स्प्रिंग लीव।	303.00 रुपए (केवल तीन सौ तीन रुपए) प्रति टन।
		(xvi) शेष सभी जो इस मद में अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हैं जिनमें वे शामिल नहीं हैं जो प्राकृतिक रबड़ से निर्मित हैं।	पोत-पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य का 3 प्रतिशत (केवल तीन प्रतिशत)।

टिप्पणी.—उपरोक्त दरें तब लागू होंगी जब तैयार उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों पर अथवा संघटकों पर अदा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में नियम 56-क अथवा अन्य किसी वर्तमान कानून के अन्तर्गत कोई छूट प्राप्त नहीं की गयी हो।

5003	ट्रालीज		311.85 रुपए (केवल तीन सौ ग्यारह रुपए पचासी पैसे) प्रति टन।
5004	(i) संपूर्ण बाइसिकल जो अन्यथा अवनिर्दिष्ट हैं, चाहे वे संयोजित हों अथवा असंयोजित हों— (ii) बाइसिकल स्पोकों, निप्पलों, वाशरों, चैनों, रिम लाइनरों, गद्दी-कवरों (चमड़े से बने), पैडलों के रबर के अंश, ओजार तथा ओजार के बक्सों, साइकिल पम्पों, टायरों तथा ट्यूबों से भिन्न बाइसिकल के संघटक फालतू पुर्जे तथा उप-साधन।		पोत पर्यन्त खर्च छोड़कर मूल्य का 12 प्रतिशत (केवल बारह प्रतिशत)।

टिप्पणी.—उपर्युक्त दर में पैकिंग सामग्रियों पर प्रतिग्रदायगी भी शामिल है।

5005	सभी प्रकार की बाइसिकल की चैनें चाहे वे संयोजित हों अथवा असंयोजित हों और चाहे वे लम्बाई में हों अथवा अन्यथा।		0.95 रुपए (केवल पचानवें पैसे) प्रति किलोग्राम)।

1	2	3	4
	5006	बाइसिकल तीलियां—	
		(क) जस्तीकृत तीलियां, निप्पलों एवं वाशरों के बिना।	467.50 रु० (केवल चार सौ सड़सठ रुपये और पचास पैसे) प्रति टन।
		(ख) बाइसिकल की तीलियों के लिए पीतल की निप्पलें।	उप-क्रम सं० 3801 (ख) के अन्तर्गत लगू दर पर।
		(ग) पीतल की निप्पलों एवं वाशरों सहित सम्पूर्ण तालियां।	79.00 रु० (केवल उनासी रुपये) प्रति क्विंटल
		(घ) बाइसिकल की तीलियों के लिए वाशर—	
		(i) टिन प्लेट से बने	842.40 रु० (केवल आठ सौ बयालीस रुपये चालीस पैसे) प्रति टन।
		(ii) जस्तीकृत नर्म इस्पात की पट्टियों से बने।	756.75 रु० (केवल सात सौ छप्पन रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति टन।
	5007	स्पोर्ट लाइट रोडस्टर बाइसिकल संयोजित अथवा असंयोजित	
		(क) आयातित 3 स्पीड हबों से युक्त	14.75 (केवल चौदह रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति बाइसिकल; तथा "पहले आओ और पहले जाओ" आधार पर संगत आगम-पत्र के अनुसार यथानिर्धारित आयात-शुल्क की रकम जो आयातित 3 स्पीड हबों पर अदा की गयी।

परन्तु यह तब, जबकि निर्माता/निर्यातकर्ता 3 स्पीड हबों से युक्त स्पोर्ट्स लाइट रोडस्टर बाइसिकलों के निर्यात को समाविष्ट करने के निमित्त 3 स्पीड हबों की पर्याप्त संख्या के आयात एवं शुल्क के भार के सम्बन्ध में सीमा शुल्क समाहर्ता के इत्मीनान का साक्ष्य प्रस्तुत करता हो और इसके अतिरिक्त यह भी कि आयातित 3 स्पीड हबों को जिनके बारे में वैसा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है,

(i) किसी अन्य पूर्ववर्ती निर्यात से वैसे ही सह-सम्बद्ध नहीं किया गया है और उसके लिए हिसाब में नहीं लिया गया है, तथा

(ii) प्रति अदायगी के दावे सहित अथवा दावे के बिना, उसी रूप में अथवा किसी अन्य रूप में पहले पुनर्निर्यात नहीं किया गया है।

टिप्पण।—उपर्युक्त दर में पैकिंग सामग्रियों पर दी जाने वाली प्रति अदायगी शामिल है। इस पैकिंग सामग्री में निम्नलिखित शामिल होनी चाहिए, अर्थात—

(1) प्रत्येक बाइसिकल के लिए अलग-अलग कार्टन, जो नालीदार बोर्ड, तथा क्राफ्ट लाइनर से निर्मित हो।

1	2	3	4
		(2) पैकिंग स्टेपल । (3) तार की कीलें । (4) बक्से को लपेटने का फीता । (5) भूरा कागज । यदि उपर्युक्त पैकिंग सामग्रियों को इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो उपर्युक्त प्रति अदायगी की दरों में 1.50 रु० (केवल एक रुपया और पचास पैसे) प्रति बाइसिकिल कम कर दिया जायेगा । परन्तु वास्तव में प्रयुक्त पैकिंग सामग्रियों के संबंध में उपयुक्त दर पर प्रति अदायगी की वापसी का दावा अलग से उपयुक्त सर्व उद्योग दर पर किया जा सकता है ।	
		(ख) 3 स्पीड हबों से युक्त बाइसिकिलों से भिन्न, चाहे इनका निर्यात संयोजित अथवा एस० के० डी० अथवा सी० के० डी० स्थिति में किया गया हो ।	13.25 रु० (केवल तेरह रुपये पच्चीस पैसे) प्रति बाइसिकिल जिसमें पैकिंग सामग्री पर प्रति-अदायगी शामिल नहीं है, जिसका दावा प्रति अदायगी की समुचित सर्व उद्योग दरों के अधीन अलग से किया जा सकता है ।
	5008	औद्योगिक अथवा स्वचालित स्टील रोलर जंजीरें (जो उपक्रम सं० 5005 के अन्तर्गत नहीं आती)	0.80 रु० (केवल अस्सी पैसे) प्रति कि० ग्रा०
51	**सफाई नलसाजी, तापन, प्रकाश स्थायक और फिटिंग तथा उनके पुर्जे**		
	5101	सफाई, नलसाजी, तापन, प्रकाश स्थायक और फिटिंग और उनके पुर्जे, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हैं ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर आण्डर नियत की जानी है ।
52	**फर्नीचर**		
	5201	फर्नीचर, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हैं ।	यथोपरि
	5202	इस्पात फर्नीचर (ट्यूबुलर इस्पात फर्नीचर तथा फर्नीचर ट्यूबों को छोड़कर), जिनमें लाकर कैबिनैट और अन्य सेफ डिपाजिट उपस्कर, मजबूत दरवाजे, इस्पात की खिड़कियों तथा दरवाजे शामिल है, किन्तु स्टेनलैस इस्पात से बने उनके हिस्से शामिल नहीं हैं ।	
		(क) 5 मि० मी० से कम मोटाई वाले इस्पात की चादरों अथवा पट्टी से बने ।	425.25 रु० (केवल चार सौ पच्चीस रुपये पच्चीस पैसे) प्रति टन ।

1	2	3	4
		(ख) अन्य सभी	311.85 रु० (केवल तीन सो ग्यारह रुपये पचासी पैसे) प्रति टन ।
53		**प्रकाशमीय, फोटोग्राफी, सिनेमा सम्बन्धी मापक, जांच करने क, यथार्थमापी, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा सम्बन्धी औजार, यंत्र और उ.स्कर, उनके पर्जे :—**	
	5301	प्रकाशीय, फोटोग्राफी, सिनेमा संबंधी मापक, जांच करने के यथार्थमापी, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा संबंधी औजार, यंत्र और उपस्कर और उन के पुर्जे जो अन्यत्र अविनिदिष्ट हैं ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर ग्राण्ड-दर नियत होनी है ।
54		**दीवार घड़ी घड़ियां और उनके पुर्जे :—**	
	5401	दीवार घड़ी, घड़ियां और उनके पुर्जे जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर ग्राण्ड-दर नियत होनी है ।
55		**बाथ-यंत्र, ध्वनि रेकार्ड, रिप्रोडयूसर, उनके पुर्जे और उप-साधन :**	
	5501	बाथ-यंत्र, ध्वनि रेकार्ड, रिप्रोडयूसर, उनके पुर्जे और उप-साधन जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रर्थना-पत्र प्राप्त होने पर ग्राण्ड दर नियत होनी है ।
56		खिलौने, खेलकूद और क्रीड़ा के सामान, उनके पुर्जे :—	
	5601	खिलौने, खेलकूद और क्रीड़ा के सामान, उनके पुर्जे, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर ग्राण्ड-दर नियत होनी है ।
57		कार्यालय सम्बन्धी वस्तुएं और लेखन-सामग्री :—	
	5701	कार्यालय सम्बन्धी वस्तुएं और लेखन-सामग्री, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है ।	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर ग्राण्ड-दर नियत की जानी है ।

1	2	3	4
	5702	फाउण्टेन पैन, बाल पाइण्ट पैन, साइन पैन, फाइबर टिप पैन और फाउण्टेन पैन की इरीडियम एलाय पैन पाइण्ट वाली निब (जिसमें फाउण्टेन पैन की स्टेनलेस स्टील निब शामिल है), तथा बाल पाइण्ट पैन रिफिल (धातु अथवा प्लास्टिक की) ।	पोत-पर्यन्त खर्च छोड़कर निर्यात मूल्य का 3 प्रतिशत (केवल तीन प्रतिशत)
	5703	रिक्त	
	5704	रिक्त	
	58	रत्न और उप-रत्न (जिसमें जड़े हुए अथवा बिना जड़े हुए हीरे शामिल है) तथा पूर्णतः या अंशतः ऐलाबास्टर या स्वर्ण या चांदी से बनी हुई वस्तुएं :–	
	5801	रत्न और उप-रत्न (जिनमें जड़े हुए अथवा बिना जड़े हुए हीरे शामिल हैं) तथा पूर्णतः या अंशतः ऐलाबास्टर या स्वर्ण या चांदी से बनी हुई वस्तुएं, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हैं ।	अलग-अलग निर्माता-निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर आण्ड-दर नियत होनी है ।
	5802	पूर्णतः या अंशतः सोने की बनी वस्तुएं, जैसे जवाहरात, आभूषण अथवा सोने की अन्य वस्तुएं ।	वस्तु में विद्यमान स्वर्ण पर 84.39 रु० (केवल चौरासी रुपये उनतालीस पैसे) प्रति दस ग्राम ।

बशर्ते—

(क) तब तक कोई प्रति अदायगी नहीं की जाएगी जब तक निर्माता द्वारा निर्यात की जाने वाली स्वर्ण वस्तुए उस तारीख से छः महीने के अन्दर निर्यात नहीं की गयी हो, जिस तारीख को उसने निर्माणार्थ सोने का आयात किया था;

(ख) उपर्युक्त दरों पर प्रति अदायगी केवल उन्हीं स्वर्ण वस्तुओं के सम्बन्ध में की जाएगी जो ऐसे व्यक्ति द्वारा अथवा की ओर से निर्मित की गयी है जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए उस पत्तन के उपयुक्त-अधिकारी द्वारा पंजीकृत कर दिया गया है जिस पर उस व्यक्ति ने इस निर्माण के लिए सोने का आयात किया है ।

(ग) निर्यातकर्ता, सोने की वस्तुओं के निर्यात के समय उपयुक्त अधिकारी के समक्ष एक परमिट प्रस्तुत करता है जो उस व्यक्ति को, इन वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग किए गए स्वर्ण की मात्रा के अनुरूप भार और शुद्धता की दृष्टि से, स्वर्ण की पर्याप्त मात्रा के आयात के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा स्वीकृत किया गया था ।

1	2	3	4
		(घ) भार और शुद्धता की दृष्टि से, आयात किये गये सोने की यही मात्रा, सोने की वस्तु के किसी पिछले निर्यात की प्रति इसी प्रकार सह-सम्बद्ध नही की ग हिसाब में नही दिखाई गई है ।	
	5803	एलबास्टर मे बनी दस्तकारी की वस्तुएं और अन्य वस्तुएं	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर ब्राण्ड-दर नियत की जानी है ।
59		**विनिर्मित वस्तुएं जैसे कि सब प्रकार ब्रुश, सिवाय कार्बन ब्रुशों के, जिप कसनी, स्नेप कसनी, यांत्रिक लाईटर कृत्रिम बाल बिग और ऐसी ही वस्तुएं और हाथी दांत के उत्पाद**	
	5901	विनिर्मित वस्तुएं जैसे कि सब प्रकार के ब्रुश सिवाय कार्बन ब्रुशों के, जिप कसनी, स्नेप कसनी, यांत्रिक लाइटर, कृत्रिम बाल बिग और ऐसी ही वस्तुएं और हाथी दांत के उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नही हैं	अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर ब्राण्ड-दर नियत की जानी है ।
	5902	धात्विक जिप पासनर्स—	
		(i) पीतल से बने—	
		(क) साइज सं० 2	124.50 रु० (केवल एक सौ चौबीस रुपये पचास पैसे) प्रति एक हजार मीटर ।
		(ख) साइज सं० 5 अथवा इससे बड़े	215.25 रु० (केवल दो सौ पन्द्रह रुपये और पच्चीस पैसे) प्रति एक हजार मीटर ।
		(ii) एल्युमीनियम से बने—	
		(क) साइज सं० 3	17.05 रु० (केवल सत्तरह रुपये पांच पैसे) प्रति एक हजार मीटर ।
		(ख) साइज सं० 5 अथवा इससे बड़े	27.90 रुपये (केवल सत्ताईस रुपये और नब्बे पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
	5903	हाथी दांत उत्पाद	143.15 रुपये (केवल एक सौ तैंतालीस रुपये पन्द्रह पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।

सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रति अदायगी नियमावली, 1971 के नियम 7 के उपबन्धों को भी, व्यापारियो एवं उद्योगो की सूचना के लिए, नीचे उद्धृत किया गया है :—

7 वे मामले जिनमें प्रतिअदायगी की निर्धारित रकम या दर कम हो :—

(1) जहां किसी विनिर्माता या निर्यातकर्ता को यह पता चलता है कि किसी माल की बाबत वापसी की रकम या दर जो यथास्थिति नियम 4 के अधीन निर्धारित की गई है या उस वर्ग के माल के लिए, नियम 4 के अधीन संशोधित की गई है, उस सामग्री या सघटको पर, जो उक्त माल के उत्पादन या विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं, दिए गए शुल्क के तीन-चौथाई से कम है, ऐसे मामले में वह केन्द्रीय सरकार को वापसी की उचित रकम या दर नियत करने के लिए लिखित आवेदन दे सकता है जिसमें माल के उत्पादन या विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री या सघटको के अनुपात सहित सभी तथ्यो का उल्लेख करना होगा और ऐसी सामग्री या सघटकों पर दिए हुए शुल्क का उल्लेख भी करना होगा ।

(2) उप नियम (1) मे निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार ऐसी जांच, जैसा वह उचित समझे, करने या कराने के पश्चात् निर्यातकर्ता को ऐसी रकम या दर पर, जो समुचित समझी जाए, वापसी की अनुमति दे सकती है यदि यथास्थिति, नियम 3 के अधीन निर्धारित या नियम 4 के अधीन संशोधित वापसी की रकम या दर इस उपनियम के अधीन निर्धारित ऐसी रकम या दर की वस्तुतः तीन-चौथाई से कम है ।"

सी० भुजंगस्वामी,
संयुक्त निदेशक (प्रतिअदायगी)।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974